तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व, समायोजन और संवेगात्मक परिपक्वता का एक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

से

मनोविज्ञान विषय में

पी-एच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक -

डा० सतीश चन्द्र शर्मा

पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग

गांधी महाविद्यालय, उरई

शोधकर्ती

रीता सिंह चन्देल

घोषणा पत्र

मैं रीता सिंह चन्देल घोषणा करती हूं कि पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध जिसका शीर्षक **"तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व, समायोजन और संवेगात्मक परिपक्वता का एक अध्ययन"** है। मेरे स्वयं के प्रयासों का परिणाम है। यह एक मौलिक प्रस्तुति है, जो सामग्री जिन स्रोतों से प्राप्त की गई है उसका उल्लेख उचित स्थान पर कर दिया गया है। मैंने निर्देशन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने शोध पर्यवेक्षक के साथ कम से कम दो सौ दिन व्यतीत किये हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भाषा के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ विषय-वस्तु के प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में भी सन्तोष प्रद है।

Rita Singh Chandel
रीता सिंह चन्देल
10.12.2002

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि रीता सिंह चन्देल की पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध शीर्षक **"तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व, समायोजन और संवेगात्मक परिपक्वता का एक अध्ययन"** के दौरान निरन्तर मेरे सम्पर्क में रहीं तथा मेरे द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि इनका यह शोध कार्य मौलिक, उपयोगी तथा विश्वविद्यालय परिनियमावली द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है।

शोध निदेशक

10.12.2002

डॉ० सतीश चन्द्र शर्मा

पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग

गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई

आभार-कथन

सर्वप्रथम मैं अपने शोध निदेशक आदरणीय डॉ० सतीश चन्द्र शर्मा, एम.ए., पी एच० डी०, पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने उत्साह व कुशलता के साथ मेरा समय-समय पर मार्ग-निर्देशन किया तथा अपना पूरा सहयोग शोधकार्य के दौरान प्रदान किया।

साथ ही मैं डा० तारेश भाटिया, रीडर मनोविज्ञान विभाग, दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उरई के प्रति विशेष कृतज्ञ हूं, जिन्होंने प्रस्तुत अनुसन्धान कार्य में मुझे विशेष सहयोग प्रदान किया। आपके सहयोग से प्रस्तुत अनुसन्धान का कठिन कार्य सरलता से सम्भव हो सका है।

मैं न्यायालय परिसर के उन सभी अधिवक्ताओं तथा अन्य सहयोगियों की आभारी हूं, जिनके विशेष सहयोग से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर यह महत्वपूर्ण अध्ययन सम्भव हुआ।

परिवार परामर्श केन्द्र, उरई द्वारा भी मुझे अपने अनुसन्धान में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं इस केन्द्र के परामर्शदाता श्री भूपेन्द्र गुप्ता एवं डॉ० (श्रीमती) लक्ष्मी गुप्ता की विशेष आभारी हूँ।

मैं अपने पिता श्री सत्यनारायण सिंह चन्देल व माता श्रीमती राजवती सिंह चन्देल की भी आभारी हूं जिनके आशीर्वाद से यह कार्य सम्पन्न हुआ। मैं अपनी दीदी रेनू व छोटी बहन चेनू तथा भाई अनिन्द राज सिंह का स्मरण करना चाहती हूं जिन्होंने इस शोधकार्य में मेरा निरन्तर उत्साहवर्द्धन किया

अन्त में, मैं अपने पति श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व पुत्र आयुष के स्वाभाविक सुलभ सहयोग का स्मरण कर प्रेम भाव से अभिभूत हूं।

सुन्दर आकर्षक टाइपिंग के लिये धीरज कम्प्यूटर्स के प्रोपराइटर श्री धीरज गुप्ता का आभार व्यक्त करती हूं जिनके सहयेाग के बिना यह कार्य सम्भव नहीं था।

Rita Singh Chandel

रीता सिंह चन्देल

विषय अनुक्रम

प्रथम अध्याय

भूमिका

भूमिका

हमारा संविधान स्पष्ट एवं जोरदार शब्दों में स्त्री-पुरुष समानता का उद्घोष करता है। भारतीय नारी को समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि संवैधानिक और राजनैतिक समानता का स्वाद नारियों के केवल उस वर्ग तक ही पहुँच पाया है जिसके पास शिक्षा एवं सामाजिक मान प्रतिष्ठा है।

आजादी के पचास दशक बाद जिस तरह के परिवर्तन भारत में दिखाई दे रहे हैं कुछ-कुछ वैसे ही परिवर्तन भारतीय नारी के चेहरे पर भी देखने को मिल रहे है। परिवर्तन की यह लहर चाल-ढाल पहनावे से लेकर रसोई घर तक झलकने लगी है जहाँ की जिम्मेदारी आज भी पूरी तरह से नारियों के मजबूत एवं सहनशील कंधों पर टिकी हुयी है।

सरकार ने समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक कानून एवं कार्यक्रम बनाये है। लेकिन उन तमाम कानून एवं कार्यक्रम का अब तक कोई उचित एवं अनुकूल प्रभाव नारियों की दशा एवं दिशा निर्धारित करने की ओर नहीं दिखायी दे रहा है। जो भी प्रयास किया जा रहा है वह सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं एवं अशिक्षा के कारण गुम होता जा रहा है।

आज भी पुरुष प्रधान समाज द्वारा उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण निर्वाध गति से जारी है। दहेज से पीड़ित स्त्री आत्महत्या करने का मजबूर है। नारी चाहे गृहणी हो या दफ्तर की कर्मचारी या खेतिहर मजदूर या कल-कारखानों में श्रमिक हर जगह किसी न किसी रूप में उनका शोषण ही हो रहा है।

महिलायें चाहे वे किसी भी वर्ग की हों अत्यन्त दमित एवं उपेक्षित है। पुरुष

आज भी शिक्षित महिलाओं ने अपने ऊपर पुरुषों द्वारा अत्याचार किया जाना व उनके कुवचनों का दुर्व्यवहार को अमान्य कर दिया है और स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने के लिए तलाक को अपनाया है। तलाक लेने वाली महिलायें अधिकतर शिक्षित ही होती है और वे आर्थिक सम्बन्धों में आत्मनिर्भर होती है ऐसी स्थिति में पुरुषों से दबकर रहना उन्हें स्वीकार नही होता। वे अपने अधिकारों की माँग करती हैं। उनमें सहनशक्ति की कमी होती है जिसके कारण किसी गलत बात को सहन कर पाना उन्हें स्वीकार्य नहीं होता है। पति से दबकर रहने की बजाय वे तलाक लेकर अलग रहकर स्वच्छंद जीना अधिक अच्छा समझने लगी है।

समस्या का कथन

वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति में जब स्त्री अपने अधिकार और अस्मिता के प्रति जागरूक हो रही हों तो वैवाहिक जीवन में भी विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। पारिवारिक कलह अदालतों तक पहुँचने लगी हैं। अदालतों में तलाक सम्बन्धी मुकद्दमों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में यह एक गम्भीर विषय हो सकता है कि हम ऐसे दम्पात्तियों को मनो-सामाजिक अध्ययन करें जिनके तलाक के मुकद्दमें अदालत में विचारधीन है।

अत: अध्ययन की समस्या है :- ''तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व, समायोजन और संवेगात्मक परिपक्वता का एक अध्ययन।

सम्बन्धित परिवर्तियों का विवरण

परिवार का अर्थ

मानव समाज के सम्पूर्ण इतिहास में परिवार सबसे महत्वपूर्ण संस्था है।

यदि परिवार में बच्चों का पालन पोषण न किया जाये तो समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। परिवार ही एक मात्र ऐसी संस्था है जो बच्चे को समाज के नियमों से परिचित कराती है, उसमें मानवीय गुणों का विकास करती है।

मैकाइवर और पेज

"परिवार उस समूह का नाम है जो यौन सम्बन्धों पर आश्रित है और इतना छोटा एवं शक्तिशाली है जो सन्तान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है।''

जिस्बर्ट -

"परिवार का अर्थ एक ऐसे स्त्री और पुरुष से है जो एक या एक से अधिक बच्चों से स्थायी रूप से सम्बद्ध हों''

लूसी मेयर

"परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता-पिता तथा उनकी सन्तानें साथ-साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दम्पत्ति और उसकी सन्तान रहती है''

परिवार की प्रमुख विशे"तायें-

विवाह की प्रमुख विशेषतायें हैं-

9. सर्वव्यापकता

सभी सामाजिक संस्थाओं तथा समितियों में परिवार सबसे अधिक सर्वव्यापी है। सामाजिक विकास के सभी स्तरों में परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। यौन-सम्बन्ध सन्तानोत्पादन तथा शारीरिक रक्षा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकताऐं हैं जिनको आदर्श रूप से परिवार में ही पूरा किया जा सकता है।

२. भावनात्मक आधार

परिवार के सभी सदस्य भावनार्तमक आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। पति-पत्नी का सम्बन्ध, माँ का स्नेह, पालन-पोषण की व्यवस्था और पिता द्वारा दी गयी सुरक्षा परिवार की कुछ ऐसी विशेषतायें है जिनके कारण परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर स्नेह और सहयोग की भावना उमड़ती रहती है।

3. रचनात्मक प्रभाव

रचनात्मक प्रभाव का तात्पर्य है कि परिवार अपने सदस्यों से उन्हीं त्यवहारो की आशा करता है जो सामाजिक रूप से सहयोग पूर्ण होते हैं। बच्चे पर माता-पिता के व्यवहारों का स्थायी प्रभाव पड़ता है। लेकिन वे स्वयं भी बच्चों के कार्यों द्वारा प्रभावित होते हैं।

सामाजिक ढाँचे में केन्द्रीय स्थिति-

समाज का कोई भी सदस्य किसी कार्य को करते समय परिवार का सबसे अधिक ध्यान रखता है। वह जानता है कि एक केन्द्रीय इकाई के रूप में परिवार को संगठित रखना सबसे अधिक आवश्यकत है।

सदस्यों को असीमित उत्तरदायित्व

परिवार वह स्थान है जहाँ व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने में भी संकोच नहीं करता और अपने कर्त्तव्यों और प्रयत्नों से वह परिवार को ऐसी तपोभूमि बना देता है जहाँ न स्वार्थ है न बैर।

सामाजिक नियन्त्रण

परिवार व्यक्ति पर पग-पग पर अनेक नियन्त्रण लगाता है। सामाजिक सम्बन्धों, शिष्टाचार, रीतिरिवाजों आदि में परिवार के नियंत्रण द्वारा ही व्यक्ति का जीवन नियन्त्रित रहता है।

परिवार का स्थायी व अस्थायी स्वभाव

परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी। यदि परिवार को पति-पत्नी एवं बच्चों का एक संगठन मान लिया जाये, तब परिवार एक समिति है और यदि परिवार को नियमों और कार्य-विधियों की एक व्यवस्था माना जाये, तब एक संस्था है।

समिति के रूप में परिवार अस्थायी है क्योंकि यदि पति-पत्नी विवाह विच्छेद, या किसी और कारण से अलग हो जाये, तो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति रुक जाती है। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है क्योंकि पति-पत्नी अथवा बच्चों में से किसी एक या दो सदस्यों के न रहने पर भी पारिवारिक नियमों और परिवार की परम्परा कभी समाप्त नहीं होती।

विवाह का अर्थ-

विवाह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है जो सभी समाजों में स्त्री और पुरुष को यौनिक सम्बन्धों की नियमबद्ध पूर्ति करने की अनुमति प्रदान करती है और समाज की निरन्तरता को बनाये रखने में योगदान करती है।

भारतीय समाज में विवाह एक स्थायी धार्मिक बन्धन है जिसे हिन्दू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी स्थिति में तोड़ना उचित नहीं समझा जाता।

मजूमदार और मदान

"एक कानूनी या धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषमलिंग के दो व्यक्तियों को यौनिक सम्बन्धों को स्थापित करने और उनसे सम्बन्धित सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों में भाग लेने का उन्हें अधिकार देती है।"

हॉबेल-

"विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को उनके रक्त सम्बन्धियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियन्त्रण रखती है।"

बोगार्ड्स

"विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन मे प्रवेश करने की संस्था है।"

विवाह के उद्देश्य-

मरडॉक ने विवाह के चार उद्देश्यों को महत्वपूर्ण माना है।

क. यौनिक इच्छाओं की पूर्ति

ख. परिवार की स्थापना,

ग. आर्थिक सहयोग,

घ. बच्चों के पालन पोषण के द्वारा मूल प्रवृत्ति की सन्तुष्टि

पश्चिमी समाजों की भौतिकवादी संस्कृति कें विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन सम्बन्ध स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त करना और बच्चों के जन्म को वैध रूप प्रदान करना है।

हमारे समाज में यौन-सन्तुष्टि को विवाह का सबसे गौण उद्देश्य माना गया है। हिन्दू जीवन में गृहस्थ जीवन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति केवल परिवार में रहकर ही विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन सबसे अच्छी तरह से कर सकता है।

विवाह के प्रकार-

प्रत्येक समूह की संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और परिस्थितियों के अनुसार उनमें विवाह के स्वरूप भी भिन्न-भिन्न पाये जाते है। इनमें से किसी स्वरूप को

भी नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता। विभिन्न समाजों में विवाह के प्रमुख प्रकार होते है।

१. एक विवाह

एक विवाह, विवाह का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक समय कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता।

एक विवाह का अर्थ जीवन में केवल एक बार ही विवाह करना नहीं हैं बल्कि इसमें एक पत्नी अथवा एक पति के रहते हुए कोई भी पक्ष दूसरी स्त्री अथवा दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकता। एक विवाह प्रत्येक समाज में विवाह का सर्वोत्तम नियम माना जाता है।

२. बहुपत्नी विवाह-

बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसमें एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य स्त्रियों से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

3. बहुपति विवाह-

बहुपति विवाह प्रमुख रूप से जनजातियों के जीवन से सम्बन्धित है। एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से विवाह करना या एक समय पर दो या दो अधिक पुरुषों से विवाह करने की स्थिति को बहुपति विवाह कहते हैं।

विवाह का महत्व

विभिन्न समाजों में विवाह के रूप चाहे कितने भी भिन्न क्यों न हो लेकिन एक संस्था के रूप में विवाह सर्वव्यापी है और अपने महत्व के कारण यह सभी समाजों में अनिवार्य विशेषता है।

१. पारिवारिक जीवन की स्थापना

आदिकाल में स्त्री पुरुष के यौनिक सम्बन्ध बिल्कुल अनियन्त्रित थे। तब

ऐसा कोई नियम नहीं था जिससे व्यक्तियों के जीवन को नियन्त्रण में रखा जा सके, बल्कि बच्चे के पितृत्व का निर्धारण करना भी लगभग असम्भव था इन्हीं परिस्थितियों में विकास की प्रक्रिया के द्वारा विवाह जैसी संस्था की उत्पत्ति हुयी तथा इसी के द्वारा व्यक्तियों के सम्बन्धों को व्यवस्थित किया जा सका।

२. बच्चों को वैध रूप प्रदान करना

एक संस्था के रूप में विवाह का महत्वपूर्ण कार्य बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। विवाह की अनुपस्थिति में यदि बच्चे के पितृत्व को ज्ञात न किया जा सके तो इससे बच्चों को समाज में एक सम्मानपूर्ण पद मिलने में ही कठिनाई होती है।

3. सामाजिक सम्बन्धो की सुदृढ़ता

वैवाहिक सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में ही बच्चा कुछ दूसरे व्यक्तियों से अपनी एकरूपता स्थापित करता है। यही संस्था व्यक्ति को अपने रक्त सम्बन्धियों, नातेदारों व दूसरे व्यक्तियों के बीच भेद करना सिखाती है यदि विवाह जैसी कोई संस्था समाज में न होती तो परिवार का निर्माण ही न होता।

४. व्यक्ति का समाजीकरण

व्यक्ति के समाजीकरण में भी विवाह संस्था का बहुत महत्व है। यह व्यक्ति को अपने से भिन्न विचारधारा, परम्परा और रहन-सहन के व्यक्तियों से अनुकूलन करना सिखाती है।

५. संस्कृति का संचरण

विवाह संस्था का एक मुख्य कार्य संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचरित करने में सहायता देना और संस्कृति को स्थायी बनाना है विवाह न होने पर व्यक्ति के अनुभव पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं। विवाह के द्वारा एक वंश

परम्परा का निर्माण होता है।

६. यौन सम्बन्धों की नियमबद्धता

यौनिक सन्तुष्टि व्यक्ति की जैविकीय आवश्यकता है तथा विवाह के बिना इसे संस्थागत रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। विवाह के द्वारा स्त्री-पुरुष के स्वतन्त्र सम्बन्धों की सम्भावना को कम किया जाता है और बच्चों और उनके माता-पिता के सम्बन्ध को एक आधार प्रदान किया जाता है।

आधुनिक समय में विवाह का बदलता स्वरूप

सभी समाजों में विवाह संस्था नये परिवेश ग्रहण कर रही है। कुछ समाजों में विवाह के रूप में होने वाले परिवर्तन कम है, जबकि कुछ समाजों में पूर्णतया बदल चुके है।

वर्तमान युग में विवाह के सभी नये परिवेशों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है।

१. रोमांटिक प्रेम

२. आधुनिक शिक्षा और औद्योगीकरण

३. सामाजिक अधिनियमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन

रोमांटिक प्रेम की आधुनिक सत्ता ने वैवाहिक सम्बन्धों की स्थिरता को सबसे अधिक प्रभावित किया है। रोमांटिक प्रेम एक विशेष विचारधारा है जो विवाह को एक संयोग न मानकर उसे स्त्री-पुरुष का सुविधापूर्वक बन्धन मानती है। प्रेम विवाह के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपने-अपने अधिकारों का दावा अधिक करते है, जबकि उनमें कर्तव्य का बोध बहुत कम होता है।

वैवाहिक जीवन की अपनी कुछ आवश्यकतायें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए पारस्परिक सहानुभूति और त्याग की आवश्यकता होती है। रोमांटिक प्रेम

में इसप्रकार पारिवारिक त्याग कठिनता से ही पाया जाता है।

यदि विभिन्न समाजों के आँकड़े देखे जायें तो पता चलता है कि जिन समाजों में रोमांटिक प्रेम के द्वारा विवाह जितनी अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ विवाह-विच्छेद की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है।

शिक्षा और औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी विवाह के रूप में कई परिवर्तन हुये हैं। अब कोई भी शिक्षित व्यक्ति विवाह को जन्म-जन्मान्तर का एक अटूट बन्धन नहीं समझता। आज जब कभी भी पति-पत्नी के बीच सहयोग पूर्णतया समाप्त हो जाता है तो विवाह-विच्छेद कर लेना अधार्मिक कार्य नहीं माना जाता है।

हमारे समाज में स्वतन्त्रता के बाद बनने वाले सामाजिक विधानों ने विवाह के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किये हैं इन विधानों के कारण केवल एक विवाह को ही मान्यता दी गयी। सामाजिक विधानों के सामने गोत्र, प्रवर या टोटम के प्रतिबन्धों का कोई महत्व नहीं है।

हिन्दू विवाह का अर्थ

हिन्दु जीवन में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका एक मात्र उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। इसी के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों को पूरा किया जाता है।

डॉ0 पाण्डेय के अनुसार

"हिन्दू विवाह एक धार्मिक तथा मानवीय संस्था है जिसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन में संयत मार्ग का अनुसरण करना है''।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुरुष विवाह नहीं करता उसे यज्ञ

करने का अधिकार नहीं है।

हिन्दू विवाह एक सुविधापूर्ण अथवा कानूनी सम्बन्ध न होकर पति-पत्नी के बीच स्थापित होने वाला वह धार्मिक सम्बन्ध है जिसे तोड़ना हिन्दू सामाजिक मूल्यों के विरूद्ध है। दूसरे समाजों में जहाँ विवाह को पति-पत्नी के बीच स्थापित होने वाले एक सामाजिक समझौते के रूप में देखा जाता है, वहीं हिन्दू विवाह को जन्म-जन्मान्तर के एक पवित्र बन्धन कें रूप में देखा जाता हैं।

हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो पति-पत्नी को स्थायी पारिवारिक सम्बन्धों के द्वारा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति का आदेश देने के साथ ही उन्हें पुत्र को जन्म देने की अनुमति प्रदान करता है।

हिन्दू विवाह के उद्देश्य

हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है तथा इसका मुख्य उद्देश्य व्यकित को अपने धार्मिक एवं सामाजिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के योग्य बनाना है।

१. *धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति-*

वैदिक काल से ही हिन्दू सामाजिक जीवन में विवाहित व्यक्ति का सर्वप्रमुख कर्तव्य विभिन्न यज्ञों को पूरा करना रहा है। व्यक्ति को किसी भी यज्ञ का फल तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह अपनी पत्नी के साथ धार्मिक क्रियाओं को पूरा न करे।

२. *पुत्र-प्राप्ति*

हिन्दू विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र को जन्म देकर परिवार की धार्मिक परम्परा को बनाये रखना है। ऐसा विश्वास है कि केवल पुत्र ही पूर्वजों को पिण्डदान कर सकता है तथा वंश की निरन्तरता बनाये रखने के लिए भी पुत्र का होना आवश्यक है।

३. रति

रति का तात्पर्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से काम की पूर्ति करना है। रति ऐसी क्रिया है जिसे शारीरिक एवं मानसिक सन्तुष्टि के साथ ही एक सामाजिक आवश्यकता माना जाता है।

४. व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण

हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में उस व्यक्ति को अपने परिवार और समाज में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती थी, जिसका विवाह न हुआ हो। विवाह के द्वारा समाज व्यक्ति को अनेक सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक कार्य सौंपता है।

५. व्यक्तिगत जीवन को संगठित रखना

हिन्दू विवाह एक ऐसी संस्था है जो विवाह के समय ही पति और पत्नी को उनके भावी जीवन से सम्बन्धित अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित कराती है। वैयक्तिक जीवन को संगठित बनाना हिन्दू विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

६. सामाजिक तथा नैतिक जीवन का विकास-

हिन्दू संस्कृति में वैवाहिक जीवन को एक नये जीवन के रूप देखा जाता है। विवाह के समय से ही व्यक्ति अन्य लोगों पर आश्रित न रहकर एक उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन आरम्भ करता है।

हिन्दू विवाह के नियम

१. अन्तर्विवाह का नियम

हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ही वर्ण में विवाह करें। भारतीय समाज प्रत्येक वर्ण सम्बन्धित अनेक जातियों में ही विभाजित नहीं है बल्कि अनेक भौगौलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी विभाजित है। इसप्रकार व्यक्ति को केवल अपनी ही जाति के अन्दर ही नहीं

बल्कि अपने ही सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी जाति के उसी सदस्य से विवाह करना आवश्यक है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके समान हो।

२. *बहिर्विवाह का नियम*

बर्हिविवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति पर अपनी ही जाति के अन्दर उन व्यक्तियों के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है जो उसी के गोत्र, पिण्ड तथा प्रवर के हों।

क. गोत्रबर्हिविवाह-

प्राचीन काल में जो व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र अथवा घेरे के अन्दर रहते थे, उन्हें एक गोत्र का सदस्य मान लिया जाता था। इसी विश्वास से यह धारणा विकसित हो गयी कि एक गोत्र के सभी स्त्री-पुरुषों का रक्त समान होता है इस नैतिक धारणा के कारण एक ही गोत्र के स्त्री पुरुष के बीच वैवाहिक सम्बन्धों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाने लगा।

ख. पिण्ड बहिर्विवाह-

हिन्दुओं में सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित दो तरह के नियम प्रचलित रहे हैं- मिताक्षरा तथा दायभाग।

मिताक्षरा के अनुसार पिण्ड का तात्पर्य समान रक्त कणों से है। जिन व्यक्तियों मे रक्त की समानता हाती है उन्हें सपिण्ड माना जाता है। दायभाग के अनुसार पिण्ड का तात्पर्य उन 'चावल के गोलों' से है जो श्राद्ध के समय पूर्वजों को अर्पित किये जाते है।

वर्तमान हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा भी उन व्यक्तियों के बीच विवाह को निषिद्ध माना गया है जो एक दूसरे के सपिण्ड हों।

ग. प्रवर बहिर्विवाह

प्रवर का अर्थ व्यक्तियों के उस सम्प्रदाय से है जो कुछ विशेष संस्कारों

अथवा विश्वासों से सम्बन्धित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह सम्बन्ध स्थापित न होना ही प्रवर बहिर्विवाह है।

3. *अनुलोम तथा प्रतिलोम*

अनुलोम वह नियम है। जिसके अनुसार एक पुरुष को अपने अथवा अपने से निम्नवर्ग की स्त्री से ही विवाह करने की अनुमति दी जाती है।

प्रतिलोम विवाह के समाज द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। यदि किसी दशा में एक स्त्री का विवाह अपने से निम्नवर्ग अथवा जाति के पुरुष से होता है तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है।

हिन्दू विवाह में वर्तमान परिवर्तन-

हिन्दू समाज की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पुनर्विवेचना करना आरम्भ करने तथा धर्म के किसी पक्ष को मानने या न मानने की स्वतन्त्रता है। आज हिन्दू विवाह की प्रकृति तथा इससे सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो रही है।

1. *धार्मिक पक्ष का ह्रास*

परम्परागत रूप से हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार था जिसका उद्देश्य पति-पत्नी द्वारा धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना था। वर्तमान में कर्मकाण्डीय धर्म का प्रभाव कम हो जाने के कारण विवाह का धार्मिक पक्ष कमजोर होता जा रहा है।

2. *विवाह-विच्छेद में वृद्धि*

अतीत में हिन्दू विवाह पति-पत्नी के बीच जन्म-जन्मान्तर का एक स्थायी सम्बन्ध था। आज शिक्षा तथा नगरीकरण के प्रभाव से पति-पत्नी द्वारा विवाह को मित्रता तथा सुविधा के बन्धन के रूप में देखा जाने लगा है। इसके फलस्वरूप जब

कभी भी पति-पत्नी को एक दूसरे से अनुकूलन करने में कठिनाई होती है तो वे विवाह-विच्छेद को एक अधार्मिक कृपा के रूप में नहीं देखते।

३. विवाह के नियमों में परिवर्तन

हिन्दू विवाह जिन मुख्य नियमों पर आधारित था वे सभी नियम आज तेजी से बदल रहे है। आज कोई भी व्यक्ति न तो प्रवर बहिर्विवाह को मानता है और न ही कुलीन विवाह के नियम का पालन करता है।

४. विवाह की आयु में परिवर्तन

स्मृतिकालीन धर्म के अनुसार व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह ८ से १२ वर्ष की आयु में अपनी कन्या का विवाह कर दे। भारत में लम्बे समय तक बाल विवाह का प्रचलन रहा। आज कानून के द्वारा १८ वर्ष से कम लड़की का विवाह करना एक दण्डनीय अपराध है।

५. विवाह में समझौते का समावेश

परम्परागत रूप से विवाह दो परिवारों का सम्बन्ध था लेकिन आज समाचार पत्रों में वैवाहिक विज्ञापनों के द्वारा जीवन-साथी के गुणों की रूपरेखा पहले से ही निश्चित करके आवेदनों के द्वारा जीवन-साथी का चुनाव करने की प्रवृत्ति तेजी से बढती जा रही है।

६. वैवाहिक विशेषाधिकारों की समाप्ति

हिन्दूओं में कुलीन विवाह के नियम के कारण उच्च जातियों के पुरुषों को विवाह के विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण बहुपत्नी विवाह को प्रोत्साहन मिला था।

हिन्दू विवाह की प्रकृति तथा इससे सम्बन्धित परम्परागत व्यवहारों में वर्तमान परिवर्तन से अनेक वैवाहिक कुरीतियाँ समाप्त हुयी तो इन परिवर्तनों के

कारण नई समस्याओं का भी जन्म हुआ। प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तथा विवाह विच्छेद की बढ़ती घटनाओं ने पारिवारिक जीवन में अनेक तनाव उत्पन्न किये हैं। जिनका पहले हिन्दू परिवारों मे अभाव था।

हिन्दूविवाही की समस्यायें - श्री पाणिक्कर ने लिखा है कि

"हिन्दू जीवन जंगल के पेड़ पौधों की भाँति अव्यवस्थित ढंग से बढ़ता गया। कोई रूढ़ि चाहे कितनी ही विषाक्त क्यों न थी, उसे ग्रहण करके धर्म की आड़ में उसे पवित्रता का पुट दे दिया गया। एक व्यवस्थित राजनीतिक तथा धार्मिक सत्ता के अभाव में रूढ़ियों ने बड़े स्वाभाविक ढंग से धर्माचारों का स्थान ग्रहण कर लिया और बनावटी पवित्र ग्रन्थों के सहारे अपने पर ईश्वरीय अध्यादेशों का मुलम्मा चढ़ा लिया।

इस स्थिति के परिणाम स्वरूप हिन्दू विवाह में बाल विवाह, विधवा विवाह, कुलीन विवाह, बेमेल विवाह जैसे समस्यायें उत्पन्न हो गयीं।

१. बाल विवाह

बाल विवाह का अर्थ विवाह की उस प्रथा से है जिसमें रजोदर्शन से पहले ही कन्या का विवाह कर दिया जाता है। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके युवावस्था को प्राप्त करने वाली कन्या को ही वर प्राप्त होता है।'' बाल-विवाह का प्रचलन सबसे पहले स्मृतिकारों के प्रयत्नों से आरम्भ हुआ। स्मृतिकारों ने यह व्यवस्था दी कि "आठ वर्ष की कन्या 'गौरी' होती है, नौ वर्ष की 'रोहणी' दस वर्ष की 'कन्या' और उसके पश्चात् वह 'रजस्वला' हो जाती है।

२. विधवा पुनर्विवाह का निषेध

यह विश्वास किया गया कि स्त्री के लिए विधवा होना एक दुर्भाग्य की बात

है और यह उसके पूर्वजन्म के पापों का फल है। इस आधार पर विधवा स्त्री को पवित्र संस्कारों तथा अनुष्ठानों में भाग लेने से वचिंत रखा जाने लगा। विवाह तथा दूसरे मांगलिक कार्यों में विधवा स्त्री द्वारा भाग लेना निषिद्ध समझा जाने लगा।

३. *दहेज प्रथा*

हिन्दू विवाह की समस्याओं में आज कोई भी समस्या इतनी गम्भीर नहीं है जितनी की दहेज-प्रथा। अनेक समाज सुधार आन्दोलनों और कानूनों के बाद भी आज भारत में हर तीन घण्टे पर एक नव-विवाहित स्त्री दहेज के लिए बलि हो जाती है। प्रतिवर्ष लगभग ३,००० स्त्रियों को केवल दहेज के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। कानून रूप से दहेज का अर्थ किसी भी ऐसी सम्पत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जिसे विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पहले या बाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देना अनिवार्य होता है। हमारे समाज में दहेज-प्रथा की समस्या कन्या पक्ष से ही सम्बन्धित है। शिक्षा और सामाजिक चेतना में वृद्धि होने के साथ ही यह समस्या पहले से भी अधिक गम्भीर होती जा रही है।

४. *अन्तर्जातीय विवाह पर नियन्त्रण*

अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध का प्रमुख कारण रक्त की पवित्रता को बनाये रखने की इच्छा, वैदिक संस्कृति को स्थायी रखने का प्रयत्न और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थापित किये रखने की भावना ही है। आज प्रत्येक वर्ण सैकड़ो जातियों और उपजातियों में विभाजित हैं, प्रत्येक जातीय समूह से यह आशा की जाती है कि वह अपनी जाति के बाहर विवाह सम्बन्धों की स्थापना नहीं करेगा। इस प्रकार अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध होने से विवाह का क्षेत्र निरन्तर छोटा

होता जा रहा है।

५. विवाह विच्छेद की समस्या

विवाह विच्छेद का अर्थ पति और पत्नी के वैवाहिक सम्बन्धों का सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त हो जाना है। संसार के सभी समाजों में चाहे वह सभ्य हो अथवा आदिम पति और पत्नी के बीच पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य न रहने की स्थिति में विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती है। लेकिन हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से ही स्त्री द्वारा अपने पति से विवाह-विच्छेद करना धार्मिक और सामाजिक रूप से एक भारी अपराध के रूप में देखा जा रहा है। पुरुष चाहे कितना भी क्रूर, दुराचारी और पतित क्यों न हो, विवाह विच्छेद का सारा कलंक स्त्री के ऊपर ही रहता है। पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर तत्काल ही दूसरा विवाह कर ले तो स्त्री के लिए विवाह विच्छेद की बात करना भी एक जघन्य धार्मिक अपराध समझा जाता है।

मनुस्मृति में यह व्यवस्था दे दी गयी कि पति के नीच होने पर स्त्री को किसी भी अन्य पुरुष की इच्छा न करके उसकी मन वाणी तथा देह से सेवा करनी चाहिए। यही कारण है कि भारतीय परिवार आन्तरिक रूप से चाहे कितने भी विघटित हो लेकिन साधारणतः इसकी अभिव्यक्ति विवाह विच्छेद के रूप में नहीं होती है।

आज सम्पूर्ण विश्व में नारी मुक्ति आन्दोलन की आवाज सुनाई पड़ रही है, नारी अब किसी बन्धन में नहीं रहना चाहती। पुरुषों के प्रति एक तरह के द्वेष का आन्दोलन चलाया जा रहा है।

आधुनिक काल में औरतें उच्चशिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। आज वे घर से बाहर निकल कर धन भी कमा रही हैं। राजनीति में औरतों की भागीदारी बढ़ी

है। आज औरतें घर और बाहर दोनों जगह काम करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

अक्सर सभी पति-पत्नियों के बीच आपसी तर्क वितर्क होता रहता है। चार छह महीने में एकाध दिन कुछ बात हो जाये तो माना जाता है कि सामान्यत: ऐसा होता है। पर तकरार की स्थिति बढ़ने पर बात बिगड़ती चली जाती है। पत्नी स्वयं जितना कर सकती है, करती है किन्तु यदि पति का सहयोग न मिले तो सारे कार्य बोझ हो जाते हैं। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए तो पति का सहयोग और भी जरूरी हो जाता है पति की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति यह मानने को कतई तैयार नहीं होती कि वही सर्वथा गलती पर है।

महानगरीय जीवन शैली में तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक समाज का प्रत्येक पाँचवा परिवार अलगाव का भुक्त भोगी है।

एक वक्त था जब मरकर भी शादी निभाने की नसीहत दी जाती थी। लड़कियों को मायके से डोली व ससुराल से अर्थी उठे' इस तरह की प्रवृत्ति होती थी।

समय के साथ इस नजरिये में बदलाव आता गया और रिश्तों के निभाने के स्वप्न बिखरने लगे। नतीजा तलाक की तादाद बढ़ने लगी।

शादी को भारतीय संस्कृति में भले ही एक पवित्र और दैवीय सम्बन्ध माना जाता है, लेकिन समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक विवाह को एक सौदा या समझौता मानते हैं। यह एक ऐसा सौदा है, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के अच्छे-बुरे पक्ष, एक दूसरे के प्रति अपेक्षायें और अन्य मामलों का लेखा जोखा होता है।

तलाक अब किसी सामाजिक रोक का गुलाम नहीं रहा, आज अदालतों में तलाक के लिए अर्जियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें प्रत्येक वर्ग के लोग

शामिल हैं।

आज की युवा पीढ़ी में बढ रहा उपभोक्तावाद भौतिकता और उच्च महत्वाकांक्षा ही इसकी जिम्मेदार है।

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं का मानना है कि स्वयं को रास आये इस प्रकार की जीवन शैली जीने की चाहत ही आज तलाक का मुख्य कारण बन गयी है।

आज की शादियों को इतनी भारी मात्रा में टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज इस रिश्ते में उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और सहनशक्ति या समझौते का कहीं नामोनिशान नजर नहीं आता।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी काफी हद तक तलाक को बढ़ावा दे रही है।

भारत एवं विश्व में तलाक के आँकड़े

गृहमंत्रालय के १९९८ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे विकसित माने जाने वाले देश अमेरिका में तलाक की दर सबसे ज्यादा विकसित है। आँकड़ों के अनुसार अमेरिका में तलाक दर ४.७ प्रतिशत है। उसके बाद डेनमार्क का नम्बर आता है जहाँ कि तलाक दर २.६ प्रतिशत है जबकि एशिया में सबसे ज्यादा तलाक दर ताइवान में है, यहाँ की तलाक दर २.०० प्रतिशत है। इसके अलावा जापान में १.६ प्रतिशत, सिंगापुर में १.३८ प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में १.११ प्रतिशत है।

विवाह विच्छेद का औचित्य

1. समानता के सिद्धान्त के आधार पर

वर्तमान युग प्रजातन्त्र और न्याय का युग है। जिसमें सभी स्त्री पुरुषों को

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में समानता के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति मे स्त्री और पुरुशों को पारिवारिक जीवन में भी समान अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। जब व्यावहारिक रूप से पुरुषो को स्त्री का परित्याग कराने का अधिकार है तब स्त्रियों को भी पुरुषों के दोषपूर्ण होने पर विवाह विच्छेद का अधिकार मिलना नैतिक रूप से उचित है।

२. *स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक-*

स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाने से पुरुष के मन के यह भावना उत्पन्न होगी कि स्त्री को उसके पारिवारिक अधिकार प्रदान किये जाये जिससे विवाह-विच्छेद की आंशका को समाप्त किया जा सके।

3. *पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से*

संयुक्त परिवारों में पुरुषों का दुराचारी होना स्त्री के जीवन को उतना अधिक प्रभावित नही करता था। लेकिन वर्तमान युग के एकाकी परिवारों में यदि पुरुष दुराचारी, अपराधी, क्रूर या चरित्रहीन हो तो पत्नी के लिए एक क्षण भीसुख से रहना सम्भव नहीं है। ऐसे वातावरण में बच्चों का जीवन भी विघटित हो सकता है।

४. *वैवाहिक रूढ़ियों में सुधार करने के लिए*

वर्तमान युग में हिन्दू विवाह के अधिकतर नियम रूढ़िवादी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया जाये जिससे बेमेल विवाह, बाल विवाह और परित्याग जैसी कुप्रथाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

५. *सामाजिक जीवन में सन्तुलन बनाये रखने के लिए*

आज स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक जीवन में प्रवेश कर रही हैं,

राजनीति में सक्रिय सहयोग दे रही हैं और उनमें स्वतन्त्र रूप से जीवन व्यतीत कर सकने की क्षमता दिखाई देने लगी है।

वैधानिक रूप से भी स्त्रियों को अपनी इच्छा से विवाह करने और सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हो गये है।

विवाह विच्छेद के विपक्ष में तर्क-

हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो विवाह विच्छेद को भारतीय समाज के परम्परागत संगठन के लिए हानिकारक मानते है। ऐसे व्यक्ति निम्न आधारों पर विवाह-विच्छेद का विरोध करते हैं।

१. भारतीय संस्कृति और परम्परा के प्रतिकूल

हमेशा यही कहा जाता रहा है कि हिन्दू जीवन में विवाह एक धार्मिक बन्धन है जिसे जीवन पर्यन्त तोड़ा नहीं जा सकता है। हिन्दू समाज में स्त्री का कर्तव्य बच्चों का पालन पोषण करना और धर्म-कार्यों को पूरा करना है यदि स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार दे दिया गया तो न केवल उसके मन में पुरुष के प्रति विरोधी भावनायें उत्पन्न होगीं वरन् परिवार अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करने में भी असफल रह जायेगा। विवाह विच्छेद होने से अन्तर्विवाह और कुलीन विवाह के बन्धन भी शिथिल पड़ जायेंगे जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल होगा।

२. आर्थिक दृष्टिकोण से अव्यावहारिक

भारत में स्त्रियों का एक बहुत छोटा सा भाग शिक्षित है और जो स्त्रियाँ शिक्षित हैं भी, उनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से आज भी पुरुषों पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में यदि स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार मिल गया तो आवेश में आकर वे विवाह-विच्छेद तो कर लेंगी लेकिन उनके सामने आर्थिक समस्या पहली स्थिति से भी अधिक गम्भीर रूप धारण कर लेगी।

3. पारिवारिक संगठन के लिए घातक-

यह धारणा गलत है कि स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार मिलने से परिवार अधिक संगठित हो जायेंगे बल्कि वास्तविकता यह है कि इससे पारिवारिक जीवन के कहीं अधिक विघटित हो जाने की संभावना है।

४. बच्चो की समस्या

विवाह-विच्छेद का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। भारतीय समाज का वातावरण अभी इतना उदार नहीं है कि विवाह-विच्छेदों के बाद भी बच्चों के पालन-पोषण का भार पिता अपने ऊपर ले लें, यदि ऐसा हो भी गया तो भी पुरुष का दूसरा विवाह हो जाने के कारण उन बच्चों को उचित सुविधायें मिलने की सम्भावना बहुत कम है।

इन सभी परिस्थितियों से बच्चों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि हमारे समाज में विवाह विच्छेद को मान्यता न दी जाये।

जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर विवाह विच्छेद का विरोध करते है, वे शायद भारत की मौलिक संस्कृति से परिचित नहीं हैं। केवल लकीर पीटना और रूढ़ियों को संरक्षण देना ही भारतीय संस्कृति नहीं है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे समाज का वातावरण और स्त्रियों की मनोवृत्तियाँ आज भी विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं।

वैवाहिक कुसमायोजन की समस्यायें

विवाह एक ऐसा पवित्र बन्धन है जिसमें स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर आजीवन साथ निभाने का वादा करके एक पारिवारिक जिन्दगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कभी-कभी विवाह की इस पवित्र बन्धन की रोशनी शादी के कुछ ही दिनों बाद से धीमी होने लगती है। कारण- वैवाहिक कुसमायोजन।

वैवाहिक कुसमायोजन से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से होता है जहाँ पत्नी एवं पति को एक दूसरे पर से आस्था खत्म हो जाती है और उनके वैवाहिक जिन्दगी में तरह-तरह की उलझनें एवं अड़चनें आने लगती है।

वैवाहिक कुसमायोजन के प्रमुख कारण

१. पर्यावरणी कारक

नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वैवाहिक कुसमायोजन का एक प्रमुख कारण पर्यावरणी कारण है। प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट पर्यावरणी समस्यायें होती हैं। कुछ समुदाय गंदी बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों में शराब पीना, जुआ खेलना जैसे लतें बहुत होती हैं। इन लतों का स्वाभाविक परिणाम घरेलू कलह होता है। जो उनके दाम्पत्य जीवन की कड़ी को झकझोर देता है। इससे वैवाहिक कुसमायोजन अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। जिसका अन्त सम्बन्ध-विच्छेद या अलगाव से होता है।

२. सम्बन्धात्मक कारक

वैवाहिक कुसमायोजन का एक कारक पति या पत्नी के बीच के दोषपूर्ण सम्बन्ध से है। इसका सम्बन्ध कई कारकों से होता है जिसमें एक प्रमुख कारक यौन सम्बन्ध होता है। यौन सम्बन्ध पत्नी तथा पति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित रखता है तथा उनके वैवाहिक सम्बन्ध को मजबूत रखता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये सर्वे से यह स्पष्ट हुआ कि जब किसी कारण से पति-पत्नी लैंगिक रूप से सन्तुष्ट नहीं रहते या पत्नी पति से लैगिंक रूप से सन्तुष्ट नहीं रहती है, तो वे लोग वैकल्पिक माध्यम जैसे - विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध, कुंठा को कम करने के लिए शराब पीना आदि प्रारम्भ कर देते हैं।

3. व्यक्तिगत कारक-

सफल वैवाहिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि दम्पत्ति को दो क्षेत्रों में सफलता मिले पहला तो यह कि वे निश्चित रूप से अच्छे सहयोगी हों तथा उनमें एक दूसरे के प्रति अच्छा स्नेह हो। यदि इन दोनों क्षेत्रों में से किसी एक में या दोनों में ही दम्पत्ति को असफलता मिलती है, तो इसका असर उनके वैवाहिक जीवन पर बुरा पड़ता है।

नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित कारणों को अधिक महत्वूपर्ण बतलाया है।

१. पति या पत्नी में किसी कारणवश अहम्वाद की भावना जब विकसित हो जाती है तो उनका व्यकितगत समायोजन दोषपूर्ण हो जाता है।

२. पारिवारिक उत्तरदायित्व के बँटवारे में जब पत्नी या पति के प्रति या पति का पत्नी के प्रति रूख अनुचित होता है तथा असहयोग पूर्ण होता है तो इससे भी उनका व्यक्तिगत समायोजन प्रभावित होता है।

३. ज़ब खर्च या आदमी के सम्बन्ध में पति-पत्नी एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर पाते तो इससे उनका व्यक्तिगत समायोजन प्रभावित होता है।

४. जब किसी कारण से पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे में समाप्त हो जाता है, तो इससे भी उनका व्यक्तिगत समायोजन बिगड़ने लगता है।

9. पारिवारिक चिकित्सा

नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वैवाहिक कुसमायोजन दूर करने का सबसे उत्तम तरीका पारिवारिक चिकित्सा है। जहां सिर्फ पति पत्नी को ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी जिनके साथ पति-पत्नी अन्त: क्रिया करते हैं, की मनश्चिकित्सा की जाती है। इस तरह की चिकित्सा विधि की पूर्व

कल्पना यह होती है कि वैवाहिक कुसमायोजन का कारण वह वातावरण होता है जिसमें पति-पत्नी को अधिकतर समय व्यतीत करना होता है। परिवार के अन्य सदस्यों जैसे-पिता, पुत्र, सास, श्वसुर आदि की बेरूखी मनोवृत्तियाँ वैवाहिक कुसमायोजन का स्रोत बनती हैं।

२. वैवाहिक चिकित्सा

वैवाहिक चिकित्सा एक तरह की पारिवारिक चिकित्सा ही है परन्तु इसमें चिकित्सा सत्र में सिर्फ पति-पत्नी पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनकी समस्याओं को सुनते हैं तथा उनके सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए उचित सुझाव एवं तरीका भी बतलाते हैं।

व्यक्तित्व का अर्थ

आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व व्यक्तित्व के लिए Persona शब्द का उपयोग किया जाता था। Persona शब्द का अर्थ है-नकाब अथवा वेश-भूषा। Persona शब्द के अनुसार व्यक्तित्व्व का अर्थ बाह्य गुणों से लगाया जाता है।

व्यक्तित्व की परिभाषायें

१ आलपोर्ट (१९२४) के अनुसार

" व्यक्तित्व एक व्यक्ति की उसकी विशेषताओं के अनुसार सामाजिक उद्धीपकों के प्रति की गयी प्रतिक्रिया है और वह गुण है जो वह अपनें वातावरण के सामाजिक लक्षणों से समायोजित होकर प्राप्त करता है।

२ गुथरी (१९४४) के अनुसार

" व्यक्तित्व की परिभाषा सामाजिक महत्व की उन आदतों तथा आदत संस्थानों के रुप में की जा सकती है जो स्थिर तथा परिवर्तन के अवरोध वाली होती है''।

3 *आलपोर्ट (१९३७)*

" व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है'' ।

४ *मन (१९५3) के अनुसार*

"व्यक्त्वि की परिभाषा उस अति विशेषता पूर्ण संगठन के रुप में की जा सकती है जिसमें व्यक्तित्व की संरचना व्यवहार के ढंग, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताये, योग्यतायें और अभिक्षमतायें सम्मिलित हैं'' ।

व्यक्तित्व के लक्षण

क्रच और क्रचफील्ड(१९५८) ने व्यक्तित्व लक्षणो को परिभाषित करते हुये कहा है कि लक्षण व्यक्ति की एक स्थायी विशेषता है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं में लगभगएक सा व्यवहार होता है।

आलपोर्ट ने व्यक्त्वि लक्षणों कों आठ कसौटियों के आधार पर परिभाषित किया है।

(१) लक्षण का अस्तित्व नगण्य से अधिक है।

(२) आदत की अपेक्षा लक्षण अधिक सामान्यीकृत होता है।

(३) यह गत्यात्मक होती है या कम से कम निधरिक होती है।

(४) इनके अस्तित्व को अनुभवात्मक और सांख्यिकीय आधारों पर स्थापित किया जा सकता है।

(५) व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण एक दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं।

(६) मनोवैज्ञानिक रुप से व्यक्तित्व लक्षण वह नहीं है जो नैतिक गुण हैं।

(७) वह कार्य और आदतें जो लक्षणों के अनुकूल नहीं होते हैं।उनके द्धारा लक्षणों के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है।

(८) लक्षण अपूर्व होते है तथा सार्वभौमिक होते है।

व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व

(१) अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ-

नलिका विहीन ग्रन्थियाँ वे है जिनका स्राव सीधे रक्त में जाता है। यह स्राव रक्त में बिना किसी नलिका के जाता है। इन ग्रन्थियों से जो स्राव निकलते है उन्हें हारमोन्स कहते है।

अ. सर्वकिंवी ग्रन्थि-

यह ग्रन्थि पेट के पास ड्यूडिनम के ट्यूज से सम्बन्धित होती है। इस ग्रन्थि के दो भाग होते हैं परन्तु दोनों भागों से सम्बन्धित रचनाऐं एक ग्रन्थि के रूप में ही दिखलायी देती हैं। इस ग्रन्थि की प्रथम संरचना महत्वपूर्ण पाचक रस का स्राव करती है। यदि इस ग्रन्थि की यह संरचना अपना कार्य करना बन्द कर देती है तो पाचन शक्ति अव्यवस्थित हो जाती है।

ब. थाइराइड ग्रन्थि -

यह ग्रन्थि गले में श्वास पाइप के इधर-उधर स्थित होती है इसलिए इसे गल ग्रन्थि कहते है। इस ग्रन्थि में दो भाग होते है और दोनों भाग एक विशिष्ठ संरचना द्वारा जुड़े हुये होते हैं। इस ग्रन्थि से जो स्राव निकलता है उसे थाइरॉक्सिन कहते हैं। इस द्रव में लगभग ६५ प्रतिशत आयोडीन होती है।

स. पैराथाइराइड ग्रन्थि -

मटर के दाने के आकार की यह ग्रन्थि थाहराइड ग्रन्थि के अन्दर पायी जाती है। इस ग्रन्थि का मुख्य कार्य रक्त में कैल्सियम की मात्रा को नियन्त्रित करना है, इस ग्रन्थि के समान्य रूप से कार्य करते रहने से व्यक्ति की हड्डियों व दांतों का विकास सामान्य रूप से होता है,

द. एल्डीनल ग्रन्थि-

यह ग्रन्थि गुर्दो के अन्दर की ओर स्थित होती है। प्रत्येक गुर्दे मे एक ग्रन्थि होती है और प्रत्येक ग्रन्थि में दो भाग होते है- Cortex और Medulla इस ग्रन्थि से जो स्राव निकलता है उसे एड्रीनिन कहते है।

ङ. पिट्यूटरी ग्रन्थी -

यह ग्रन्थि मस्तिष्क के वेण्ट्रल साइड में स्थित होती है। इस ग्रन्थि के दो भाग होते है- Anterior Lobe तथा Posterior Lobe इस ग्रन्थि के Anterior भाग से निकलने वाला हारमोन विभिन्न अन्त:स्रावी ग्रन्थियों से निकलने वाले स्रावों का नियन्त्रण करता है तथा इसके Posterior भाग से निकलने वाला हारमोन पिट्यूटरीन मांसपेशियों को उद्दीप्त करता है और साथ में हृदय को भी उद्दीप्त करता है।

फ. जनन ग्रन्थियाँ-

स्त्रियों में ओवरीज और पुरुषों में टेस्टीज ही जनन ग्रन्थियाँ हैं इन ग्रन्थियों से जो स्राव निकलता है उन्हें गोनेडल हारमोन्स कहते है। इनकी संख्या तीन है। Progestins, Androgens, Extrogens। इन सभी स्रावों का प्रभाव व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ता है। इन्हीं हारमोन्स के कारण पुरुष में पुरुषत्व के लक्षण जैसे- दाढ़ी, मूँछ और आवाज आदि और स्त्रियों में स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास होता है।

२. शरीर रचना और स्वास्थ्य-

शरीर रचना में व्यक्ति की लम्बाई, चौड़ाई, शरीर की बनावट, विभिन्न अंगो का अनुपात और शरीर का रंग आदि प्रमुख है। व्यक्ति का उद्दीपक मूल्य अच्छी शरीर रचना से बढ़जाता है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य और उपयुक्त

शरीर रचना का प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति के समायोजन से भी है।

३. शरीर रसायन

शरीर रसायन और व्यक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न केन्द्रों में समय-समय पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण ढंग प्रभावित करते हैं।

रक्त शर्करा का ग्लाइकोजिन रूप में परिवर्तन रासायनिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। यदि रासायनिक क्रियायें सामान्य ढंग से सम्पादित नहीं होती है तो निश्चय ही माँसपेशियों में ग्लाइकोजिन की कमी के कारण थकान शीघ्र आ जायेगी और व्यक्ति सुस्त दिखायी देगा।

४. परिपक्वता और व्यक्तित्व

गर्भकालीन अवस्था में विकास सिर से पैरों की ओर होता है। जन्म के बाद विकास का यही क्रम रहता है। परिपक्वता यह निश्चित करती है कि एक व्यक्ति क्या और किस प्रकार अधिगम करेगा। व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों का विकास अधिगम पर आधारित रहता है।

५. उत्पत्ति विषयक और शारीरिक कारक-

बालक की अधिकांश व्यक्तित्व विशेषताऐं उनके संरक्षकों के अनुरूप होती है। इन समानताओं का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ता है।

६. संरक्षकों से सम्बन्धित कारक

i. माँ का महत्व- अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जीवन के प्रारम्भिक काल में उस व्यक्ति के माँ से सम्बन्धों का प्रभाव उसके जीवन पर्यावरण सम्बन्ध

ी कारकों के देखते हुये बहुत अधिक पड़ता है।

ii. **पिता का महत्व**– माँ की तरह पिता की भी उपस्थिति, अनुपस्थिति और व्यवहार के अन्य सदस्यों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार के सदस्य बालक के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते है, उसे अच्छी बातें सिखाते है तो निश्चय ही ऐसा वातावरण बालक के व्यक्तित्व में धनात्मक लक्षणों को उत्पन्न करता है।

iii. **परिवार का आकार**– जब परिवार में माता-पिता के अतिरिक्त बच्चों की संख्या अधिक होती है, तब नवजात शिशु में भाषा संज्ञान तथा मानसिक योग्यताओं का विकास अन्य बालकों की उपस्थिति के कारण अपेक्षाकृत शीघ्र सम्पन्न होता है।

iv **परिवार का आर्थिक स्तर**– अत्यधिक गरीबी में पले बच्चों में हीनता और असुरक्षा की भावनाऐं अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती हैं।

v **सांस्कृतिक कारक**– बालक का व्यक्तित्व उस संस्कृति से भी प्रभावित होता है जिस सांस्कृतिक वातावरण में बच्चे का विकास होता है अक्सर सांस्कृतिक कारक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाये जाते है।

व्यक्तित्व का विकास-

व्यक्तित्व का विकास उस समय से ही प्रारम्भ हो जाता है जब बालक माँ के पेट में होता है। जन्म के बाद बालक का विकास तीव्र गति से चलता है।

9. जन्म से पूर्व की अवस्था

जब ओवम परिपक्व होकर गर्भित होने के लिए फेलोपियन ट्यूब में आता है जहाँ पर पुरुष जर्म सेल Spermatoza से मिलता है। स्पर मैटोजोआ जब ओवम से मिलता है तो वह ओवम की बाहरी दीवार को चीर कर न्यूक्लियस में प्रविष्ट

हो जाता है। इसके तुरन्त बाद ही ओवम की बाहरी दीवार बन्द हो जाती है ताकि दूसरा स्परमैटाजून अन्दर न जा सके। ओवम में योक नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे जीव का पोषण तब तक होता है जब तक कि वह गर्भाशय में पहुँचकर अपनी खुराक प्राप्त न करने लग जाये।

२. शैशवास्था-

नवजात शिशु की सभी ज्ञानेन्द्रियाँ कार्यशील अवस्था में होती हैं, अत: वह अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। प्रारम्भ मे वह २० घन्टे प्रतिदिन सोता है और एक साल के अन्त तक उसके नींद का समय कुल १२ घन्टे रह जाता है।

अ. शारीरिक परिपक्वता-

लगभग दो साल की अवस्था तक शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। एक साल के अन्त तक उसका भार तीन गुना हो जाता है और लम्बाई जन्म की अपेक्षा ड्योढ़ी हो जाती है। जन्म के समय सिर अपेक्षाकृत लम्बा होता है, यह सम्पूर्ण शरीर की लम्बाई का लगभग एक-चौथाई होता है।

ब. गत्यात्मक विकास-

बच्चों के न्यूरोमस्क्यूलर सिस्टम का प्रभाव उसके गत्यात्मक विकास पर पड़ता है। जैसे-जैसे बालक की माँसपेशियाँ अधिक शक्तिशाली होती जाती है, उसकी विभिन्न गतियों में समन्वय करने की क्षमता बढ़ती जाती है।

स. प्रत्यक्षपरक विकास -

नवजात शिशु से यदि कोई उद्दीपक १ या २ फीट की दूरी पर रखा जाता है, उद्दीपक यदि उसकी आँखों के सामने है तो उसकी आँखों पर उद्दीपक की स्पष्ट प्रतिमा बनती है। २ महीने की अवस्था का बालक आकृतियों से सम्बन्धित

कुछ विशिष्ट चीजों को नोट कर सकता है। जैसे माँ के चेहरे की आँखों और मुँह की कुछ गतियों को पहचानने लग जाता है।

द. सामाजिक विकास-

नवजात शिशुओं का प्रारम्भ में सम्बन्ध माँ से सर्वाधिक होता है। इसका एक मात्र कारण यह हैं कि उसकी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति माँ से होती है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है उसका सामाजिक सम्बन्ध सर्वप्रथम माँ से होता है। माँ के साथ स्थापित सामाजिक सम्बन्ध बालक में उसके अन्य सामाजिक सम्बन्धों के लिए मॉडल का कार्य करते हैं।

3. बाल अवस्था

(i) *शारीरिक और गत्यात्मक विकास -*

इस अवस्था में भी शैशवास्था की भांति शारीरिक और गत्यात्मक विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। लगभग ६ साल की अवस्था तक के बच्चे के हाथ-पैर, सिर और धड़ का अनुपात लगभग वही हो जाता है जैसा कि वयस्क व्यक्तियों में। बालक का शारीरिक विकास तथा गत्यात्मक विकास पूरी बाल्यावस्था तक चलता रहता है।

(ii) *स्वतन्त्रता-*

जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, माँ पर उसकी आश्रितता कम होती जाती है। बालक की स्वतन्त्रता माँ के प्रतिबन्ध और उसकी स्वीकृति पर आधारित होती है।

(iii) *तादात्मीकरण और भले-बुरे की भावना-*

बालक स्वतन्त्र बनने के प्रयासों में तादात्मीकरण करता है। तादात्मीकरण के द्वारा वह दूसरे लोगों के अनुरूप बनने का प्रयास करता है। प्रारम्भ में जब वह अपने आपको पर्यावरण से भिन्न समझने लगता है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता

जाता है वह अपने माता-पिता की शक्तियों को पहचानता है।

(iv) *साथी समूह और यौन कार्य-*

प्रारम्भ में बच्चे की सामाजिक अन्त: क्रियायें केवल परिवार तक सीमित रहती हैं। ५-७ वर्ष की अवस्था में बच्चा अपने साथी समूह के साथ सहयोगात्मक खेलों को भी खेलने लग जाता है। ६-७ साल की अवस्था में बच्चा अपने साथी समूह के यौन अन्तरों को पहचानने लग जाता है।

४ *किशोरावस्था*

११ साल की अवस्था में लड़कियाँ और १३ साल की अवस्था में लड़कों की शारीरिक वृद्धि अचानक तीव्र हो जाती है। कुछ साल तक यह वृद्धि इसी गति से चलती है। किशोरावस्था जैसे-जैसे परिपक्वावस्था के करीब पहुँचती जाती है वृद्धि कम होती जाती है।

(i) *यौन सम्बन्ध-*

इस अवस्था में प्रारम्भ होते ही विपरीत लिंग के लिए रूचि उत्पन्न होने लग जाती है। इस अवस्था में अपने देश के लड़के-लड़कियों के मिलने पर रोक लगा दी जाती है। परन्तु विदेशों में ऐसा नहीं है।

(ii) *मित्रता और स्वतन्त्रता-*

किशोरावस्था के प्रारम्भ होते ही मित्रता की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। कई बार लड़के और लड़कियाँ नाजुक संवेगात्मक सम्बन्धों मं बंधे हुए होते है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के स्वतन्त्रता अधिक पसन्द करते हैं।

व्यक्तित्व के प्रकार

किसी भी समाज के कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने ईसा से लगभग ४०० वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया।

इन्होंने चार प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है।

१. **मन्द**– ये वे व्यक्ति हैं जो दुर्बल शरीर वाले, स्वभाव से निरूत्तेजित और धीमे होते हैं।

२. **विषादी**– ये वे व्यक्ति हैं जो साधारण शरीर वाले और स्वभाव से निराशावादी होते हैं। इनमें चिन्ता की भी प्रधानता होती है।

३. **क्रोधी**– ये वे व्यक्ति है जो शरीर से कुछ कमजोर और स्वभाव से शीघ्र क्रोधित होने वाले होते हैं।

४. **आशावादी** ये वे व्यक्ति हैं जो अच्छे शरीर वाले होते हैं, शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं, स्वभाव से प्रसन्न और आशावान होते हैं।

युंग का वर्गीकरण-

इनके अनुसार व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं–

१. *बहिर्मुखी व्यक्तित्व-*

इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, समाजवादी, यथार्थवादी, व्यवहार कुशल, भाव प्रधान संकोचरहित, भौतिकवादी, वर्तमान को महत्व देने वाले होते हैं।

२. *अन्तर्मुखी व्यक्तित्व-*

इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति संकोची विचार प्रधान, कम व्यवहार कुशल, एकान्त प्रिय, आदर्शवादी, देर से निर्णय लेने वाले, भविष्य को महत्व देने वाले होते हैं।

व्यक्तित्व संगठन और विघटन

संसार का प्रत्येक व्यक्ति वातावरण के विभिन्न सरल से सरल या जटिल से जटिल परिस्थितियों में समायोजन अपने व्यक्तित्व गुणों के आधार पर करता

है। इस समायोजन प्रक्रिया मे जो व्यक्ति सफल होता है उस व्यक्ति को हम समायोजित कहतें है और जो व्यक्ति समायोजन करने में असफल होता है उसे कुसमायोजित कहते हैं।

समायोजित प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व संगठित प्रकार का होता है। कुसमायोजित व्यक्तियों का व्यवहार विघटित प्रकार का होता है।

अर्न्तद्वन्द्व और व्यक्तित्व-

बोरिंग (१९६०) "अन्तर्द्वन्द्व वह अवस्था है, जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी अभिप्रेरणायें उत्पन्न हो जाती हैं तथा जिनका एक साथ सन्तुष्ट होना सम्भव नही है। अन्तर्द्वन्द्व एक प्रकार की व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति है, जिससे व्यक्ति एक साथ उपस्थित दो या दो से अधिक उपस्थित अभिप्रेरणाओं के सम्बन्ध में निश्चय नहीं कर पाता है।

फ्रायड का विचार है कि इन इच्छाओं और ईगो, सुपर ईगो की इच्छाओं में व्यक्ति के मस्तिष्क में अन्तर्द्वन्द्व चलता रहता है। इन्ही अन्तर्द्वन्द्वों के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता रहता है।

सवेंग का अर्थ-

Emotion शब्द लैटिन भाषा के शब्द Emover से लिया गया है जिसका अर्थ है- भड़क उठना अथवा उद्दीप्त होना।

सवेंग भाव या अनुभूति के अति निकट होने के कारण जब भाव की मात्रा बढ़ती है तब शरीर उद्दीप्त हो जाता है, इस उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग (भय, क्रोध, प्रेम, चिन्ता, ईर्ष्या जिज्ञासा आदि) कहते है।

सवेंग की परिभाषायें

बुडवर्थ (१९४९) "प्रत्येक सवेंग एक अनुभूति है और साथ ही साथ क्रियात्मक रूप भी है''।

युंग १९४३- "सवेंग सम्पूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव हैं, इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतना अनुभव तथा अन्तरावयव क्रियायें सम्मिलित है''।

इंगलिश तथा इंगलिश (१९५८) "सवेंग एक जटिल भावना स्थिति है, इसमें गत्यात्मक तथा ग्रन्थीय क्रियायें होती है अथवा यह वह जटिल व्यवहार है जिसमें अन्तरावयव क्रियायें महत्वपूर्ण हैं।

भाव -

भाव एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग अनुभव के भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। इसमें सवेंगात्मक अनुभव भी सम्मिलित होते हैं।

भाव और सवेंदना में अन्तर

१. सवेंदना पहले उत्पन्न होती है तथा सवेंदना से भाव उत्पन्न होता है।

२. सवेंदना से बाहय उद्दीपकों का ज्ञान प्राप्त होता है जबकि भाव से व्यक्ति की आन्तरिक अवस्था का ज्ञान होता है।

३. व्यक्ति एक समय में एक ही भाव का अनुभव करता है जबकि संवेदना एक से अधिक हो सकती है।

भाव तथा सवेंग में अन्तर

१. भाव तथा सवेंग दोनों ही भावात्मक प्रक्रियाऐं है परन्तु भाव एक सरल एवं सवेंग एक जटिल प्रक्रिया है।

२. सवेंग के लिए भाव आवश्यक है। भाव के बिना सवेंग उत्पन्न हो सकते है। परन्तु भाव सवेंग के बिना उत्पन्न हो सकते हैं।

३. सवेंग आत्मगत तथा वस्तुगत दोनों ही होते है जबकि भाव केवल आत्मगत होते हैं।

संवेग की उत्पत्ति-

अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जन्म के समय बच्चें में कुछ असंक्षिप्त उत्तेजना पायी जाती है। यही असंक्षिप्त उत्तेजना साहचर्य और विभेदीकरण के आधार पर कुछ परिस्थितियों से सम्बन्धित होकर गत्यात्मक अनुक्रिया के रूप में संवेगों का रूप धारण कर लेती है।

संवेग में शारीरिक परिवर्तन

अ. बाह्य परिवर्तन

१. मुखाकृति में परिवर्तन-

भिन्न-भिन्न संवेगों में व्यक्तियों की मुखाकृतियाँ भिन्न-भिन्न होती है। कभी चेहरा पीला पड़ जाता है, कभी लाल या तमतमाया हुआ होता है। मुँह सूखने लगता है, भृकुटियाँ तन जाती है, आँखे पथरा जाती हैं आदि मुखाकृति सम्बन्धी परिवर्तन भिन्न संवेगों में देखने को मिलते है।

२ स्वर में परिवर्तन-

संवेग की अवस्था में स्वर की मात्रा, तीव्रता और गति में परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति क्रोध में तीव्र और प्रेम में मधुर स्वर में बातचीत करता है।

3. शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन-

अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न संवेगों में व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। शारीरिक मुद्रा और संवेग में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अचानक आवाज या प्रकाश का शारीरिक मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को चलित संवेग कहा जाता है।

ब. आन्तरिक परिवर्तन-

1. हृदय धड़कनों में परिवर्तन-

हृदय माँसपेशियों का एक खोल है जो सिकुड़ता और फैलता रहता है। सिकुड़ने का Systab तथा फैलने को Diastale कहते है। यह धमनियों द्वारा रक्त को सम्पूर्ण शरीर में फेंकता है तथा शिराओं द्वारा शरीर के सम्पूर्ण भाग से रक्त वापस आता है।

2. रक्तचाप तथा नाड़ी की गति में परिवर्तन-

विभिन्न संवेगों में रक्तचाप तथा नाड़ी गति परिवर्तित हो जाती है। रक्तचाप का मापन Sphygmomanometer यन्त्र द्वारा किया जाता है। नाड़ी की गति दो प्रकार की होती है। कम नाड़ी की गति Diastalic Pressure तथा अधिक नाड़ी की गति Systalic pressure कहलाता है।

3. त्वक् प्रत्युत्तर में परिवर्तन-

संवेगों में सक्रियकरण स्तर का पता लगाने का सर्वश्रेष्ठ सूचक GSR है। GSR के सम्बन्ध में दो आपत्तियाँ उठायी गयी है।– प्रथम आपत्ति इसके मापन के सम्बन्ध में है तथा द्वितीय आपत्ति यह है कि क्या GSR संवेग का माप है। वुडवर्थ का विचार है कि यदि Emotion को Activation से Replace कर दिया जाये तो दूसरी आपत्ति समाप्त हो जाती है।

4. नाड़ी संस्थान में परिवर्तन-

तीव्र संवेग जीव को आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए उसका सक्रियकरण स्तर बढ़ा देते हैं। संवेगों में स्वतन्त्र नाड़ी संस्थान CNS का महत्व है चूंकि ANS के उच्च केन्द्र 'NS' में ही होते है, अत: दोनों ही नाड़ी संस्थानों का संवेगों में महत्व है।

५. ग्रन्थीय परिवर्तन-

दुख में आँसू ग्रन्थि के सक्रिय होने से व्यक्ति के आँसू निकलते देखे जा सकते है। इसी प्रकार तीव्र भय की अवस्था में स्वैट ग्लाण्ड के क्रियाशील होने से पसीना निकलता है। एड्रीनल ग्रन्थि से जो स्राव निकलता है उसे Adrenin कहते है।

६. मस्तिष्क तरंगो में परिवर्तन-

संवेग का सक्रियकरण सिद्धान्त मस्तिष्क तरंगों के अध्ययनन पर आधारित है। तीव्र संवेगों की अवस्था में हाइपोथेलेमस के सक्रियकरण के कारण व्यक्ति का सक्रियकरण स्तर बढ़ जाता है।

७. पाचन क्रिया में परिवर्तन-

विभिन्न संवेगों में पाचन क्रिया भी परिवर्तित होती है। दुख संवेग की अवस्था में पाचन क्रिया मन्द हो जाती है तथा तीव्र क्रोध की अवस्था में पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है।

८. संवेग में अन्य परिवर्तन-

ऐक्स ने अपने प्रयोगों में पाया कि तीव्र संवेगों में प्रयोज्य के हाथ और मुँह का तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार के परिणाम क्रोध संवेग में अधिक देखने को मिले।

९. श्वास गति में परिवर्तन-

संवेगों की अवस्था में श्वास की गति परिवर्तित हो जाती है। कभी यह तीव्र तथा कभी मन्द हो जाती है। दुख संवेग में नाड़ी की गति धीमी हो जाती है कुछ भय सम्बन्धी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर श्वास की गति कुछ सेकेण्ड के लिए बन्द सी हो जाती है।

संवेग के सिद्धान्त

१. जेम्स-लान्जे का सिद्धान्त-

इस सिद्धान्त को स्नायु सिद्धान्त तथा व्यवहार सिद्धान्त के अन्तर्गत रखा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति पहले उत्तेजक तथ्य का प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षीकरण के बाद शारीरिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की अनुभूति के कारण संवेग होते हैं।

जेम्स-लान्जे ने इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कहा है कि उत्तेजना का एक या अधिक ज्ञान इन्द्रिय ग्रहण करती है। उत्तेजना ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा कार्टेक्स में पहुँचती है। सेरीबल कार्टेक्स माँसपेशियों और अन्तरावयव अंगों में शारीरिक परिवर्तन की सूचना भेजता है, फलस्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब इन परिवर्तनों की सूचना ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा सेरीबल कार्टेक्स में पहुँचती है, तब संवेग की अनुभूति होती है।

२ कैनन- बार्ड का सिद्धान्त-

यह सिद्धान्त Hypothalamic Theory, Emergency Theory के नाम से भी जाना जाता है।

कैनन-बार्ड के अनुसार उत्तेजक परिस्थिति की सूचना ज्ञान इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जाने के बाद ज्ञानवाही नाड़ियों द्वारा हाइपोथेलेमस में होती हुई कार्टेक्स में जाती है। हाइपोथेलेमस आन्तरिक अंगों और इस्केलेटल माँसपेशियों को परिवर्तन के निर्देश देता है। कार्टेक्स में संवेगात्मक अनुभूति और शारीरिक परिवर्तन साथ-साथ होते हैं।

कैनन बार्ड ने अपने इस सिद्धान्त में थेलेमस और हाइपोथेलेमस को महत्व दिया है। कैनन-बार्ड मानते है कि संवेगात्मक अनुभूति और शारीरिक परिवर्तनों

की अनुभूति ही संवेग है।

जैम्स-लान्जे और कैनन-बार्ड का तुलनात्मक अध्ययन-

James - Lange : Perception →Motar → Reaction → Visceral Arousal → Emotion

Cannon -Barel : Perception Hypothalamic Arousal → Emotion / Visceral Arousal

3. प्रेरणात्मक सिद्धान्त -

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक लीपर है। इस सिद्धान्त के अनुसार संवेगात्मक क्रियायें उसी प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होती हैं जिस प्रकार से प्रेरणात्मक क्रियायें उद्देश्यपूर्ण होती हैं। लीपर ने यह स्वीकार किया है कि ANS के सिम्पैथेटिक भाग के स्राव के कारण प्राणी कठिनतम कार्य भी कर सकता है जबकि ANS का पैरासिम्पैथेटिक भाग शरीर की शक्ति को संचित करता है तथा संवेगात्मक अवस्था में जीव के शारीरिक परिवर्तन उसको संवेगात्मक परिस्थिति के साथ सन्तुलित करने में सहायता करते हैं।

लीपर का यह सिद्धान्त संवेगों की तीव्रता जब साधारण होती है तो उस अवस्था में सही मालूम होता है।

४. शैचटर का सिद्धान्त-

शैचटर का मानना है कि हम जिन संवेगों की अनुभूति करते है उन्हें दो कारक संयुक्त रुप से प्रभावित करते है

अ) व्यक्ति के दैहिक उदोलन के साथ उसका प्रत्यक्षी करण,

ब) परिस्थितियों के सम्बन्ध में निर्णय ।

शैचटर का विचार है कि व्यक्ति की सभी संवेगात्मक अवस्थाओं में नाडी

संस्थान सामान्य किन्तु विस्तृत स्तर पर उदोलित रहता है। वातावरण की किस परिस्थिति से व्यक्ति उदोलित होता है, वह परिस्थिति व्यक्ति को इस बात के संकेत देती है कि व्यक्ति अपनी सामान्य उदोलित अवस्था को क्या नाम दे।

५ अर्नाल्ड का सिद्धान्त -

व्यक्ति की ज्ञानात्मक प्रकियायें उसकी भावनाओं की व्याख्या का तथा भावनाओं के प्रति उसके व्यवहार का नियन्त्रण करती है। इसके अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम सामने आ रहे उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है। व्यक्ति उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण तीन आधारों पर करता है १ अच्छा २ बुरा ३ उदासीन । यदि उद्दीपक अच्छा दिखाई देता है तो वह उद्दीपक को ग्रहण करना चाहेगा, यदि उद्दीपक बुरा है तो उसका त्याग करना चाहेगा, और यदि उद्दीपक उदासीन है तो वह उसकी उपेक्षा करना चाहेगा।

किसी नये उद्दीपक का मूल्यांकन व्यक्ति की स्मृतियों, गत अनुभवों से ही प्रभावित नहीं होता है कि उद्दीप्क अच्छा है या बुरा। उद्दीपक का इस प्रकार का मूल्यांकन तात्तकालिक होता है यह उद्दीपक का इस प्रकार का मूल्यांकन तात्तकालिक होता है। यह उद्दीपक का मूल्यांकन किसी भी संवेगात्मक उद्दीपक के प्रति दैहिक अनुक्रियाओं, संवेगात्मक अनुभवों, संवेगात्मक अनुक्रियाओं से पहले होता है।

अर्नाल्ड का सिद्धान्त संवेगात्मक परिस्थिति के मूल्यांकन पर बल देता है और यह विचार भी व्यक्त करता है कि संवेगात्मक अनुभव और शारीरिक क्रियाओं-दोनों का निर्धारण सेरीबल कार्टेक्स करता है।

संवेगों का विकास

अपरिपक्व शिशु भी जन्म के समय कुछ संवेगात्मक प्रतिक्रियायें प्रस्तुत

करते हैं। इन बच्चों की अपेक्षा परिपक्व बच्चे भी जन्म के समय कुछ अधिक संवेगात्मक प्रतिक्रियायें प्रस्तुत करते हैं।

संवेगात्मक व्यवहार के प्रथम लक्षणों के रूप में नवजात शिशुओं में केवल सामान्य उत्तेजनाऐं पायी जाती हैं। ये सामान्य उत्तेजनायें नवजात शिशुओं में केवल उस समय ही पायी जाती है, जब उनके सामने अधिक शक्तिशाली और तीव्र उद्दीपक प्रस्तुत किये जाते हैं।

संवेग और परिपक्वता-

गुडएनफ ने फोटोग्राफिक विधि की सहायता से एक दस वर्ष की अन्धी और बहरी बालिका के संवेगों के अध्ययन में मुखात्मक अभिव्यक्तियों के फोटोग्राफ्स लेकर इन फोटोग्राफ्स की तुलना सामान्य बालकों के संवेगों की मुखात्मक अभिव्यक्तियों के फोटोग्राफ्स से की। उसने अपने इस अध्ययन में देखा कि क्रोध, भय, प्रेम, प्रसन्नता और घृणा आदि के संवेगों का प्रदर्शन अन्धी, बहरी बालिका ने उसी प्रकार से किया। जिस प्रकार से सामान्य बालक करते हैं। उसने अपने इस अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि परिपक्वता संवेगों के विकास को प्रभावित करती है।

कुछ प्रमुख संवेग-

१. भय-

भय वह आन्तरिक अनुभूति है जिसमें प्राणी किसी खतरनाक परिस्थिति से दूर भागने का प्रयास करता है। इस संवेग की अवस्था में रोना, चिल्लाना और काँपना आदि अभिव्यक्तियाँ साधारण रूप से दिखायी देती है। भय की अवस्था में रोंगटे खड़े हो सकते है, साँस की गति व हृदय की धड़कन कुछ समय के लिए बन्द हो जाती है अथवा मन्द पड़ जाती है। भय की अवस्था में रक्तचाप

बढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते है जिनमें भय का संवेग होता है। फिर भी वह अपने भय की अभिव्यक्ति नहीं होने देते।

२. *क्रोध-*

क्रोध प्राणी की एक प्रकार की आन्तरिक अनुभूति है जिसकी उपस्थिति में प्राणी दूसरे प्राणी या वस्तु के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्रोध में उत्तेजना व तनाव दोनों ही पाये जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति रोष, खींझ और चिढ़ आदि कुछ भी प्रदर्शित कर सकता है।

जब व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं होता है तब वह क्रोध का प्रदर्शन करता है।

3. *प्रेम-*

प्रेम व्यक्ति की वह आन्तरिक अनुभूति है जिसकी उपस्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और उन्हें देखकर सुख और सन्तोष का अनुभव करता है।

बच्चा माँ को देखकर लगभग तीन महीने की अवस्था में ही मुस्कराना प्रारम्भ कर देता है। लेकिन प्रेम का संवेग शुद्ध रूप में बच्चों में इस अवस्था में नहीं पाया जाता है।

४. *ईर्ष्या -*

ईष्या के मूल में अप्रसन्नता होती है और इसकी उत्पत्ति क्रोध से होती है। बहुधा देखा गया है कि जब एक बच्चे के माता पिता उसे स्नेह न देकर दूसरे बच्चों को देते हैं तो बालक में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। नवजात शिशु के आगमन पर इस शिशु के भाई -बहिनों मे आगमन के कारण ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है।

अध्ययनों में देखा गया कि लडकों की अपेक्षा लड़कियों मे ईर्ष्या अधिक होती है। अधिक बुद्धि वाले लोगो में ईर्ष्या अधिक होती है। छोटे परिवारो के बच्चों में ईर्ष्या अपेक्षाकृत अधिक होती है।

५. ***जिज्ञासा-***

जिज्ञासा व्यक्ति के जीवन को सुरक्षात्मक रुप से उद्दीप्त करती है। वह व्यक्ति को नये अर्थों को सीखने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। जिज्ञासा व्यक्ति के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। यदि इसको व्यक्ति मे नियन्त्रित न किया जाये तो यह व्यक्तियों के लिए हानिकारक और खतरनाक सकती है। जिज्ञासु व्यक्ति अपने वातावरण की प्रत्येक वस्तु में रुचि रखता है।

६ ***चिन्ता-***

चिन्ता व्यक्ति की वह कष्टप्रद मानसिक स्थिति है जिससे वह भविष्य की विपत्तियों की आशंकाओं से व्याकुल रहता है। यह भय और परेशानी से ही विकसित होती है। चिन्ता, भय और परेशानी से भिन्न इसलिए होती है क्योंकि यह वर्तमान परिस्थिति और उद्दीपक के सम्बन्ध में न होकर पूर्वानुमानित उद्दीपक के सम्बन्ध में होती है। इसका विकास भय संवेग के बाद प्रारम्भ होता है।

७. ***आश्चर्य-***

आश्चर्य की उपस्थिति मे व्यक्ति की आँखे। फैल जाती है, होठ खुल जाते है।, साँस रुक जाती है, व्यक्ति चौ।क सकता है और काँपने का लक्षण भी दिखाई दे सकता है।

आश्चर्य उन उद्दीपकों या घटनाओं के लिए व्यक्ति करता है जिसके

लिए वह पहले से तैयार नहीं होता है अथवा जो उसकी कल्पना में नही होते हैं।

८ शोक

शोक की उपस्थिति में व्यक्ति का चेहरा उतर जाता है, शरीर कुछ सिकुड सा जाता है। आँखों में आँसू और हिचकियाँ आ सकती है। आँखों में आँसू और हिचकियाँ आ सकती हैं। गला रुँध सकता है और व्यक्ति मूर्चिछत हो सकता है। रोना चिल्लाना भी हो सकता है। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बिछुडने पर या असफलता पर या तीव्र इच्छा के विपरीत काम होने पर व्यक्ति को शोक का अनुभव होता है।

मानसिक स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ-

जब व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है।

चिकित्सकों का मत है कि मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति कहना उचित नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ्य व्यक्ति में भी कभी-कभी मानसिक बीमारी के लक्षण जैसे-आवेगशीलता, सांवेगिक अस्थिरता, अनिन्द्रा आदि के लक्षण दिखाई पड़ते हैं।

स्ट्रेन्ज (१९६५) "मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वैसे सीखे गये व्यवहार से होता है जो सामाजिक रूप से अनुकूली होते हैं और जो व्यक्ति को अपने जिन्दगी के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला करने की अनुमति देता है।"

हारविज तथा स्कीड (१९९९) "मानसिक स्वास्थ्य में कई

आयाम सम्मिलित होते हैं- आत्म-सम्मान, अपने अन्त:शक्तियों का अनुभव, सार्थक एवं उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने की क्षमता तथा मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता'' ।

मानसिक स्वास्थ्य के तत्व

जहोड़ा ने समीक्षा करके यह बताया है कि धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य के छह प्रमुख तत्व होते हैं।

१. आत्मन् के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति।

२. आदर्श वर्धन, विकास एवं आत्म-सिद्धि।

३. मानसिक समन्वय।

४. वैयक्तिक स्वतन्त्रता।

५. वातावरण का वास्तविक प्रत्यक्षण।

६. पर्याप्त पर्यावरणी निपुणता।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशे"ातायें

9. आत्म-ज्ञान

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसे अपनी प्रेरणा, इच्छा, भाव आकांक्षाओं आदि का पूर्ण ज्ञान होता है। वह क्या कर रहा है, उसकी आकांक्षायें क्या हैं आदि।

2 आत्म-मूल्यांकन-

मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति से अपने व्यवहार को तटस्थ होकर अध्ययन करता है तथा अपने व्यवहार की परिसीमाओं की परख करता है।

3 आत्म-श्रद्धा

मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्म- श्रद्धा काफी होती है जिसके कारण उसके आत्म-विश्वास, आत्म- बल तथा अपने भावों को स्वीकार

करते हुए कार्य करने की क्षमता होती है।

४ सुरक्षा का भाव-

मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति में यह भावना तीव्र होती है कि वह समाज का स्वीकृत सदस्य है तथा लोग उसके भाव का आदर करते हैं।

५ सन्तोषजनक सम्बन्ध बनाये रखने की क्षमता-

ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ सन्तोषजनक सम्बन्ध बनाये रखने से प्रसन्न होते हैं। वह कभी भी दूसरों के सामने अवास्तविक माँग नही करता है।

६ शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि-

ऐसे व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के कार्यों के प्रति एक स्वच्छ एवं ध नात्मक मनोवृत्ति रखता है।

७ रचनात्मक एवं खुश रहने की क्षमता

मानसिक रुप से स्वस्थ्य व्यक्ति अपनी क्षमता को रचनात्मक कार्य में लगाते हैं तथा उससे वे काफी खुश रहते हैं।

८ तनाव एंव अतिसंवेदनशीलता की अनुपस्थिति-

ऐसे व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न नही हो पाता है और यदि कभी हुआ भी तो वह तुरन्त ही नियन्त्रित कर लिया जाता है।

९ अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य-

ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा एवं आकर्षक होता है।

१० वास्तविक प्रत्यक्षण-

मानसिक रुप से स्वस्थ्य व्यक्ति किसी वस्तु घटना या चीज का प्रत्यक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से करते हैं वे अपनी ओर से प्रत्यक्षण करते समय कुछ काल्पनिक तथ्यों का सहारा नहीं लेते हैं।

११ स्पष्ट जीवन लक्ष्य

ऐसे व्यक्ति का एक स्पष्ट जीवन लक्ष्य होता है। वह जीवन लक्ष्य को निर्धारित कर उसे प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास करता है।

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

१ शारीरिक स्वास्थ्य

शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में गहरा सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, उनमें सामान्यत: चिन्ता, संघर्ष, विरोधाभास आदि नकारात्मक तत्व नहीं होते हैं।

२. प्रमुख आवश्यकताओं की सन्तुष्टि-

प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकतायें होती है जिनमें से कुछ प्रमुख होती है तथा कुछ गौण होती है। जिस व्यक्ति की सभी प्रमुख आवश्यकताओं की तुष्टि हो जाती है तथा अधिकतर गौण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है।

3. परिवार के सदस्यों का मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होना-

शेफर का मत है कि कुसमायोजित व्यवहार अर्जित होते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य विशेषकर यदि माता-पिता या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है, तो व्यक्ति उनके व्यवहारों से प्रभावित होकर स्वयं भी वैसा ही करने लगता है।

४. वास्तविक मनोवृत्ति की कमी-

यदि व्यक्ति में किसी कारण से वास्तविकता से हटकर काल्पनिक दुनिया में विचरण करने की आदत बन जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में घटनाओं, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति एक तरह की अवास्तविक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है,

और उनका मानसिक स्वास्थ्य धीरे–धीरे खराब हो जाता है।

५. असामाजिक वातावरण-

जब व्यक्ति को अस्वस्थ्यकर, अनैतिक एवं असामाजिक वातावरण में लगातार रहते हुये बहुत दिनों तक अन्त:क्रिया करना होता है, तो इससे उसमें दोष–भाव, आत्मनिन्दा की भावना विकसित हो जाती है जो धीरे–धीरे इनके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर बनाते चला जाता है।

६. मनोरंजन के साधन का अभाव-

यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार पर्याप्त मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते है, तो उसमें मानसिक प्रफुल्लता पायी जाती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। परन्तु यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार पर्याप्त मनोरंजन नहीं हो पाता है तो उससे इनमें मानसिक घुटन उत्पन्न हो जाती है जो धीरे–धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता जाता है।

प्रस्तुत अनुसधान के उददेश्य -

प्रस्तुत अनुसधान के प्रमुख निम्न लिखित उददेश्य हैं–

१– पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना

२– पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३– पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे) के सवेंगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक

परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थय के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्यके अन्तर्गत वास्तविकता (realistic) के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०२-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद (Joyful Living) के मध्य सार्थक अन्तरका अध्ययन करना।

४.०३-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता (autonomy) के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सवेंगात्मक स्थिरता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०१- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलरहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०२-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलरहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०३- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलरहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक

समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का वैवाहिक समायोजन सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता अध्ययन करना (Realistic) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्ता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

८. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सवेंगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०१ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सवेंगात्मक अस्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०२ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०३ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०४ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विद्यटन के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०५ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के

वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के प्रभाव का अध्ययन करना।

९. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०१ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायेाजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत वास्तविकता (Realistic) के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०२ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत हास्य विनोद (Joyful living) के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०३ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायतता (autonomy) के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०४ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत संवेगात्मक स्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०५ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे प्रति तथा पत्नी) के

वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना।

१०. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान की उपकल्पना -

प्रस्ततु अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शून्य उपकल्पनायें निर्मित की गयी।

१. पति तथा पत्नी (तलाक कीा प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

२. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सवेंगात्मक प्रतिगमन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन के मध्य कोई

सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के मध्य में काई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

४. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

४.०१- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता के मध्य कोई सार्थक अस्तर नही होगा।

४.०२- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।

४.०३- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायन्तता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।

४.०४- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सवेगात्मक स्थिरता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होग।

४.०५- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के

मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।

५- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर काई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तिगत विघटन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर कोइ सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८.०१ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक

परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

८.०२- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक के समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

८.०३- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८.०४- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८.०५- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सवेंगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

९- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

९.०१- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के

वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०२- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०३- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०४- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०५- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

१०- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व

पति और पत्नी अपनी समझदारी से अपने वैवाहिक जीवन को काफी अच्छा बना सकते है किन्तु वही उनकी न समझी वैवाहिक जीवन को निकृष्ट बना सकती है। विवाह सिर्फ शारीरिक सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन है। दो विभिन्न मानसिक क्षमतायें मिलकर एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ सकते है और इसके लिए जरूरी है कि पति-पत्नी दोनों में ही त्याग, सहनशीलता पारस्परिक समझ और सहानुभूति एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। रूचियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साझी रूचियां पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करती है और दोनों के बीच में सक्रिय संवाद बनाये रखती है वैवाहिक जीवन में प्यार और प्रसन्नता बनाये रखने के लिए तीन बिन्दू अधिक महत्वपूर्ण है।

१. एक सही साथी का चुनाव।

२. अपने साथी के प्रति एक अच्छा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

३. एक उत्साहित एवं सामंजस्यपूर्ण लैगिंक जीवन।

इसके अतिरिक्त आदर्श पति, आदर्श पत्नी की अलग-अलग विशेषतायें भी हो सकती है किन्तु उपरोक्४ वर्णित तीन बिन्दुओं के भाव में वैवाहिक जीवन में दारार पड़ना लगभग सम्भावित है।

वर्तमान जीवन में हम आधुनिकता की ओर तो बढ़ रहे है किन्तु पारस्परिक सोंच और दायरों को छोड़ भी तो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से हम कुछ ऐसे बिन्दुओं की तलाश करेंगे जिससे यह पता लग सकेगा कि तलाक की प्रक्रिया में कौन से कारकों का हाथ होता है।

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा यह भी ज्ञात होगा कि वैवाहिक समायोजन को संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य किस सीमा तक प्रभावित करता है। बर्हिमुखीा तथा अन्तर्मुखी व्यक्तित्व वैवाहिक समायोजन को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत अनुसन्धान द्वारा यह ज्ञात होगा कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन को कौन से कारक सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित पद्धति तथा अनुसन्धानों का इतिहास

सम्बन्धित अनुसन्धानों का इतिहास

प्रस्तुत अनुसधान से सम्बन्धित अध्ययन अत्यन्त कम हुए हैं किन्तु इस क्षेत्र में जो प्रमुख अध्ययन हुए है उनका विवरण इस प्रकार है :-

पारीख (१९८४)

ने तलाक के कारणों का पता लगाने के लिए १५० तलाकशुदा दम्पत्तियों का चयन किया। इनमें ७५ पुरूष, ७५ महिलायें थी जो शहरी, ग्रामीण एवं विभिन्न जाति और धर्म के थे। परिणाम बताते है कि शिक्षा स्तर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति और विवाह का प्रकार (प्रेम विवाह, सुनियोजित विवाह) आदि कारकों का तलाक की प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। प्राय: सभी सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि विवाह के पहले चार वर्षों में ही ८५ प्रतिशत पुरुष और ७५ प्रतिशत महिलाओं ने विवाह के पहले पाँच वर्ष में ही तलाक प्राप्त किया था। विवाह के ८ साल पश्चात तलाक का कोई केस नहीं पाया गया। तलाक के कारणों में प्रमुख रूप से व्यवहार असन्तुलन, पारस्परिक उपेक्षा, लैगिंक असन्तोष, संवेगात्मक व्यवहार और रिश्तों में कटुता प्रमुख कारण हैं। लगभग ७० प्रतिशत पुरुष और ३० प्रतिशत महिलायें शराब, जुआ या इसी तरह की अन्य आदतों के आदी होते हैं।

अधिकांश अध्ययन इस बात पर जोर देते है कि लैगिंक कुसमायोजन, वैवाहिक मतभेद तलाक का मुख्य कारण हैं।

छाया (१९८५),

ने मध्यम स्तरीय ४० हिन्दू दम्पत्तियों का चयन किया जिनका वैवाहिक जीवन १०-१४ वर्ष का था। पति की आयु ३५-४०, पत्नी की

आयु ३०-४० वर्ष की थी। इस न्यादर्श को चार भागों में विभाजित किया गया-

१. पति उच्चशिक्षित और विद्धान और पत्नी स्नातक या परास्नातक
२. पति शिक्षित और पत्नी अतिशिक्षित और विद्धान।
३. पति-पत्नी दोनों ही अति विद्धान।
४. पति-पत्नी दोनों ही सामान्य शिक्षित।

सिंह की वैवाहिक समायोजन अनुसूची का प्रशासन किया गया। परिणाम बताते है कि-

१. अति विद्धान पति और पत्नी के वैवाहिक समायोजन की तुलना में विद्धान पति और शिक्षित पत्नी का वैवाहिक समायोजन ०.०५ स्तर पर सार्थक था।
२. शिक्षित पति जिनकी पत्नियाँ विद्धान हैं के वैवाहिक समायोजन की तुलना में विद्धान पति का वैवाहिक समायोजन अच्छा था।
३. विद्वान पति और विद्वान पत्नी की वैवाहिक समायोजन की तुलना में उन दम्पत्तियों का वैवाहिक समायोजन अति खराब था जिनमें पत्नी विद्वान तथा पति सिर्फ शिक्षित था।
४. शिक्षित पत्नी और विद्वान पति की तुलना में विद्धान पत्नी और शिक्षित पति का वैवाहिक समायोजन सार्थक रूप से अच्छा पाया गया।
५. जब दोनों ही पति -पत्नी सामान्य शिक्षित हैं तो उनका वैवाहिक समायोजन काफी अच्छा पाया गया।

कुमार एवं रस्तोगी (१९८५),

कुछ व्यक्तित्व कारकों के सन्दर्भ में वैवाहिक समायोजन का अध्ययन किया ।३०० विवाहित हिन्दू दम्पत्ति जिनकी आयु २१-४५ वर्ष और वैवाहिक जीवन ५-२० वर्ष का था पर वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली का प्रशासन किया गया। २५ प्रतिशत उच्च समायोजित और २५ प्रतिशत निम्न समायोजित दम्पत्तियों का चयन करके सांख्यकीय गणना की गयी।

परिणाम से ज्ञात हुआ कि उच्च समायोजित पति और पत्नी संवेगात्मक रूप से संगठित, तनाव रहित एवं अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि निम्न समायोजित दम्पत्तियों में इनका अभाव होता है।

श्रीवास्तव एवं श्रीवास्तव (१९८५),

ने पारम्परिक दम्पत्तियों और आधुनिक दम्पत्तियों (दोनों कामकाजी) का तुलनात्मक अध्ययन वैवाहिक समायोजन, सामाजिक सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक तनाव के सन्दर्भ में किया।

परिणाम बताते हैं कि कामकाजी पत्नी का पति पारम्परिक परिवारों के पति की तुलना में अधिक द्वन्द्व और अनिश्चितता का अनुभव करता है। यह भी पाया गया है कि कामकाजी महिला वाले परिवार में वैवाहिक समायोजन और सामाजिक सम्बन्ध कमजोर होते हैं जिससे चिन्ता, तनाव जन्य मनोस्थितियाँ एवं मनोदैहिक रोगों को भी उत्पन्न कर देती है।

मायाम्मा और सव्यावस्थी (१९८७),

ने मनोस्नायु विकृत युक्त व्यक्तियों में वैवाहिक द्वन्द्व का अध्ययन करने के लिए ३० मनोस्नायु विकृति दम्पतियों और ३० सामान्य दम्पत्तियों का चयन किया। पति-पत्नी दोनों पर ही वैवाहिक भूमिका प्रश्नावली का

प्रशासन किया गया।

परिणाम बताते है कि मनोस्नायु विकृति वाले दम्पत्ति और उनके बच्चे अपने वैवाहिक जीवन में अधिक बाधायें महसूस करते हैं जबकि सामान्य व्यक्ति और उनके बच्चों में ऐसा नहीं होता है।

बाल (१९८८),

ने पति-पत्नी की वैवाहिक अवधि और पति-पत्नी की संयुक्त आय के सन्दर्भ में अनेक वैवाहिक समायेाजन का अध्ययन करने के लिए ३६ दोहरी आय वाले दम्पत्ति और ३६ एकाकी आय वाले दम्पत्तियों को चुना। इनमें से वैवाहिक अवधि के तीन स्तरों को चुना गया।

अ. १-३ वर्ष ब. ३-५ वर्ष स. ६-१० वर्ष।

प्रत्येक समूह में १२ दम्पत्ति थे। पटेल की समायोजन मापनी बैटरी का प्रशासन किया गया। परिणाम बताते हैं कि-

१. कामकाजी और गैर कामकाजी पत्नियों के समायोजन प्राप्तांकों में कोई अन्तर नहीं पाया गया।
२. पारिवारिक समायोजन प्राप्तांक और वैवाहिक समायोजन प्राप्तांक कामकाजी और गैर कामकाजी पत्नियों के सन्दर्भ में सार्थक रूप से काफी भिन्न पाये गये।
३. यदि वैवाहिक जीवन अच्छा है तो वो और अच्छा होता है और यदि उसमें उष्णता कम है तो उसमें और कमी आती चली जाती है।

श्रीवास्तव, सिंह और निगम (१९८८),

ने वैवाहिक समायोजन पर एक अध्ययन करने के लिए उन दम्पत्तियों का चयन किया जिनके बालक बाल सलाहकार केन्द्रों से

सहायता प्रदान कर रहे थे। ५० समायोजित, ५० कुसमायोजित माता-पिता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया गया। प्रदत्त एवं विश्लेषण सह-सम्बन्ध विधि से किया गया।

परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि विवाह के समय की उम्र पति पत्नी की आयु मे अन्तर जैसे परिवर्त्य वैवाहिक कुसमायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते है।

गुप्ता, कौर एवं अग्रवाल (१९८९),

ने २० मनोविदलता ग्रस्त माता-पिता और २० मनोस्नायुविकृत से ग्रस्त माता-पिता का चयन शहरी क्षेत्र से किया। इन व्यक्तियों में वैवाहिक अर्न्तक्रिया का अध्ययन करने के लिए असहमति स्तर और आलोचनात्मक अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली का प्रशासन किया गया।

परिणामों से ज्ञात हुआ कि-

१. मनोस्नायुविकृत युक्त माताओं का असहमति स्तर प्राप्तांक मनोविदलता युक्त माताओं के असहमति स्तर प्राप्तांक से ज्यादा था।
२. आलोचनात्मक अभिवृत्ति प्राप्ताकों के सन्दर्भ में दोनों समूहों के माता-पिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

बत्रा (१९९६),

ने २५-३० आयु वर्ग की ७५ महिलाओं और ७५ बांझ महिलाओं का अध्ययन यह जानने के लिए किया कि उनका वैवाहिक समायोजन कुण्ठा और प्रतिक्रियायें किस प्रकार की हैं।

परिणामों से पाया गया कि कुण्ठा प्रतिक्रियायें और वैवाहिक समायोजन

का बांझ और गैर बांझ की अवस्था से सीधा सम्बन्ध है।

मृणाल, माहुलकर और सिंघल (१९९७)

ने एकाकी विवाहित और तलाकशुदा महिलाओं में चिन्ता और असुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कैटिल की चिन्ता प्रश्नावली और तिवारी और सिंह की सुरक्षा और असुरक्षा मापनी का प्रशासन १८० महिलाओं पर किया। सम्पूर्ण न्यादर्श को दो भागों में विभाजित किया गय।

१. कामकाजी, गैर कामकाजी महिलायें प्रत्येक वर्ग में ९० महिलायें।

२. तीन वैवाहिक स्तर एकाकी वैवाहिक अेर तलाकशुदा प्रत्येक में ६०-६० महिलायें। २ × ३ कारकीय अभिकल्प द्वारा सांख्यकीय गणना की गयी।

परिणामों से ज्ञात हुआ कि-

१. विवाहित और एकाकी महिलाओं की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं में चिन्ता और असुरक्षा की भावना सार्थक रूप से ज्यादा थी।

२. विवाहित कामकाजी महिलाओं की तुलना में विवाहित गैर कामकाजी महिलाओं में संवेगात्मक सुरक्षा की भावना ज्यादा थी।

३. कामकाजी एकाकी महिलाओं की तुलना में गैर कामकाजी एकाकी महिलाओं में असुरक्षा की भावना सार्थक रूप से ज्यादा थी।

साहर, रहमान तथा कुरैशी (१९९१)

द्वारा ३२ मुस्लिम स्नातक तलाकशुदा पुरुष तथा महिलाओं पर मन मुटाव (alienation) का अध्ययन किया।

परिणामों द्वारा ज्ञात हुआ कि तलाकशुदा पुरुषों की अपेक्षा तलाक शुदा महिलाओं में अधिक मन मुटाव की प्रवृत्ति पाई गयी।

मिश्रा तथा मिश्रा (१९९४)

द्वारा ४० तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी के व्यक्तित्व का अध्ययन किया गया।

अनुसंधान के परिणामों के रूप में ज्ञात हुआ कि तलाक की प्रक्रिया में चल रही महिलाओं में स्वायत्तता (Autonomy) तथा आदेश (order) की प्रवृत्ति पुरुषों के अपेक्षा अधिक पाई गयी। इसी प्रकार तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पुरुषों में प्रभुत्व (Dominance) की प्रवृत्ति सार्थक रूप से अधिक पायी गयी।

बाड़ीगर एवं सरोजा (१९९८)

द्वारा ६९ तलाक शुदा पति-पत्नियों पर अध्ययन किया गया। न्यायालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आँकड़ों का संग्रह किय गया तथा १० तलाकशुदा व्यक्तियों का साक्षात्कार भी लिया गया।

प्राप्त परिणामों के आधार पर ज्ञात हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओ की जल्दी शादी हो गयी थी। अधिकांश पुरुष तथा महिलाओं द्धारा विवाह के पाँच वर्ष के अन्दर ही तलाक की अर्जी दे दी गयी थी। अधिकांश पति -पत्नी शहरी थे तथा नि:सन्तान वाले थे। मुख्यत: तलाकशुदा पुरूष तथा महिलाओं का व्यवसाय नौकरी अथवा घर का कार्य था। तलाकशुदा अधिकांश महिला तथा पुरुष एकल परिवार से सम्बन्धित थे तथा जिनका विवाह पारम्परिक ढंग से हुआ था।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत अनुसंधान से सम्बन्धित अनुसंधान प्रमुख रूप से कम ही हुए है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

तृतीय अध्याय

अनुसन्धान पद्धति तथा अनुसन्धान अभिकल्प

अनुसंधान पद्धति तथा अनुसन्धान अभिकल्प

प्रस्तुत अध्याय के अर्न्तगत निम्नलिखित बिन्दुओं का विवेचन करना अपेक्षित है

१. जनसंख्या

२. प्रतिदर्श

३. अनुसंधान अभिकल्प

४. प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्णन

५. प्रशासन प्रक्रिया

६. प्रयुक्त सांख्यकीय विधियाँ

1. जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन जालौन जनपद में तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर किया गया। यह दम्पत्ति २५-३५ आयु वर्ग के थे तथा जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर औसत स्तर का था तथा जिनके तलाक के मुकद्दमे एक साल से अधिक की अवधि से चल रहे थे।

2. प्रतिदर्श

प्रस्तुत अनुसंधान के अन्तर्गत प्रतिदर्श के रूप में तलाक की प्रक्रिया में चल रहे जालौन जनपद के २०० दम्पत्तियों (पति तथा पत्नी) का चयन किया गया। यह २०० दम्पत्तियों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया गया-

१. जिनके तलाक के मुकद्दमे एक साल से अधिक की अवधि से चल रहे थे।

२. ऐसे दम्पत्तियों का चयन किया गया जो कि २५-३५ आयु वर्ग के हों।

३. ऐसे दम्पत्तियों का चयन किया गय जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर औसत स्तर का हो।

3. *अनुसन्धान अभिकल्प*

प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व प्रकार, वैवाहिक समायोजन मानसिक स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत अनुसंधान के अर्न्तगत तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व प्रकार (अर्न्तमुखी तथा बर्हिमुखी), संवेगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना है।

वैवाहिक समायेाजन पर उक्त सभी परिवर्तियों का प्रभाव पहले ही पड़ चुका है अथवा घटित हो चुका है। वैवाहिक समायोजन के आधार पर उक्त परिवर्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाना सम्भव है अतः प्रस्तुत अनुसंधान घटनोत्तर अनुसंधान (Ex-Post-Facto Reserch) प्रकार का है। स्वतन्त्र परिवर्ती पहले ही प्रभाव डाल चुके हैं। अनुसंधानकर्ता आश्रित परिवर्ती अर्थात वैवाहिक समायोजन के आधार पर निरीक्षण कार्य प्रारम्भ करेगा। प्रस्तुत अनुसंधान में स्वतन्त्र तथा आश्रित परिवर्ती इस प्रकार है–

स्वतन्त्र परिवर्ती-

१. व्यक्तित्व प्रकार (अर्न्तमुखी तथा बर्हिमुखी)

२. मानसिक स्वास्थ्य (उच्च तथा निम्न)

३. संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न)

४. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी

आश्रित परिवर्ती-

वैवाहिक समायोजन

४. प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण-

प्रस्तुत अनुसंधान के अन्तर्गत निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया गया–

१. मानसिक स्वास्थ्य मापनी द्वारा डा० तारेश भाटिया और डा० सतीश चन्द्र शर्मा

२. संवेगात्मक परिपक्वता मापनी द्वारा डा० यशवीर सिंह तथा डा० महेश भार्गव

३. बर्हिमुखी अर्न्तमुखी व्यक्तित्व सूची द्वारा डा० तारेश भाटिया

४. वैवाहिक समायोजन सूची द्वारा डा० तारेश भाटिया तथा डा० सतीश चन्द्र शर्मा

उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है।

१. मानसिक स्वास्थ्य मापनी

द्वारा डा० तारेश भाटिया तथा डा० सतीश चन्द्र शर्मा

प्रस्तुत मापनी द्वारा व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य का मापन किया जाता है। यह क्षेत्र है वास्तविकता, हास्य विनोद, स्वायत्तता संवेगात्मक स्थिरता तथा सामजिक परिपक्वता।

अ. वास्तविकता-

उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ्य माना जाता है जो कि विभिन्न परिस्थितियों का सामना वास्तविकता के आधार पर करता है तथा

अपनी योग्यता का मूल्यांकन अपनी वास्तविक उपलब्धि के आधार पर करता है।

ब हास्य विनोद-

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की यह एक प्रमुख विशेषता होती है। एक प्रसन्न व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ माना जाता है यदि दैनिक जीवन में वह हँसी मजाक करता है तो यह उसके मानसिक रूप से स्वस्थ होने का संकेत है।

स. स्वायत्तता-

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में स्वायतता का गुण होना आवश्यक है। स्वायतता से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी योग्यता से है जिस पर वह विश्वास रखता है तथा अपने अनुभव के आधार पर स्वयं निर्णय लेता है। व्यक्ति की निर्णय योग्यता तथा विषम परिस्थितियों में कम चिन्ता तथा अन्तर्द्वन्द्व रखते हुये निर्णय लेने की योग्यता मानसिक रूप से स्वस्थ होने की सूचक है।

द. संवेगात्मक स्थिरता-

व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिरता से तात्पर्य उस योग्यता से है, जिसके अन्तर्गत वह अपने संवेगों को नियन्त्रित रूप में अभिव्यक्त करता है तथा उसके संवेगों में समय तथा स्थान के अनुरूप स्थिरता पायी जाती है।

ई. सामाजिक परिपक्वता-

सामाजिक परिपक्वता से तात्पर्य सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के समुचित व्यवहार से है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है विभिन्न सामाजिक

परिस्थितियां में उसका व्यवहार सामाजिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। यदि उसका व्यवहार इस रूप में पाया जाता है तब उसे मानसिक रूप से स्वस्थ कहना उपयुक्त होगा।

प्रस्तुत परीक्षण की विश्वसनीयता

प्रस्तुत परीक्षण की विश्वसनीयता का निर्धारण पुर्नपरीक्षण विधि द्वारा किया गया। परीक्षण का प्रशासन ४५ दिन के अन्तराल से २०० लोगों पर दो बार किया गया। प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर पुर्नपरीक्षण विश्वसनीयता गुणांक इस प्रकार ज्ञात हुआ-

क्षेत्र	पुर्नपरीक्षण विश्वसनीयता
अ. वास्तविकता	०.८२
ब. हास्यविनोद	०.७८
स. स्वायतता	०.८५
द. संवेगात्मक स्थिरता	०.७९
इ सामाजिक परिपक्वता	०.८१
योग	०.७९

वैधता-

प्रस्तुत परीक्षण की वैधता का निर्धारण विभिन्न पदों की आन्तरिक संगति के आधार पर किया गया। उच्च रूप से वैध-पदों का चयन किया गया।

प्रशासन विधि-

प्रस्तुत मापनी का प्रशासन काफी सरल है। व्यक्ति को पाँच विकल्पों मे सें किसी एक विकल्प पर सही का चिन्ह लगा कर अपनी

प्रतिक्रिया देनी होती है। यह मापनी लिकर्ट के पाँच बिन्दु पर आधारित है। इस मापनी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। सामान्यत:१५ मिनट में एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त कर देता है।

फलांकन विधि–

प्रस्तुत मापनी की फलांकन विधि अत्यधिक सरल है। प्रस्तुत मापनी में दो प्रकार के पद है सकारात्मक पद तथा नकारात्मक पद। सकारात्मक पदों का फलांकन इस रुप में किया जाता है–

५	४	३	२	१
अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत

यदि अत्यधिक सहमत पर चिहन अकिंत करता है तो ५ अंक, और यदि सहमत पर करता है तो ४ अंक, अनिश्चित पर करता है तो ३ अंक और यदि असहमत पर करता है उसे १अंक दिया जाता है। नकारात्मक पदों का फलांकन इसके विपरीत किया जाता है जो कि इस प्रकार हैं–

१	२	३	४	५
अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत

निम्नलिखित तालिका के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के सकारात्मक तथा नकारात्मक पदों का ध्यान रखते हुए फलांकन किया गया।

क्षेत्र	कुल पद	सकारात्मक पद	नकारात्मकपद
अ वास्तविकता	१०	१,६,११,१६,२१,२६ ३१,३६,४१,४६	- - -
ब हास्यविनोद	१०	२,२१,१७,२२,२७ ३२,३७,४२,४७	७
स स्वायत्तता	१०	३,८,१३,१८,२३, २८,३८,४३	३३,४८
द सवेगात्मक स्थिरता	१०	९,	४,१४,१९,२४,२९, ३४,३९,४४,४९
ड सामाजिक परिपक्वता	१०	३०,३५,४०,४५,५०	५,१०,१५,२०,२५

२ संवेगात्मक परिपक्वता मापनी

द्वारा डा0 यशवीर सिंह तथा डा0 महेश भार्गव

प्रस्तुत परीक्षण के अर्न्तगत संवेगात्मक परिपक्वता का मापन निम्न लिखित पाँच कारकों के आधार पर किया जाता है।

क संवेगात्मक अस्थिरता

इस कारक के अन्तर्गत व्यक्ति की संवेगात्मक अस्थिरता का मापन किया जाता हैं। संवेगात्मक अस्थिरता के अन्तर्गत प्रमुख लक्षण होते है समस्याओं के समाधान करने की अयोग्यता, चिड़चिड़ापन, दैनिक जीवन के कार्यों के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता, आदि प्रमुख लक्षण होते हैं।

ख संवेगात्मक दमन

संवेगात्मक दमन के अन्तर्गत प्रमुख लक्षण होते हैं हीनता की

भावना, बेचेनी, आक्रामकता तथा अपने में खोये रहना आदि।

ग सामाजिक कुसमायोजन

इस प्रकार का व्यक्ति समाज मे अपने आपको समायोजित नही कर पाता है। वह समाज के व्यक्तियों के साथ घृणा भाव रखता है, दूसरों की बुराई करता है, झूठ बोलता है तथा कामचोर होता है।

घ व्यक्तित्व विघटन

इस कारक के अन्तर्गत व्यक्ति व्यक्तित्व विघटन से सम्बन्धित लक्षणों को प्रदर्शित करता हैं। जैसे- असंगत भय, अतार्किक विचार, अनैतिकता आदि। इस प्रकार का व्यक्ति हीनता से ग्रसित होता है जिसके कारण वातावरण के प्रति अधिक आक्रामक, विध्वंसात्मक व्यवहार करता है।

संक्षेप में इस प्रकार का व्यक्ति अत्यधिक चिन्ता ग्रस्त व्यक्ति के रूप में व्यवहार करता है।

च नेतृत्व हीनता

इस कारक से प्रभावित व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होता है, अहम केन्द्रित होता है तथा उद्देश्य हीन होता है। लोग ऐसे व्यक्ति को अविश्वसनीय मानते हैं।

परीक्षण की विश्सनीयता

परीक्षण की विश्वसनीयता दो विधियों द्धारा ज्ञात की गई प्रथम पुर्नपरीक्षण विधि के अन्तर्गत कालेज के २०-२४ आयु वर्ग के १५० छात्र-छात्राओं पर छैः महीने के अन्तराल से परीक्षण को दो बार प्रशासित किया गया । प्राप्त परिणामों के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता ०. ७५ ज्ञात हुयी। परीक्षण की विश्वसनीयता द्वितीय विधि आन्तरिक संगाति

के आधार पर भी ज्ञात की गई जो कि इस प्रकार ज्ञात हुयी।

क्रम स०	कारक	विश्वसनीयता मूल्य
क	सांवेगिक अस्थिरता	.७५
ख	सांवेगिक दमन	.६३
ग	सामाजिक कुसमायोजन	.५८
घ	व्यक्तित्व विघटन	.८६
च.	नेतृत्व हीनता	०.४२

परीक्षण की वैधता

परीक्षण की वैधता का निर्धारण वाह्य कसौटी के रूप मे डा. ए. के. पी. सिन्हा तथा डा. आर पी. सिंह द्वारा निर्मित समायोजन सूची के परिणामों के साथ तुलना करके ज्ञात किया गया। संवेगात्मक परिपक्वता मापनी के परिणामों के साथ संवेगात्मक समायोजन के मध्य सह-सम्बन्ध की मात्रा ज्ञात की गयी जो कि .४६ ज्ञात हुयी।

फलांकन विधि

प्रस्तुत मापनी लिकर्ट के पाँच बिन्दु मापनी पर आधारित है। प्रत्येक पद का उत्तर अत्यधिक, बहुधा, प्राय:, तथा कभी नहीं के रुप में प्रयोज्य द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें प्रयोज्य को क्रमश: ५,४,३,२,तथा १ अकं दिया जाता है। बाद में सभी अंकों के योग के आधार पर प्रयोज्य की संवेगात्मक परिपक्वता का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार प्रयोज्य को जितने अधिक अंक प्राप्त होते हैं वह संवेगात्मक रुप से उतना ही कम परिपक्व माना जाता है।

3 बर्हिमुखी अर्न्तमुखी व्यक्तित्व सूची

द्वारा डा. तारेश भाटिया

प्रस्तुत बर्हिमुखी सूची द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन हाँ अथवा नहीं के रूप में प्राप्त उत्तरों द्वारा किया जाता है। प्रस्तुत परीक्षण की विश्वसनीयता पुर्नपरीक्षण विधि द्वारा .७६ प्राप्त हुयी तथा अर्द्धविच्छेदन विधि द्वारा .८२ ज्ञात हुई। जिससे परीक्षण की उच्च विश्वसनीयता स्पष्ट होती है। परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के उददेश्य से परीक्षण के परिणामों की तुलना बाह्य कसौटी के रूप में डा० जय प्रकाश द्वारा निर्मित परीक्षण के परिणामों से की गई जो कि .८५ ज्ञात हुयी।

फलांकन विधि-

प्रस्तुत सूची के अन्तर्गत कुल ३० पद हैं। जिनका उत्तर प्रयोज्य को हाँ अथवा नहीं में देना होता है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अनुरूप प्रत्येक पद में १ अंक प्रदान किया जाता है अन्यथा शून्य अंक दिया जाता है। बाद में सभी अंकों का योग कर तालिका में प्रयोज्य के व्यक्तित्व प्रकार का निरीक्षण किया जाता है।

पद	सही प्रतिक्रिया जिस पर एक अंक देना है।
01	No
02	No
03	No
04	Yes
05	yes
06	yes
07	Yes

08	No
09	Yes
10	No
11	Yes
12	No
13	No
14	No
15	No
16	No
17	Yes
18	Yes
19	No
20	No
21	No
22	Yes
23	Yes
24	No
25	Yes
26	No
27	No
28	No
29	N0
30	N0

कुल अंक	विवरण व्यक्तित्व प्रकार
२६ तथा अधिक	अत्यधिक बहिर्मुखी
२२ से २५	बहिर्मुखी

१० से २१	उभयमुखी
५ से ९	अर्न्तमुखी
४ तथा कम	अत्यधिक अन्तर्मुखी

४ वैवाहिक समायोजन सूची

द्वारा डॉ तारेश भाटिया तथा डा० सतीश चन्द्र शर्मा

प्रस्तुत सूची के द्वारा पति पत्नी के मध्य वैवाहिक समायोजन का मापन किया जाता है। परीक्षण में कुल २३ पद हैं जिनका उत्तर प्रयोज्य को 'हाँ' अथवा नहीं में देना होता है।

प्रस्तुत परीक्षण की विश्वसनीयता का निर्धारण पुर्नपरीक्षण विधि द्वारा किया गया है, जो कि .७९ प्राप्त हुई। अर्द्धविच्छेदन विधि द्वारा विश्वसनीयता गुणांक .८१ प्राप्त हुआ।

परीक्षण की वैधता का निर्धारण दो मानकीकृत परीक्षण के परिणामों के आधार पर किया गया । प्रस्तुत परीक्षण के परिणामों की तुलना डा०सिंह के वैवाहिक समायोजन सूची तथा कुमार एंव रोहतगी के वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली के परिणामों के साथ की गई। इस आधार पर वैधता गुणांक क्रमशः .८४ तथा . ७९ प्राप्त हुआ।

फलांकन विधि

प्रस्तुत परीक्षण में सकारात्मक तथा नकारात्मक पदों के अन्तर्गत प्रत्येक हाँ पर चिह्न लगाने पर प्रयोज्य को १ अंक दिया गया अन्यथा नहीं पर चिह्न लगाने पर शून्य अंक दिया गया। इसके विपरीत नकारात्मक पदों मे अंक दिया गया। प्रस्तुत परीक्षण में ८ नकारात्मक पद है(४,५,६,१०,१७,१८,१९,तथा२०) इन नकारात्मक पदों मे यदि प्रयोज्य

ने नहीं के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की हैतब प्रत्येक में १ अंक प्रदान किया गया अन्यथा हाँ मे उत्तर देने पर शून्य अंक प्रदान किया गया। अन्त में सभी पदों में प्राप्त अंको का योग किया गया जो कि प्रयोज्य का वैवाहिक समायोजन प्राप्तांक कहकाता है। प्रयोज्य को यह प्राप्तांक जितने अधिक प्राप्त होते है प्रयोज्य का वैवाहिक समायोजन उतना ही अच्छा माना जाता है।

५ प्रशासन प्रक्रिया

प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरुप विभिन्न परीक्षण का प्रशासन किया गया। प्रस्तुत अनुसंधान में २०० पति तथा२०० पत्नियों को अध्ययन में सम्मिलित कि या जो कि २५ से ३५ आयु वर्ग के थे तथा जिनके तलाक के मुकद्दमें एक साल से अधिक की अवधि से चल रहे थे।

सर्वप्रथम न्यायालय परिसर में जाकर उन दम्पत्तियों का पता लगाया गया जो कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। पूर्ण सूचना ऐसे दम्पत्तियों के बारे में पता लगाने के पश्चात् उन सभी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अपने अनुसन्धान का उद्देश्य बताया तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की प्रशासित किया।

इस प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों पर किया गया।

६ प्रयुक्त सांख्यकीय विधियाँ

प्रस्तुत अनुसधांन के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदत्त सकंलन के पश्चात निम्नलिखत सांख्यकीय पद्धतियों को प्रयुक्त किया गया–

अ मध्यमान

ब प्रामाणिक विचलन

स क्रान्तिक अनुपात

द प्रसरण विश्लेषण

अ मध्यमान

मध्यमान को अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है। जब किसी एक समूह के आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित किया जाता हैं और इस प्रकार जो मान प्राप्त होता हैं उसी मान को उस समूह के आँकडों का मध्यमान कहा जाता है। सम्बन्धित समूह के विषय मे यह ऐसा अंक होता है, जिसका सम्बन्ध समूह के प्रत्येक आँकडों से होता है। यह एक ऐसा स्थिर अंक होता है जो कि पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है व जिसका स्वरुप अत्यन्त सरल व बोधगम्य होता है तथा इसकी गणना भी सरल होती है।

1 अवर्गीकृत प्रदत्त से मध्यमान ज्ञात करना-

सरल शब्दो में औसत अथवा मध्यमान का अर्थ अलग- अलग प्राप्तांको के योगफल (Σ)में उनकी संख्या (N) से भाग देने पर निकाले गये मूल्य से है। विशेष रुप से अवर्गीकृत प्रदत्त का मध्यमान ज्ञात करने के लिए यही सरल विधि प्रयोग में लायी जाती है। मध्यमान प्राप्त करने की उपर्युक्त विधि को सूत्र का रुप दिया जा सकता है -

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

जहां $M =$ मध्यमान

$\Sigma =$ का योग

$X =$ प्राप्तांक

$N =$ समूह में सदस्यों की संख्या

२ वर्गीकृत प्रदत्त से मध्यमान ज्ञात करना

यद्यपि बडे समूहों के प्रदत्त को व्यवस्थित किये बिना ही मध्यमान अथवा किसी अन्य केन्द्रवर्ती मान की संगणना की जा सकती है परन्तु यह व्यवहारिक दृष्टि से सुविधा जनक नहीं होता । ऐसे प्रदत्त को व्यवस्थित करके विभिन्न सांख्यकीय गणनायें प्राप्त करने में सुविधा होती है। वास्तव में व्यवस्थित प्रदत्त से मध्यमान ज्ञात करने का अर्थ आवृत्ति- वितरण से मध्यमान ज्ञात करना है।

व्यवस्थित प्रदत्त से मध्यमान ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं-

१ दीर्घ विधि २ संक्षिप्त विधि।

दीर्घ विधि में वर्गान्तर के मध्य बिन्दु को उस वर्गान्तर की सभी संख्याओं का प्रतिनिधि मानते हैं। तत्पश्चात उन मध्य बिन्दुओं को वर्गान्तर की आवृत्तियों से गुणा कर मान प्राप्त किया जाता है। सभी के योग में आवृत्तियों की संख्या का भाग देकर मध्यमान प्राप्त किया जाता है।

सूत्र रूप में $M = \frac{\Sigma fx}{N}$

जहां $M =$ मध्यमान

$\Sigma =$ का योग

$f =$ आवृत्ति वर्गान्तर की

$X =$ मध्य बिन्दु

$N =$ आवृत्तियों का योग

संक्षिप्त विधि को कतिपय मध्यमान विधि भी कहते है। सूत्र में रूप

में हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं–

सूत्र रूप में $M = A.M + \left(\frac{\Sigma fd}{N}\right) i$

जहां $M =$ मध्यमान

$A.M =$ कल्पित मध्यमान

$\Sigma =$ का योग

$f =$ आवृत्ति

$d =$ विचलन

$N =$ आवृत्तियों का योग

$I =$ वर्ग अन्तराल

ब प्रामाणिक विचलन

प्रामाणिक विचलन विचलनशीलता के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप समझा जाता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। किसी विशिष्टि न्यादर्श का मध्यमान अपने समग्र के मध्यमान से उसी प्रकार भिन्नता प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार किसी समूह के सदस्यों की निजी योग्यतायें समूह की केन्द्रीय योग्यता से भिन्नता प्रदर्शित करती हैं।

प्रामाणिक विचलन की गणना करते समय सारी प्रक्रियायें वही होती हैं जो मध्यमान विचलन की गणना में की जाती है अन्तर केवल इतना होता है कि प्रामाणिक विचलन ज्ञात करते समय सभी विचलनों का वर्ग कर दिया जाता है और फिर उन वर्गों के योग का औसत निकालते हैं। अन्त में उस औसत का वर्गमूल ज्ञात लिया जाता है।

१ अव्यवस्थित प्रदत्त से प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना

अव्यवस्थित प्रद्रत्त से प्रामाणिक विचलन निकालने मे निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$S.D = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

जहां Σd^2 = विचलनो के वर्ग का योग

N = प्राप्तांको की संख्या

२ व्यवस्थित प्रदत्त से प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना

व्यवस्थित प्रदत्त से प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है

$$S.D = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$$

जहां Σfd^2 = विचलनों के वर्ग और आवृत्तियों के गुणनफल का योग

N = आवृत्तियों का योग

स क्रान्तिक अनुपात -

दो बडे व स्वतन्त्र समूहों के मध्यमानों के अन्तर की जाँच क्रान्तिक अनुपात परीक्षण द्वारा की जाती है। इस परीक्षण के अन्तर्गत दोंनों मध्यमानों के अन्तर को दोंनों प्रतिदर्शों की मानक त्रुटि से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वह क्रान्तिक अनुपात कहलाता है। दो मध्यमानों की विश्वसनीयता की जाँच उनके मध्यमान अन्तर तथा उनकी सम्बन्धित अन्तर की मानक त्रुटि पर आधारित होती है।

दो बडे स्वतन्त्र समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच के निम्नलिखित चरण होते हैं-

१ प्रत्येक समूह के मध्यमान की मानक त्रुटि ज्ञात करना।

२ दोनों समूहों के अन्तर की मानक त्रुटि ज्ञात करना ।

३ दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर को अन्तर की मानक त्रुटि सें विभाजित करना तथा क्रान्तिक अनुपात के मान को ज्ञात करना ।

४ दोनों समूहों की अलग-२ संख्याओं के आधार पर उपयुक्त स्वतन्त्रता के अंशों को ज्ञात करना ।

५ "टी" तालिका में सम्बन्धित स्वतन्त्रता के अंशों पर तथा नविश्वास के विभिन्न स्तरों पर सार्थकता की जाँच करना।

क्रान्तिक अनुपात का सूत्र

$$\text{क्रान्तिक अनुपात (C.R)} = \frac{M_1 - M_2}{\sigma d}$$

$$\sigma d = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}}$$

जहां M_1 = पहले समूह का मध्यमान

M_2 = दूसरे समूह का मध्यमान

σd = अन्तर की मानक त्रुटि

σ_1 = प्रथम समूह का प्रामाणिक विचलन

σ_2 = द्वितीय समूह का प्रामाणिक विचलन

N_1 = प्रथम समूह की संख्या

N_2 = द्वितीय समूह की संख्या

द प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण- विश्लेषण के मान की अभिव्यक्ति एफ अनुपात (F-Ratio) द्वारा की जाती है। जिस प्रकार टी परीक्षण का मान दो मध्यमानों के

अन्तर तथा उनके अन्तरों की मानक त्रुटि का अनुपात होता है। उसी प्रकार प्रसरण विश्लेषण मे एक अनुपात सम्बन्धित समूहों के मध्यमानों की विचलनशीलता तथा समूहों के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों की विचलनशीलता के अनुपात को व्यक्त करता है।

$$\text{एफ-अनुपात} = \frac{\text{समूहों के मध्य में मध्यमान वर्ग}}{\text{स्वंय समूहों के अन्तर्गत इकाइयों मे व्याप्त मध्यमान वर्ग}}$$

इस प्रकार प्रसरण विश्लेषण विधि एक ऐसी परीक्षण विधि है, जिससे वस्तुनिष्ठ आधार पर एक ऐसा मापदण्ड उपलब्ध हो जाता है, जिसके द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि क्या विभिन्न समूहों में व्याप्त विचलनशीलता, समूहों के अन्तर्गत व्याप्त विचलनशीलता से इतनी अधिक मात्रा में है कि जिससे यह न्यायोचित अनुमान लगाया जा सके कि विभिन्न समूहों के मध्यमान एक समान नहीं हैं और वे अलग-अलग जनसंख्याओं से लिये गये हैं।

चतुर्थ अध्याय

प्रदत्त विश्लेषण तथा विवेचना

प्रदत्त-विश्लेषण तथा विवेचन-

प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर प्रदत्त विश्लेषण तथा विवेचन निम्नलिखित दो भागों में प्रस्तुत किया गया है

भाग-अ-

पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन, व्यक्तित्व प्रकार, संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन, विश्लेषण तथा विवेचन करना।

भाग-ब

वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार, संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन, विश्लेषण तथा विवेचन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न शून्य उपकल्पनायें निर्मित की गयी हैं। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत प्रदत्त विश्लेषण द्वारा इन शून्य उपकल्पनाओं की सत्यता की जाँच तथा उनका विवेचन भी किया गया है।

भाग-अ-

प्रस्तुत भाग अ के अन्तर्गत निम्नलिखित चार उद्देश्यों से सम्बन्धित प्रदत्तो का विश्लेषण तथा विवेचन किया गया।

(१) पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

(२) पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

(३) पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

(४) पति तथा पत्नी(तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

(१) *तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन का अध्ययन*

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियो के वैवाहिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। वैवाहिक समायोजन सूची का प्रशासन कर प्राप्त अंकों की गणना की गई। दोनो समूह के वैवाहिक समायोजन प्राप्तांकों के मध्य मध्ययान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई।

पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात (Critical Ratio) की गणना की गई। प्राप्त परिणाम तालिका ४.०१ में इस प्रकार ज्ञात हुये-

तालिका-४.०१- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन प्राप्ताकों का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एंव क्रान्तिक अनुपात-

वैवाहिक समायोजन तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	३.४८	१.९५	४.१७
पत्नी	२००	२.७३	१.६५	०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर

0.01 → 2.59
0.015→ 1.97

तालिका ४.०१ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन प्राप्ताकों का मध्यमान ३.४८ है, जब कि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का वैवाहिक समायोजन प्राप्ताकों का मध्यमान २.७३प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियो की तुलना में पतियों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात (Critical ratio) की गणना की गई।

तालिका ४.०१ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ४.१७ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अशं के आधार पर .०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करना है। .०१ स्तर पर सार्थक अन्तर होने के लिए आवश्यक मान २.५९ होना चाहिए जबकि प्राप्त क्रान्तिक अनुपात का मान इस आवश्यक मान से अधिक है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन मे सार्थक अन्तर है। पतियों का वैवाहिक समायोजन पत्नियो की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार के परिणाम बार चित्र-१ द्वारा भी दृष्टिगत होते हैं।

अतः शून्य उपकल्पना (१) "पति तथा पत्नी(तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा" उक्त परिणामों के आधार पर गलत सिद्ध होती है।

(२) *तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार का अध्ययन-*

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियो के व्यक्तित्व प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

बार चित्र -१

वैवाहिक समायोजन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

बहिर्मुखी-अन्तर्मुखी सूची का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के व्यक्तित्व प्रकार प्राप्ताकों के मध्य मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई।

पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच करने के उद्‌देश्य से क्रान्तिक अनुपात के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच करने के उद्‌देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुए।

तालिका ४.०२ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात-

व्यक्तित्व प्रकार तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	१५.२१	३.६८	१.४७
पत्नी	२००	१५.८०	४.२२	> ०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.०२ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का व्यक्तित्व प्रकार बर्हिमुखी-अन्तर्मुखी प्राप्तांको का मध्यमान १५.२१ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का बर्हिर्मुखी-अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांको का मध्यमान १५.८० प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पतियों की तुलना में पत्नियाँ अधिक बहिर्मुखी हैं। उक्त परिणाम बार चित्र-२ द्वारा प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के बहिर्मुखी-अन्तर्मुखी के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन के उद्‌देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.०२ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक

बार चित्र -२

व्यक्तित्व प्रकार (अन्तर्मुखी/बर्हिमुखी)

अनुपात १.४७ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर .०५ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट नहीं करता है। अत: स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के व्यक्तित्व प्रकार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस प्रकार शून्य उपकल्पना (२) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' उक्त तथ्यों के आधार पर सत्य सिद्ध होती है।

3. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करने के उद्देश्य से संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन किया गया। संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांकों के मध्य मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुए।

तालिका- ४.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	१३५.३५	१२.१०	३.७३
पत्नी	२००	१३१.३९	८.८३	<०.०१

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.०३ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको का मध्यमान १३५.३५ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको का मध्यमान १३१.३९ प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों की संवेगात्मक परिपक्वता पत्नियों की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार के परिणाम बार चित्र-३ में प्रदर्शित हैं तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। तालिका ४.०३ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ३.७३ प्राप्त हुआ जो कि ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। अत: स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के संवेगात्मक परिपक्वता में सार्थक अन्तर है। इस प्रकार शून्य उपकल्पना (३) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' गलत सिद्ध होती है।

3.09 पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान के उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का अध्ययन करने के उद्देश्य से संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन किया गया। संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्ताकों के मध्य मध्यमान, तथा

बार चित्र -३

संवेगात्मक अपरिपक्वता

▨ पति

▨ पत्नी

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

प्रामाणिक विचलन की गणना की गई।

पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुए-

तालिका ४.०४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको का मध्यमान प्रामाणिक विचलन, क्रान्तिक अनुपात

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	३२.३५	४.३८४	२.१९
पत्नी	२००	३१.४७	३.६३	< ०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.०४ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों की संवेगातमक अस्थिरता प्राप्तांको का मध्यमान ३२.३५ है जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पत्नियों का संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको का मध्यमान ३१.४७ प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों में पत्नियों की अपेक्षा संवेगात्मक अस्थिरता अधिक है। बार चित्र-४ द्वारा इसी प्रकार के परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। तालिका ४.०४ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि क्रान्तिक अनुपात २.१९ प्राप्त हुआ जो कि ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। अतः स्पष्ट होता है कि परिपक्वता के

बार चित्र -४

संवेगात्मक अस्थिरता
पति
पत्नी
35
30
25
20
15
10
5
0
संवेगात्मक अस्थिरता प्राप्तांक
पति
पत्नी
तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के मध्य ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर है अतः शून्य उपकल्पना (३.०१) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।'' गलत सिद्ध होती है।

3.02 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का अध्ययन करने के उद्देश्य से संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन किया गया। संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांकों के मध्य मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई।

पति तथा पत्नी के संवेगात्मक प्रतिगमन के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुए-

तालिका ४.०५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	३०.१३५	४.२९	०.६८
पत्नी	२००	३०.४	३.४३	> ०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.०५ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का संवेगात्मक प्रतिगमन का प्राप्ताकों का मध्यमान ३०.१३५ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांक ३०.४ प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों में पतियों की अपेक्षा संवेगात्मक प्रतिगमन अधिक है। उक्त परिणाम बार चित्र-५ में प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। तालिका ४.०५ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ०.६८ प्राप्त हुआ है जो कि ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर की स्पष्ट नहीं करता है। अत: शून्य उपकल्पना (३.०२) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सवेंगात्मक प्रतिगमन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।'

सही सिद्ध होती है।

3.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का अध्ययन किया गया। दोनों समूहों के सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांकों के मध्य मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के सामाजिक कुसमायोजन के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार है।

बार चित्र -५

संवेगात्मक प्रतिगमन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

तालिका ४.०६ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन तथा क्रान्तिक अनुपात।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	२७.३१५	४.६२४	२.६२
पत्नी	२००	२८.३७५	३.४१३	<०.०१

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.०६ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांको का मध्यमान २७.३१५ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांको का मध्यमान २८.३७५ प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों में पतियों की अपेक्षा सामाजिक कुसमायोजन अधिक है। बार चित्र-६ में इसी प्रकार के परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक कुसमायोजन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई तालिका ४.०६ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात २.६२ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर होने के लिए आवश्यक मान २.५९ होना चाहिए जबकि प्राप्त क्रान्तिक अनुपात का मान इस मान से अधिक है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के सामाजिक कुसमायोजन में सार्थक अन्तर है।

बार चित्र -६

सामाजिक कुसमायोजन
पति
पत्नी
30
25
20
15
10
5
0
सामाजिक कुसमायोजन
पति
पत्नी
तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

अतः शून्य उपकल्पना (३.०३) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' उक्त परिणामों के आधार पर गलत सिद्ध होती है।

३.०४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का अध्ययन करना

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का अध्ययन किया गया। संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के व्यक्त्वि विघटन प्राप्तांको के मध्य मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व विघटन के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये-

तालिका ४.०७- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व विघटन प्राप्तांकों का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	२४.८५	४.६२२	२.५१
पत्नी	२००	२३.८४५	३.३५	<०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.०७ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का व्यक्तित्व विघटन प्राप्ताकों का मध्यमान २४.८५

है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का व्यक्तित्व विघटन प्राप्तांको का मध्यमान २३.८४५ प्राप्त हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों का व्यक्तित्व विघटन अधिक है। इसी प्रकार के परिणाम बार चित्र ७ में प्रदर्शित हैं तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व विघटन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.०७ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात २.५१ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामें से स्पष्ट है कि तला की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के व्यक्तित्व विघटन में सार्थक अन्तर है।

अत: शून्य उपकल्पना (३.०४) ''पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा''।

उक्त परिणामों के आधार पर गलत सिद्ध होती है।

3.0५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का अध्ययन

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का अध्ययन करने के उद्देश्य से संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रशासन किया गया। मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के नेतृत्व हीनता प्राप्तांको के मध्य मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की

बार चित्र -७

व्यक्तित्व विघटन
पति
पत्नी
25
20
15
10
5
0
व्यक्तित्व विघटन प्राप्तांक
पति
पत्नी
तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

गणना की गई। पति तथा पत्नी के नेतृत्व हीनता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये।

तालिका ४.०८ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के नेतत्व हीनता प्राप्ताकों का मध्यमान प्रामाणिक विचलन एंव क्रातिन्क अनुपात-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	२०.६४५	४.४८	६.९५
पत्नी	२००	१७.३८	४.९०	<०.०१

$0.01 \rightarrow 2.59$
$0.05 \rightarrow 1.97$

तालिका ४.०८ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों में नेतृत्व हीनता प्राप्तांको का मध्यमान २०.६४५ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का नेतृत्व हीनता प्राप्तांको का मध्यमान १७.३८ प्राप्त हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा पतियों में नेतृत्व हीनता अधिक है। उक्त परिणाम बार चित्र -८ द्वारा प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के नेतृत्व हीनता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.०८ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ६.९५ प्राप्त हुआ है। जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों की नेतृत्व हीनता में सार्थक अन्तर है।

बार चित्र -८

नेतृत्व हीनता

अतः शून्य उपकल्पना (३.०५) पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।'' उक्त परिणामों के आधार पर गलत सिद्ध होती है।

४. ***तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन-***

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंकों की गणना की गई। दोनों समूह के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्तांको के मध्य मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये-

तालिका ४.०९ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	१४१.६३	७.६५०	७.८२
पत्नी	२००	१३६.१	६.४६३	<०.०१

$0.01 \rightarrow 2.59$
$0.05 \rightarrow 1.97$

तालिका ४.०९ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का मानसिक स्वास्थ्य प्राप्तांको का मध्यमान १४१.६३ है जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का मानसिक स्वास्थ्य प्राप्तांको

का मध्यमान १३६.१ प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों का मानसिक स्वास्थ्य अधिक अच्छा है। बार चित्र -९ में परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.०९ को अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ७.८२ प्राप्त हुआ जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर है।

अत: शून्य उपकल्पना (४) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा" उक्त परिणामों के आधार पर गलत सिद्ध होती है।

४.०१ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूहों के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता प्राप्तांको के मध्य मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के वास्तविकता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की (Critical ratio) की गणना की गई प्राप्त परिणाम इस प्रकार

बार चित्र -९

मानसिक स्वास्थ्य

ज्ञात हुए

तालिका ४.१०- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	३२.४२५	३.८१२	३.११
पत्नी	२००	३१.३०५	३.३२४	<०.०१

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.१० का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वास्तविकता प्राप्तांको का मध्यमान ३२.४२५ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का वास्तविकता प्राप्तांको का मध्यमान ३१.३०५ प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों में वास्तविकता अधिक है। प्राप्त परिणाम बार चित्र -१० में प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी की वास्तविकता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.१० का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ३.११ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है।

प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों की वास्तविकता में सार्थक अन्तर है।

अतः शून्य उपकल्पना (४.०१) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में

बार चित्र -१०

वास्तविकता
पति
पत्नी
35
30
25
20
15
10
5
0
वास्तविकता प्राप्तांक
पति
पत्नी
तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' उक्त परिणामों के आधार पर गलत सिद्ध होती है।

४.०२ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्यविनोद का अध्ययन

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्यविनोद का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंकों की गणना की गई। दोनों समूहों के हास्य विनोद प्राप्तांको के मध्य मध्यमान (Mean) तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के हास्य विनोद के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये।

तालिका - ४.११ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के हास्य विनोद प्राप्तांको का मध्यमान प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	३०.३३	३.४९	०.२१
पत्नी	२००	३०.२६	३.३१	>०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.११ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का हास्य विनोद प्राप्तांको का मध्यमान ३०.३३ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का हास्य विनोद प्राप्तांको का मध्यमान ३०.२६ प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों कें

हास्य विनोद अधिक पाया गया। बार चित्र-११ में परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के हास्य विनोद के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.११ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात ०.२१ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट नहीं करती है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के हास्य-विनोद में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अत: शून्य उपकल्पना (४.०२) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा"। सही सिद्ध होती है।

4.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का अध्ययन-

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्र्तगत स्वायत्तता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूह के स्वायत्तता प्राप्तांको के मध्य मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई।

पति तथा पत्नी के स्वायत्तता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये-

बार चित्र -११

हास्य विनोद
पति
पत्नी
35
30
25
20
15
10
5
0
हास्य विनोद प्राप्तांक
पति
पत्नी
तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

तालिका ४.१२ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के स्वायत्तता प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	२९.२२	३.९४	२.४४
पत्नी	२००	२८.३४	३.१३	<०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.१२ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का स्वायत्तता प्राप्तांको का मध्यमान २९.२२ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का स्वायत्तता प्राप्तांको का मध्यमान २८.३४ है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों में स्वायत्तता अधिक है। बार चित्र-१२ में इसी प्रकार प्राप्त परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के स्वायत्तता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। तालिका ४.१२ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात २.४४ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों में सार्थक अन्तर है।

अतः शून्य उपकल्पना (४.०३) ''पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' गलत सिद्ध होती है।

बार चित्र -१२

स्वायत्तता

पति

पत्नी

४.०४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का अध्ययन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूहों के संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको के मध्य मध्यमान, तथा प्रमाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के संवेगात्मक स्थिरता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये।

तालिका ४.१३ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	२५.४५	३.९६	१.२८
पत्नी	२००	२४.९५	३.८०	>०.०५

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.१२ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको का मध्यमान २५.४५ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको का मध्यमान २४.९५ प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक है। बारचित्र-१३ में परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक स्थिरता के मध्य

बार चित्र -१३

संवेगात्मक स्थिरता

सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.१२ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि क्रान्तिक अनुपात १.२८ प्राप्त है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट नहीं करता है।

इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के संवेगात्मक स्थिरता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः शून्य उपकल्पना (४.०४) पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत संवेगात्मक स्थिरता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा''। सही सिद्ध होती हैं।

४.०५- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन :-

प्रस्तुत अनुसंधान में उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मानसिक स्वास्थ्य सूची का प्रशासन कर प्राप्त अंको की गणना की गई। दोनों समूहों के सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांको के मध्य मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। पति तथा पत्नी के सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर की जांच करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। प्राप्त परिणाम इस प्रकार ज्ञात हुये।

तलाक ४.१४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांको का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	कुल संख्या (N)	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
पति	२००	२४.१८	३.३२	९.४०
पत्नी	२००	२१.२१	२.७४	<०.०१

0.01 → 2.59
0.05 → 1.97

तालिका ४.१४ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांको का मध्यमान २४.१८ है, जबकि तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों का सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांको का मध्यमान २१.२१ प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्नियों की तुलना में पतियों में सामाजिक परिपक्वता अधिक है। बार चित्र-१४ में परिणाम प्रदर्शित हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई।

तालिका ४.१४ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि क्रान्तिक अनुपात ९.४० प्राप्त हुआ है। जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०१ प्राप्त हुआ है जो कि ३९८ स्वतन्त्रता के अंश के आधार पर ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर को स्पष्ट करता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों की सामाजिक परिपक्वता में सार्थक अन्तर है।

अतः शून्य उपकल्पना (४.०५) पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में

बार चित्र -१४

सामाजिक परिपक्वता
पति
पत्नी
25
20
15
10
5
0
सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांक
पति
पत्नी
तलाक की प्रक्रिया में चल रहे

चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' गलत सिद्ध होती है।

भाग -ब

वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन विश्लेषण तथा विवेचन करना। प्राप्त परिणामों की २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर मध्यमान, प्रामाणिक विचलन तथा प्रसरण विश्लेषण की गणना कर निम्नलिखित ६ उद्देश्यों (५-१०) का विवेचन किया गया।

५. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थांक 1 (Q_1) तथा चतुर्थांक 3(Q_3) की गणना की गई।

चर्तुथांक १ के प्राप्त मान १२ के आधार पर अन्र्तमुखी व्यक्तित्व प्रकार तथा चर्तुथांक ३ के मान १९ के आधार पर बर्हिमुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नी को अन्र्तमुखी माना गया जबकि १९ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नी की बर्हिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार (अन्तर्मुखी व बहिर्मुखी) के प्रभाव का अध्ययन करने के

उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई जिसके परिणाम तालिका ४.१५ में इस प्रकार प्राप्त हुए-

तालिका ४.१५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा उनके व्यक्तित्व प्रकार (अन्तर्मुखी व बर्हिमुखी) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	अर्न्तमुखी	बर्हिमुखी	योग
पति	कुल संख्या	५७	४०	९७
	मध्यमान	३.२६	३.४०	३.३२
	प्रामाणिक विचलन	२.०७	१.८०	१.९६
पत्नी	कुल संख्या	५२	६८	१२०
	मध्यमान	२.६५	२.५३	२.५८
	प्रामाणिक विचलन	१.७७	१.५१	१.६३
योग	कुल संख्या	१०९	१०८	२१७
	मध्यमान	२.९७	२.८५	२.९१
	प्रामाणिक विचलन	१.९६	१.६७	१.८२

तालिका ४.१५ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायेजन (मध्यमान ३.३२) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार के दम्पत्तियों की अपेक्षा (मध्यमान २.८५) अन्तर्मुखी व्यक्तित्व के दम्पत्तियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान २.९७) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। सर्वाधिक वैवाहिक समायोजन बर्हिर्मुखी पतियों (मध्यमान ३.४०) का प्राप्त हुआ है जबकि सर्वाधिक निम्न वैवाहिक समायोजन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पत्नियों (मध्यमान २.५३) प्राप्त हुआ।

तलाक की प्रक्रिया में चल रह पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका 4-16 वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार (अर्न्तमुखी व बर्हिमुखी) के सार्थक प्रभाव का २ × २ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	२८.२७	१	२८.२७	८.७०	<०.०१
ब. व्यक्तित्व प्रकार (अर्न्तमुखी व बर्हिमुखी	–	१	–	–	–
अ × ब	१.०५	१	१.०५	०.३२	>०.०५
समूहान्तर्गत	६९३.३६	२१३	३.२५	0.01→6.76 0.05→3.89	

तालिका ४.१६ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव ०.०१ स्तर पर पड़ता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान २.५९ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से ८.७० अधिक प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करतें हैं। व्यक्तित्व प्रकार के रूप में अर्न्तमुखी तथा बर्हिमुखी प्रकार वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार (अर्न्तमुखी व बर्हिमुखी) का अन्त:क्रियात्मक

प्रभाव भी सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.३२)।

अतः उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (५) ''पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' गलत सिद्ध होती है।

6- *तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।*

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया।

संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १२५ के आधार पर तथा चर्तुथांक ३ के मान १४१ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक परिपक्वता के प्राप्तांक १२५ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नियों को संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व माना गया जबकि १४१ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को निम्न संवेगात्मक परिपक्व माना गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.१७ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.१७ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता की दृष्टि से अपरिपक्व तथा परिपक्व के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व	संवेगात्मक रूप से परिपक्व	योग
पति	कुल संख्या	६५	३५	१००
	मध्यमान	३.१८	३.३४	३.२४
	प्रामाणिक विचलन	२.०८	१.७२	१.९६
पत्नी	कुल संख्या	२५	५५	८०
	मध्यमान	३.००	२.९८	२.९९
	प्रामाणिक विचलन	१.८१	१.६८	१.७२
योग	कुल संख्या	९०	९०	१८०
	मध्यमान	३.१३	३.१२	३.१३
	प्रामाणिक विचलन	२.०१	२.००	१.८६

तालिका ४.१७ का निरीक्षण करने से स्पष्ट है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.२४) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व दम्पत्तियों (मध्यमान ३.१३) तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व (मध्यमान ३.१२) दोनो का वैवाहिक समायोजन लगभग एक समान है। सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन संवेगात्मक रूप से परिपक्व पतियों का प्राप्त हुआ (मध्यमान ३.३४)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगार्तमक परिपक्वता (अपरिपक्व तथा परिपक्व) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.१८ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा सवंगात्मक परिपक्वता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश -

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	३.१४	१	३.१४	.८८	> ०.०५
ब. संवेगात्मक परिपक्वता (अपरिपक्व व परिपक्व)	०.३९२५	१	०.३९२५	०.११	-
अ × ब	१.०५	१	१.०५	०.११	> ०.०५
समूहान्तर्गत	६९३.३६	२१३	३.२५	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.१८ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों में काई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.८९ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से ०.०८८ बहुत कम प्राप्त हुआ है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। संवेगात्मक परिपक्वता का प्रभाव वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.११)।

अत: उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (६) पति तथा पत्नी

(तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा'' सत्य सिद्ध होती है।

६.09- तलाक की प्रक्रिया चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अर्न्तगत संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

उक्त उददेश्य से तलाक की प्रक्रिया मेंचल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया।

संवेगात्मक अस्थिरता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १(Q१) तथा चतुर्थांक ३ (Q३) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २९ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३४ के आधर पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक अस्थिरता के प्राप्तांको २९ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नियों में कम संवेगात्मक अस्थिरता निर्धारित की गई, जबकि ३४ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों मे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता निर्धारित गई।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक अस्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करने के उददेश्य से मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.१९में इस प्रकार प्राप्त हुए-

तालिका४.१९- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति पत्नी तथा संवेगात्मक अस्थिरता (उच्च व निम्न) के वैवाहिक समायोजन प्राप्तांको का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	संवेगात्मक रूप से अस्थिर	संवेगात्मक रूप से स्थिर	योग
पति	कुल संख्या	७१	५९	१३०
	मध्यमान	३.५९	३.४५	३.५३
	प्रामाणिक विचलन	२.२३	१.६८	२.००
पत्नी	कुल संख्या	५६	७०	१२६
	मध्यमान	२.६७	२.८	२.७५
	प्रामाणिक विचलन	१.६७	१.७६	१.७२
योग	कुल संख्या	१२७	१२९	२५६
	मध्यमान	३.१९	३.१०	३.१४
	प्रामाणिक विचलन	२.०५	१.८०	१.९१

तालिका ४.१९ का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.५३) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार संवेगात्मक रूप से अधिक अस्थिर दम्पत्तियों (मध्यमान ३.१९) तथा संवेगात्मक रूप से कम अस्थिर (मध्यमान ३.१०) दम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन में अन्तर प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन संवेगात्मक रूप से अधिक अस्थिर पतियों का प्राप्त हुआ है (मध्यमान ३.५९)

तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक अस्थिरता (कम तथा अधिक)का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की

गणना की गई-

तालिका-४.२०- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा संवेगात्मक अस्थिरता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रा के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलर रहे)	३९.४२	१	३९.४२	११.०७	<०.०१
ब. संवेगात्मक अस्थिरता (उच्च व निम्न)	-	१	-	-	-
अ × ब	०.६३५९	१	०.६३५९	०.१८	>०.०५
समूहान्तर्गत	८९७.२	२५२	३.५६	0.01 → 6.75 0.05→ 3.89	

तालिक ४.२० का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पडता है। .०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (११.०७) इस आवश्यक मान से कहीं अधिक प्राप्त हुआ है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रुप से प्रभावित करते हैं।

संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक अस्थिरता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रुप से वैवाहिक समायोजन को .०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (एफ अनुपात .१८)।

अतः उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (६.०१)

" पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के सवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नही होगा'' ।गलत सिद्ध होती है।

६.०२- ***तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगालक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन करना।***

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परियक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारण किया गया।

संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थाक १(Q_1) तथा चतुर्थाकं ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थाक १के प्राप्त मान २८के आधार पर तथा चतुर्थाक ३के मान३३ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक प्रतिगमन के प्राप्तांक २८ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नियों में कम संवेगात्मक प्रतिगमन की भावना का पाई गई,जबकि ३३ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में अधिक संवेगात्मक प्रतिगमन की भावना पाई गई।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक प्रतिगमन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.२१ में इस प्रकार प्राप्त हुए-

तालिका ४.२१ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन (उच्च व निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	संवेगात्मक रूप से अधिक	संवेगात्मक रूप से कम प्रतिगमन	योग
पति	कुल संख्या	प्रतिग[illegible]	७२	१२८
	मध्यमान	४.३३	३.५१	३.८७
	प्रामाणिक विचलन	२.०४	१.८७	१.९९
पत्नी	कुल संख्या	५८	५८	११६
	मध्यमान	२.८६	२.६२	२.७४
	प्रामाणिक विचलन	१.७६	१.६३	१.७०
योग	कुल संख्या	११४	१३०	२४४
	मध्यमान	३.५९	३.११	३.३३
	प्रामाणिक विचलन	२.०४	१.८२	१.९४

तालिका ४.२१ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.८७) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार संवेगात्मक रूप से अधिक प्रतिगमन की भावना वाले दम्पत्तियों का (मध्यमान ३.५९) तथा संवेगात्मक रूप से कम प्रतिगमन वाले दम्पत्तियों (मध्यमान ३.११) के वैवाहिक समायोजन में अन्तर है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २ × २ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.२२ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक प्रतिगमन के सार्थक प्रभाव का २ × २ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	८४.८४	१	८४.८४	७.७२	<०.०१
ब. संवेगात्मक प्रतिगमन (उच्च व निम्न)	१७.५७	१	१७.५७	१.५९	>०.०५
अ × ब	५.२४	१	४.२४	०.३८	>०.०५
समूहान्तर्गत	२६३९.०७	२४०	१०.९९	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.२२ का निरीक्षण करन से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से (७.७२) कहीं अधिक है।

अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी, वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते है। (एफ अनुपात ७.७२)। संवेगात्मक प्रतिगमन का प्रभाव वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है (एफ अनुपात १.५९)। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी तथा सवेंगात्मक प्रतिगमन का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.३८)।

अतः उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (६.०२) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा" गलत सिद्ध होती है।

६.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया।

सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २५ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३० के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार सामाजिक कुसमायोजन के प्राप्तांक २५ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नियों को अधिक सामाजिक समायोजन का निर्धारित किया गया जबकि ३० तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति पत्नियों के सामाजिक कुसमायोजन के रूप में निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर सामाजिक कुसमायोजन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.२३ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.२३ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन (उच्च व निम्न) के वैवाहिक समायोजन प्राप्तांको का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	सामाजिक कुसमायोजन	सामाजिक समायोजित	योग
पति	कुल संख्या	६६	६१	१२७
	मध्यमान	३.२८	३.४०	३.३४
	प्रामाणिक विचलन	१.९३	२.०३	१.९८
पत्नी	कुल संख्या	८४	३६	१२०
	मध्यमान	२.७८	२.५८	२.७२
	प्रामाणिक विचलन	१.६१	१.६८	१.६३
योग	कुल संख्या	१५०	९७	२४७
	मध्यमान	३.०१	३.१०	३.०४
	प्रामाणिक विचलन	१.७६	१.९४	१.८४

तालिका ४.२३ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.३४) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार संवेगात्मक रूप से सामाजिक कुसमायोजित दम्पत्तियों का (मध्यमान ३.०१) तथा संवेगात्मक रूप से सामाजिक समायोजित दम्पत्तियों (मध्यमान ३.१०) के वैवाहिक समायोजन में काफी अन्तर प्राप्त हुआ है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे सामाजिक समायोजित पतियों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा है (मध्यमान ३.४०)। तलाक की प्रक्रिया में चल रही सामाजिक कुसमायोजित पत्नियों का वैवाहिक समायोजन सबसे अधिक खराब है

(मध्यमान २.५८)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २ ×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.२४ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा सामाजिक कु समायोजन के सार्थक प्रभाव का २ ×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलर रहे)	२४.७९	१	२४.७९	७.३१	< ०.०१
ब. सामाजिक कुसमायोजन (उच्च व निम्न)	–	१	–	–	
अ × ब	१.१३	१	१.१३	०.३३	<०.०५
समूहान्तर्गत	८२३.१७	२४३	३.३९	0.01 → 6.76 0.05→ 3.89	

तालिका ४.२४ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों में सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से (७.३१) अधिक है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते है।

सामाजिक कुसमायोजन (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर कोई

प्रभाव नहीं पड़ता है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा सामाजिक कुसमायोजन का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.३३)।

अत: उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (६.०३) ''पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' गलत सिद्ध होती है।

६.०४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के सवेंगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया।

व्यक्तित्व विघटन प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थाक १ के प्राप्त मान २१ के आधार पर तथा चतुर्थाक ३ के मान २८ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व विघटन के प्राप्तांक २१ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नियों का व्यक्तित्व विघटन कम निर्धारित किया गया, जबकि २८ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में अधिक व्यक्तित्व विघटन के रूप में निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व विघटन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.२५ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.२५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन (उच्च व निम्न) के वैवाहिक समायोजन प्राप्तांको का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	व्यक्तित्व विघटन (उच्च)	व्यक्तित्व विघटन (निम्न)	योग
पति	कुल संख्या	५९	५४	११३
	मध्यमान	३.११	३.८१	३.४५
	प्रामाणिक विचलन	२.००	१.९६	२.०१
पत्नी	कुल संख्या	३५	६१	९६
	मध्यमान	३.०५	३.०३	३.०४
	प्रामाणिक विचलन	१.८०	१.६९	१.७३
योग	कुल संख्या	९४	११५	२०९
	मध्यमान	३.०९	३.४०	३.२६
	प्रामाणिक विचलन	१.९२	१.८६	१.८९

तालिका ४.२५ का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायेजन (मध्यमान ३.४५) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार अधिक व्यक्तित्व विघटन वाले दम्पत्तियों का मध्यमान (मध्यमान ३.०९) तथा कम व्यक्तित्व विघटन वाले दम्पत्तियों (मध्यमान ३.४०) के वैवाहिक समायेजन में अन्तर है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व विघटन का

वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २ × २ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.२६ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व विघटन के सार्थक प्रभाव का २ × २ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	८.९८	१	८.९८	२.५०	< ०.०५
ब. व्यक्तित्व विघटन उच्च व निम्न	५.४८	१	५.४८	१.५३	> ०.०५
अ × ब	६.४८	१	६.४८	१.८१	> ०.०५
समूहान्तर्गत	७३४.११	२०५	३.५८	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.२६ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायेाजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.८९ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से अधिक हैं (एफ अनुपात २.५०)।

अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं ।

व्यक्तित्व विघटन का तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों पर ०.०५ स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है (एफ अनुपात १.५३)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व विघटन का

अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायेाजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (एफ अनुपात १.८१)

अत: उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (६.०४) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।" गलत सिद्ध होती है।

६.०५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सवेंगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन।

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया।

नेतृत्वहीनता प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १५ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान २२ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार नेतृत्व हीनता के प्राप्तांक १५ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में नेतृत्व हीनता कम पाई गई जबकि २२ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में अधिक नेतृत्व हीनता का निर्धारण किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर नेतृत्वहीनता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.२७ में इस प्रकार प्राप्त हुए-

४.२७ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता (उच्च तथा निम्न) के वैवाहिक समायोजन प्राप्तांको का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	नेतृत्व हीनता (उच्च)	नेतृत्व हीनता (निम्न)	योग
पति	कुल संख्या	८०	२५	१०५
	मध्यमान	३.१८	३.७२	३.३१
	प्रामाणिक विचलन	१.९३	१.९०	१.९४
पत्नी	कुल संख्या	४०	७०	११०
	मध्यमान	२.६२	२.९२	२.८२
	प्रामाणिक विचलन	१.७४	१.६८	१.७१
योग	कुल संख्या	१२०	९५	२१५
	मध्यमान	३.००	३.१३	३.०६
	प्रामाणिक विचलन	१.८९	१.७७	१.८४

तालिका ४.२७ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.३७) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है।

इसी प्रकार तलाक की प्रक्रिया में चल रहे निम्न नेतृत्व हीनता वाले पतियों का वैवाहिक समायोजन पत्नियों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहा और सबसे खराब वैवाहिक समायोजन उच्च नेतृत्व हीनता वाली पत्नियों का प्राप्त गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.२८ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा नेतृत्व हीनता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	२०.४	१	२०.०४	५.९५	< ०.०५
ब. नेतृत्वहीनता उच्च व निम्न	७.४१	१	७.४१	२.२०	< ०.०५
अ × ब	०.८७१	१	०.८७१	०.२६	> ०.०५
समूहान्तर्गत	७११.२३	२११	३.३७	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.२८ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों में सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.८९ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से कहीं अधिक है (एफ अनुपात ५.९५)।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं।

नेतृत्व हीनता का तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों पर ०.०५ स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। (एफ अनुपात २.२०)। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों तथा नेतृत्वहीनता का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (एफ अनुपात ०.२६)

अतः उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (६.०५) ''पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' । गलत सिद्ध होती है।

७ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना:-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ताकों के आधार पर निर्धारण किया गया। मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ताकों के आधार पर चतुर्थाक १($Q_१$) तथा चतुर्थांक ३($Q_३$) की गणना की गई। चतुर्थाक १ के प्राप्त मान १२३ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३के मान १४४ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के प्राप्ताक १३२ तथा उसके कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों का मानसिक स्वास्थ्य निम्न स्तर का निर्धारित किया गया जबकि १४४ तथा उसमे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी का मानसिक स्वास्थ्य अधिक अच्छा निर्धारित किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करने के उदे्दश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके पणिाम तालिका ४.२९ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.२९- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य (उच्च तथा निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	मानसिक स्वास्थ्य (उच्च)	मानसिक स्वास्थ्य (निम्न)	योग
पति	कुल संख्या	८४	२५	१०९
	मध्यमान	३.६३	३.६८	३.६४
	प्रामाणिक विचलन	१.९३	२.११	१.९७
पत्नी	कुल संख्या	३१	६४	९५
	मध्यमान	३.०६	२.४२	२.६३
	प्रामाणिक विचलन	१.९४	१.३५	१.५९
योग	कुल संख्या	११५	८९	२०४
	मध्यमान	३.४८	२.७७	३.१७
	प्रामाणिक विचलन	१.९५	१.७०	१.८७

तालिका ४.२९ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.६४) तुलनात्मक रुप से अधिक अच्छा है। इसी प्रकार उच्च मानसिक स्वास्थ्य वाले पति-पत्नियों (मध्यमान ३.४९) का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा पाया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नियों जिनका मानसिक स्वास्थ्य निम्न है उनका वैवाहिक समायोजन सबसे खराब पाया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य (उच्च तथा निम्न) का वैवाहिक समायोंजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.30- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य के सार्थक प्रभाव का २ ×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलर रहे)	३३.७०	१	३३.७०	१०.१८	< ०.०१
ब. मानसिक स्वास्थ्य (उच्च व निम्न)	३.६१	१	३.६१	१.०९	> ०.०५
अ × ब	४.८१	१	४.८१	१.४५	> ०.०५
समूहान्तर्गत	६६२.४६	२००	३.३१	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.३० का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोंजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। .०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान(१०.१८) इस आवश्यक मान से कही अधिक प्राप्त हुआ है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रुप से प्रभावित करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य (उच्च व निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर,०५स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पडता (एक अनुपात १.०९)। इसी प्रकार तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात १.४६) अत: शून्य उपकल्पना (७) "पति तथा पत्नी (तलाक की

प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्यका वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' ।

गलत सिद्ध होती है ।

७.०१- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभावका अध्ययन-

उक्त उदेदश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता प्राप्तांकों के आधार पर उच्च व निम्न स्तर का निर्धारण किया गया। वास्तविकता प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थांक १(Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १के प्राप्त मान २९ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३५ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार वास्तविकता के प्राप्तांक २९ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों को निम्न वास्तविकता के रूप में निर्धारित किया गया। जबकि ३५ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में वास्तविकता की अधिकता पाई गई। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता के प्रभाव का अध्ययन करने के उददेश्य से मध्यमान तथा प्रमाणित विचलन की गणना की गई।जिसक परिणाम तालिका ४.३१ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.३१- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता (उच्च तथा निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	वास्तविकता उच्च	वास्तविकता निम्न	योग
पति	कुल संख्या	५७	५२	१०९
	मध्यमान	३.४०	३.७५	३.५७
	प्रामाणिक विचलन	१.९५	२.००	१.९८
पत्नी	कुल संख्या	३९	६९	१०८
	मध्यमान	२.७१	२.८४	२.८०
	प्रामाणिक विचलन	१.६३	१.६०	१.६१
योग	कुल संख्या	९६	१२१	२१७
	मध्यमान	३.१२	३.२३	३.८७
	प्रामाणिक विचलन	१.८६	१.८४	१.८२

तालिका ४.३१ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.५७) तुलनात्मक रुप से अधिक अच्छा है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे उच्च वास्तविकता तथा निम्न वास्तविकता वाले पति तथा पत्नियों में कोई खास अन्तर नहीं है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वास्तविकता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम की गणना की गई

तालिका ४.३२ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा वास्तविकता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलर रहे)	३३.३७	१	३३.३७	१०.०२	< ०.०१
ब. वास्तविकता उच्च व निम्न	३.१२९	१	३.१२९	०.९४	> ०.०५
अ × ब	०.५२१	१	०.५२१	०.१६	> ०.०५
समूहान्तर्गत	७०८.५९	२१३	३.३३	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.३२ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (१०.०२) इस आवश्यक मान से कहीं अधिक प्राप्त हुआ।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते है। वास्तविकता उच्च/निम्न का ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है (एफ अनुपात ०.९४)। इसी प्रकार तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.१६)

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (७.०१) "पति तथा पत्नी

(तलाक की पक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।''

गलत सिद्ध होती है।

१.०२ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया। हास्य विनोद प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ ($Q_{१}$) तथा चतुर्थांक ३($Q_{३}$) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २८ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३३ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार हास्य विनोद के प्राप्तांक २८ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में हास्य-विनोद की भावना कम पाई गई। जबकि ३५ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नियों में हास्य विनोद की अधिकता का निर्धारण किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर हास्य विनोद के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका १४.३३ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.33 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा हास्य-विनोद की दृष्टि से (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	हास्यविनोद उच्च	हास्यविनोद निम्न	योग
पति	कुल संख्या	५६	५८	११४
	मध्यमान	३.५३	३.४३	३.४८
	प्रामाणिक विचलन	१.८३	२.१४	१.९९
पत्नी	कुल संख्या	५४	५१	१०५
	मध्यमान	२.७०	२.३३	२.५२
	प्रामाणिक विचलन	१.५३	१.५५	१.५५
योग	कुल संख्या	११०	१०९	२१९
	मध्यमान	३.१३	२.९२	३.०२
	प्रामाणिक विचलन	१.७४	२.०१	१.८५

तालिका ४.३३ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन (मध्यमान ३.४८) तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा पाया गया। तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे जिन पति तथा पत्नियों में हास्य विनोद अधिक पाया गया उनका वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा पाया गया। सबसे अच्छा वैवाहिक समायेाजन उच्च हास्यविनोद वाले पतियों का पाया गया और सबसे खराब समायोजन निम्न हास्य विनोद वाली पत्नियों का पाया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के हास्य-विनोद का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.३४ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा हास्य-विनोद के सार्थक प्रभाव का २x२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलर रहे)	५०.८९	१	५०.८९	१५.५	< ०.०१
ब. हास्यविनोद उच्च व निम्न	२.७४	१	२.७४	०.८३	> ०.०५
अ × ब	१.०९	१	१.०९	०.३३	> ०.०५
समूहान्तर्गत	७०४.७२	२१५	३.२८	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.३४ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों में सार्थक प्रभाव पड़ता है।

०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान (१५.५) से अधिक है अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं।

हास्य विनोद उच्च/निम्न का ०.०५ स्तर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता (एफ अनुपात ०.८३) है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा हास्य-विनोद का अन्तः क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (एफ अनुपात ०.३३)

अतः उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (७.०२) "पति

तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' । गलत सिद्ध होती है ।

७.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता प्राप्तांको के आधार पर निर्धारण किया गया। स्वायत्तता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ तथा चतुर्थांक ३ की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २६ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३१ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार स्वायत्तता के प्राप्तांक २६ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में स्वायत्तता की कमी पाई गई जबकि ३१ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों में स्वायत्तता की अधिकता निर्धारित की गई।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर स्वायत्तता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.३५ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.३५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा स्वायत्तता की दृष्टि से (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	स्वायत्तता उच्च	स्वायत्तता निम्न	योग
पति	कुल संख्या	६७	४८	११५
	मध्यमान	३.६४	३.६८	३.६६
	प्रामाणिक विचलन	२.०९	२.००	२.०५
पत्नी	कुल संख्या	४७	६०	१०७
	मध्यमान	२.७४	२.४८	२.६०
	प्रामाणिक विचलन	१.७०	१.४८	१.५८
योग	कुल संख्या	११४	१०८	२२२
	मध्यमान	३.२७	३.०२	३.१५
	प्रामाणिक विचलन	१.९९	१.८३	१.९१

तालिका ४.३५ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन मध्यमान ३.६६ तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। उच्च स्वायतता बाले पति तथा पत्नियों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा पाया गया। सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन निम्न स्वायत्तता वाले पतियों का निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत स्वायत्तता उच्च तथा निम्न का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.३६ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा स्वायत्तता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमाान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलर रहे)	५९.८६	१	५९.८६	१७.२	< ०.०१
ब. स्वायत्तता उच्च व निम्न	०.५४४२	१	०.५४४२	०.१६	> ०.०५
अ × ब	१.६३	१	१.६३	०.४७	> ०.०५
समूहान्तर्गत	७५७.६२	२१८	३.४८	0.01 → 6.76 0.05 → 3.89	

तालिका ४.३६ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०१ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ६.७६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (१७.२) इस आवश्यक मान से अधिक है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते है। स्वायतता उच्च/निम्न का ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा स्वायतता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.४७)

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (७.०३) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का

वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' । गलत सिद्ध होती है ।

७.०४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) की गणना की गई ।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २१ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान २८ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक स्थिरता के प्राप्तांक २१ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों की संवेगात्मक स्थिरता निम्न स्तर की निर्धारित की गई जबकि २८ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी की संवेगात्मक स्थिरता अधिक उच्च निर्धारित की गई ।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायेाजन पर संवेगात्मक स्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम ४.३७ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.३७- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक स्थिरता की दृष्टि से (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	संवेगात्मक रूप से अस्थिर	संवेगात्मक रूप से स्थिर	योग
पति	कुल संख्या	४३	४६	८९
	मध्यमान	३.५१	३.२३	३.३७
	प्रामाणिक विचलन	१.८८	१.७७	१.८३
पत्नी	कुल संख्या	३२	६३	९५
	मध्यमान	३.००	२.४७	२.६५
	प्रामाणिक विचलन	१.६०	१.४५	१.५२
योग	कुल संख्या	७५	१०९	१८४
	मध्यमान	३.२९	२.८०	३.००
	प्रामाणिक विचलन	१.७९	१.६४	१.७१

तालिका ४.३७ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन मध्यमान ३.३७ तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे उच्च संवेगात्मक स्थिरता वाले पति-पत्नियों का समायेाजन निम्न संवेगातमक स्थिरता वाले पति-पत्नियों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहा। सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन उच्च संवेगात्मक स्थिरता वाले पतियों का रहा और खराब समायोजन निम्न संवेगात्मक स्थिरता वाली पत्नियों का प्राप्त हुआ।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक स्थिरता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना

की गई।

तालिका ४.३८ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक स्थिरता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमाान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	१७.४१	१	१७.४१	६.१०	< ०.०१
ब. संवेगात्मक स्थिरता (उच्च व निम्न)	६.९६	१	६.९६	२.४४	< ०.०५
अ × ब	०.८७०	१	०८७०	०.३०५	> ०.०५
समूहान्तर्गत	५१२.८१	१८०	२.८५	0.01 → 6.76 0.05 → 3.90	

तालिका ४.३८ का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.९० होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (६.१०) इस आवश्यक मान से कहीं अधिक प्राप्त हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं।

सवेंगात्मक स्थिरता उच्च तथा निम्न का वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता (एफ अनुपात २.४४)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक स्थिरता का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर

प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.३०५)।

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (७.०४) ''पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का वैवाहिक समायोजनर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' गलत सिद्ध होती है।

७.०५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन -

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारण किया गया।

सामाजिक परिपक्वता प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थांक १(Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १के प्राप्त मान १५के आधार पर तथा चतुर्थांक ३के मान २२ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार सामाजिक परिपक्वता के प्राप्ताक १५ तथा उससे कम अकं प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों को सामाजिक रुप से कम परिपक्व माना गया जबकि २२ तथा उससे अधिक अकं प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों को सामाजिक रुप से अधिक परिपक्व माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.३९ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका-४.३९- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता (उच्च तथा निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे	गणना	सामाजिक परिपक्वता (उच्च)	सामाजिक परिपक्वता (निम्न)	योग
पति	कुल संख्या	८६	३४	१२०
	मध्यमान	३.६५	३.२३	३.५९
	प्रामाणिक विचलन	१.९९	२.१५	२.०५
पत्नी	कुल संख्या	२२	९०	११२
	मध्यमान	२.६३	२.८४	२.८०
	प्रामाणिक विचलन	१.७७	१.६३	१.६६
योग	कुल संख्या	१०८	१२४	२३२
	मध्यमान	३.४४	२.९५	३.१८
	प्रामाणिक विचलन	१.९९	१.८०	१.९१

तालिका ४.३९ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन मध्यमान ३.५९ तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे उन पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा रहा जो सामाजिक रूप से अधिक परिपक्व थे (मध्यमान ३.४४) और जो पति अधिक सामाजिक परिपक्व थे उनका समायोजन सबसे अच्छा था (३.६५)। सामाजिक रूप से निम्न परिपक्व पत्नियों का समायोजन सबसे खराब था (२.८४)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के सामाजिक परिपक्वता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के

उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई

तालिका ४.४० वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रह पति तथा पत्नी तथा सामाजिक परिपक्वता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	२०.०९	१	२०.०९	५.६४	< ०.०५
ब. सामाजिक कुसमायोजन (उच्च व निम्न)	०.४१०	१	०.४१०	०.११५	> ०.०५
अ × ब	४.५१	१	४.५१	१.२७	>०.०५
समूहान्तर्गत	८१२.५५	२२८	३.५६	0.01 → 6.75 0.05→ 3.88	

तालिका ४.४० का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों में सार्थक प्रभाव पड़ता है।

०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.८८ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान इस आवश्यक मान से अधिक है (एफ अनुपात ५.६४) अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं।

सामाजिक परिपक्वता उच्च तथा निम्न का वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा सामाजिक

परिपक्वता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन रको ०.०५ स्तर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात १.२७)।

अत: उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (७.०५) "पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत सामाजिक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।" गलत सिद्ध होती है।

८. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगार्तमक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १२ के आधार पर अर्न्तमुखी व्यक्तित्व प्रकार तथा चतुर्थांक ३ के मान १९ के आधार पर बर्हिमुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति अथवा पत्नी को अर्न्तमुखी माना गया, जबकि १९ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को बर्हिमुखी व्यक्तित्व का माना गया।

संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ तथा चतुर्थांक ३ की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १२५ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान १४१ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक परिपक्वता के

प्राप्तांक १२५ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों को संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व माना गया। जबकि १४१ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को निम्न संवेगात्मक परिपक्व माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई, जिसके परिणाम तालिका ४.४१ में इस प्रकार प्राप्त हुए

तालिका ४.४१ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	संवेगात्मक रूप परिपक्वता निम्न	संवेगात्मक रूप परिपक्वता उच्च	योग
बर्हिमुखी	कुल संख्या	२३	२१	४४
	मध्यमान	३.००	३.१९	३.०९
	प्रामाणिक विचलन	१.७९	१.५६	१.६९
अर्न्तमुखी	कुल संख्या	२७	२९	५६
	मध्यमान	३.०४	२.९६	३.००
	प्रामाणिक विचलन	२.०४	१.८०	१.९२
योग	कुल संख्या	५०	५०	१००
	मध्यमान	३.०२	३.०६	३.०४
	प्रामाणिक विचलन	१.९३	१.७१	१.८२

तालिका ४.४१ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (३.००) कम अच्छा प्राप्त हुआ है। जो

पति-पत्नी संवेगात्मक रूप से परिपक्व थे उनका समायोजन अधिक अच्छा रहा (मध्मयान ३.०६)। सबसे निम्न वैवाहिक समायोजन संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व दम्पत्तियों का प्राप्त हुआ है (मध्यमान ३.०२)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक रूप से परिपक्व तथा अपरिपक्व का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.४२- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	०.२५	१	०.२५	०.०७२	> ०.०५
ब. संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न)	–	१	–	–	–
अ × ब	०.४९३	१	०.४९३	०.१४	>०.०५
समूहान्तर्गत	३३३.१६	९६	३.४७	0.01 → 6.90 .05 → 3.94	

तालिका ४.४२ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के व्यक्तित्व प्रकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनपुात का मान ३.९४ होना चाहिए, जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान

(०.०७२) इस आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करता है।

संवेगात्मक परिपक्वता का भी वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक परिपक्वता का अन्तः क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.१४)

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (८) "दम्पत्यिों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।" सही सिद्ध होती है।

८.०१ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक स्थिरता प्राप्तांको के आधार पर बर्हिर्मुखी तथा अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १(Q_1) के प्राप्त मान १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार चतुर्थांक ३ (Q_3) के मान १९ के आधार पर बर्हिमुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को अन्तर्मुखी माना गया, जबकि १९ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

सवेंगात्मक अस्थिरता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ तथा चतुर्थांक ३ की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २९ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के प्राप्त माना ३४ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक अस्थिरता के प्राप्तांक २९ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नियों को संवेगात्मक रूप से अधिक स्थिर माना गया जबकि ३४ तथा उससे अधिक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को अधिक अस्थिर माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समयोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक अस्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.४३ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.४३ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक अस्थिरता के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	संवेगात्मक रूप से अस्थिर	संवेगात्मक रूप से स्थिर	योग
बर्हिमुखी	कुल संख्या	३१	३३	६४
	मध्यमान	३.००	२.७९	२.८९
	प्रामाणिक विचलन	२.०३	१.६३	१.८४
अर्न्तमुखी	कुल संख्या	३५	४२	७७
	मध्यमान	३.४३	२.६७	३.०१
	प्रामाणिक विचलन	२.४४	१.५८	२.०५
योग	कुल संख्या	६६	७५	१४१
	मध्यमान	३.२३	२.७२	२.९५
	प्रामाणिक विचलन	२.२७	१.६०	१.९६

तालिका ४.४३ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अन्तर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे बहिर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान २.८९) कम अच्छा प्राप्त हुआ। सवेंगात्मक स्थिरता वाले पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा प्राप्त नही हुआ। (२.७२)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक रूप से अस्थिर (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधर पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गईं।

तालिका ४.४४ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक अस्थिरता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	१.०५	१	१.०५	०.१८	> ०.०५
ब. संवेगात्मकस्थिरता उच्च व निम्न	८.३६	१	८.३६	१.४१	> ०.०५
अ × ब	२.४४	१	२.४४	०.४१	>०.०५
समूहान्तर्गत	८०८.११	१३७		0.01→6.81 0.05→3.91	

तालिका ४.४४ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ

अनुपात का मान ३.९१ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.१८) इस आवश्यक मान से बहुत कम प्राप्त हुआ है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

संवेगात्मक अस्थिरता (उच्च/निम्न) का भी वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अत: तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक अस्थिरता का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात ०.४१)।

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (८.०१) ''दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' सत्य सिद्ध होती है।

८.०२ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक प्रतिगमन के प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांको के आधार पर बहिर्मुखी तथा अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १(Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार तथा चतुर्थांक ३ के मान १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले दम्पत्तियों को अन्तर्मुखी माना गया, जबकि १९ तथा उससे अधिक

अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया। संवेगात्मक प्रतिगमन प्राप्तांकों के आधार पर चतुर्थांक १(Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_1) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २८ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३३ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार संवेगात्मक प्रतिगमन के प्राप्ताकं २८ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने बाले पति तथा पत्नियो में संवेगात्मक प्रतिगमन की भावना कम पाई गई जबकि ३३ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति -पत्नियों मे अधिक संवेगात्मक प्रतिगमन को निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक प्रतिगमन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई ।
जिसके परिणाम तालिका ४.४५ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.४५- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक प्रतिगमन के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	संवेगात्मक प्रतिगमन (उच्च)	संवेगात्मक प्रतिगमन (निम्न)	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	३९	३२	७१
	मध्यमान	२.६७	३.४१	३.००
	प्रामाणिक विचलन	१.४९	१.७६	१.६६
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	३४	३९	७३
	मध्यमान	३.२९	२.५६	२.९०
	प्रामाणिक विचलन	२.००७	१.६९	१.८६
योग	कुल संख्या	७३	७१	१४४
	मध्यमान	२.९६	२.९४	२.९५
	प्रामाणिक विचलन	१.७८	१.७७	१.७६

तालिका ४.४५ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता हैकि बहिर्मुखी पति पत्नियों की(३.००)अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रुप से (मध्यमान २.९०)कम अच्छा प्राप्त हुआ।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे उच्च संवेगात्मक प्रतिगमन वाले दम्पत्ती तथा निम्न संवेगात्मक प्रतिगमन वाले दम्पत्तियों में कोई विशेष अन्तर प्राप्त नही हुआ।

जिन पति-पत्पियों में संवेगात्मक प्रतिगमन की भावना निम्न थी उनका वैवाहिक समायोजन भी निम्न प्राप्त हुआ है(४.९४)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक प्रतिगमन (उच्च व निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २x२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.४६- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार और संवेगात्मक प्रतिगमन के सार्थक प्रभाव का २x२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. पति व पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)	०.३५८	१	०.३५८	०.११	> ०.०५
ब. संवेगात्मक प्रतिगमन (उच्च व निम्न)		१			
अ x ब	१९.३२	१	१९.३२	६.२१	< ०.०५
समूहान्तर्गत	४३५.०४	१४०	३.११	0.01 → 6.81 0.05 → 3.91	

तालिका ४.४६ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नियों के व्यक्तित्व प्रकार का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.९१ होना चाहिए, जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.११) आवश्यक मान से बहुत कम प्राप्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक प्रतिगमन का अन्तः क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित करता है (एफ अनुपात ६.२१) उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (८.०२) "दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक प्रतिगमन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।" गलत सिद्ध होता है।

८.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक कुसमायोजन के प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांको के आधार पर बहिर्मुखी तथा अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १(Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त माान १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार तथा चतुर्थांक ३ के मान १९ के आधार पर बर्हिमुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को अन्तर्मुखी माना गया, जबकि १९ तथा उससे

अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया। सामाजिक कुसमायोजन प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ तथा चतुर्थांक ३ की गणना की गई।।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २५ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान ३० के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार सामाजिक कुसमायोजन के प्राप्तांक २५ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नी में सामाजिक कुसमायोजन निम्न पाया गया। जबकि ३० तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नियों में सामाजिक कुसमायोजन उच्च पाया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक कुसमायोजन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिकाा ४.४७ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.४७ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व सामाजिक कुसमायोजन के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	सामाजिक कुसमायोजन	सामाजिक समायोजन	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	४७	२४	७१
	मध्यमान	२.८०	२.५८	२.७३
	प्रामाणिक विचलन	१.७५	१.५८	१.६९
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	४२	२२	६४
	मध्यमान	२.८३	३.७७	३.१५
	प्रामाणिक विचलन	१.६२	२.६८	२.०९
योग	कुल संख्या	८९	४६	१३५
	मध्यमान	२.८२	३.१५	२.९३
	प्रामाणिक विचलन	१.६९	२.२५	१.९०

तालिका ४.४७ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि अन्तर्मुखी पति-पत्नियों की (३.१५) अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे बहिर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (२.७३) कम अच्छा प्राप्त है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे उन पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन सबसे अच्छा प्राप्त हुआ जिनमें सामाजिक कुसमायोजन की भावना निम्न थी (मध्यमान ३.१५)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथापत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.४८ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व सामाजिक कुसमायोजन के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	११.२१	१	११.२१	३.१०	> ०.०५
ब. सामाजिक कुसमायोजन (उच्च व निम्न)	३.९४	१	३.९४	१.०९	> ०.०५
अ × ब	१०.३	१	१०.३	२.८५	> ०.०५
समूहान्तर्गत	४७२.७९	१३१	३.६१	0.01 → 6.81 0.05 → 3.91	

तालिका ४.४८ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायेाजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.९१ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान ३.१० आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है।

अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

सामाजिक कुसमायोजन (उच्च/निम्न) का भी वैवाहिक समायेाजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अत: तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक कुसमायोजन का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात २.८५)। उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (८.०३) ''दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायेाजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का काई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' सत्य सिद्ध होती हैं।

८.०४ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के प्रभाव का अध्ययन-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांको के आधार पर बहिर्मुखी तथा अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १(Q_1) तथा चतुर्थांक

३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार तथा चतुर्थांक ३ के मान १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को अन्तर्मुखी माना गया, जबकि १९ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति तथा पत्नी को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

व्यक्तित्व विघटन प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ तथा चतुर्थांक ३ की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान २१ के आधार पर चतुर्थांक ३ के मान २८ के आधार पर व्यक्तित्व विघटन का निर्धारण किया गया। २१ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नी में व्यक्तित्व विघटन का निम्न स्तर निर्धारित किया गया जबकि २८ तथा अधिक अंक प्राप्त रकने वाले पति-पत्नियों में व्यक्तित्व विघटन की अधिकता के रुप में निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा व्यक्तित्व विघटन के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.४९ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.४९ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व व्यक्तित्व विघटन के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	व्यक्तित्व विघटन (उच्च)	व्यक्तित्व विघटन (निम्न)	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	२२	२७	४९
	मध्यमान	२.७३	२.९६	२.८६
	प्रामाणिक विचलन	१.७६	१.७९	१.७८
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	२८	२८	५६
	मध्यमान	२.६४	३.७५	३.१९
	प्रामाणिक विचलन	२.००	२.०४	२.०९
योग	कुल संख्या	५०	५५	१०५
	मध्यमान	२.६८	३.३६	३.०४
	प्रामाणिक विचलन	१.९०	१.९६	१.९६

तालिका ४.४९ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अन्तर्मुखी पति-पत्नियों की ३.१९ अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे बहिर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (२.८६) कम अच्छा प्राप्त हुआ है।

अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार के निम्न व्यक्तित्व विघटन वाले लोगों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा प्राप्त हुआ (३.७५) और सबसे निम्न वैवाहिक समायोजन अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार के उच्च व्यक्तित्व विघटन वाले पति-पत्नियों का प्राप्त हुआ है (मध्यमान २.६८)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व विघटन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.५० वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा व्यक्तित्व विघटन के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गो का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	३.१२	१	३.१२	०.८१	> ०.०५
ब. व्यक्तित्व विघटन (उच्च व निम्न)	११.७	१	११.७	३.०७	> ०.०५
अ × ब	५.२०	१	५.२०	१.३६	> ०.०५
समूहान्तर्गत	३८५	१०१	३.८१	0.01 → 6.90 0.05 → 3.94	

तालिका ४.५० का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समायेाजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक स्तर अन्तर के लिए आवश्यक एफ अनुपात का मान ३.९४ होना चाहिए, जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान ०.८१ आवश्यक मान से बहुत कम प्राप्त हुआ है अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हे।

व्यक्तित्व विघटन (उच्च तथा निम्न) का भी वैवाहिक समायेाजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार व व्यक्तित्व विघटन का अन्तः क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है (एफ अनुपात १.३६)। उक्त परिणामों

के आधार पर शून्य उपकल्पना ८.०४ "दम्पतियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।" सत्य सिद्ध होती है।

८.०५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्वहीनता के प्रभाव का अध्ययन-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा नेतृत्व हीनता प्राप्तांको के आधार पर बहिर्मुखी तथा अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

व्यक्तित्व प्रकार प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ (Q_1) तथा चतुर्थांक ३(Q_3) की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार तथा चतुर्थांक ३ के मान १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण किया गया। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांक १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नी को अन्तर्मुखी माना गया जबकि १९ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नी को बर्हिर्मुखी व्यक्तित्व का मान गया।

नेतृत्व हीनता प्राप्तांको के आधार पर चतुर्थांक १ तथा चतुर्थांक ३ की गणना की गई।

चतुर्थांक १ के प्राप्त मान १५ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ के मान २२ के आधार पर निर्धारण किया गया। इस प्रकार नेतृत्व हीनता के प्राप्तांक १५ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नियों में नेतृत्व हीनता की भावना कम

निर्धारित की गई जबकि २२ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पति-पत्नियों में नेतृत्व हीनता अधिक निर्धारित की गई।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा नेतृत्व हीनता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गईं।

जिसके परिणाम तालिका ४.५१ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.५१- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व नेतृत्व हीनता के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	नेतृत्वहीनता उच्च	नेतृत्वहीनता निम्न	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	३५	३०	६५
	मध्यमान	२.६	३.०७	२.८१
	प्रामाणिक विचलन	१.६६	१.६७	१.६८
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	३४	२६	६०
	मध्यमान	२.८८	३.२३	३.०३
	प्रामाणिक विचलन	१.९७	१.८७	१.९३
योग	कुल संख्या	६९	५६	१२५
	मध्यमान	२.७४	३.१४	२.९१
	प्रामाणिक विचलन	२.३५	१.७७	१.८१

तालिका ४.५१ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यामन ३.०३) अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन निम्न नेतृत्वहीनता वाले दम्पत्तियों

का प्राप्त हुआ है (मध्यमान ३.४)। अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार के निम्न नेतृत्वहीनता वाले पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है (३.२३) तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार के उच्च नेतृत्व हीनता वाले लोगों का वैवाहिक समायोजन सबसे निम्न प्राप्त हुआ है (२.६०)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के नेतृत्वहीनता (उच्च व निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई-

तालिका ४.५२ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार और नेतृत्व हीनता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण सारांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	१.५४	१	१.५४	०.४६	> ०.०५
ब. नेतृत्व हीनता (उच्च व निम्न)	५.२५	१	५.२५	१.५८	> ०.०५
अ × ब	-	१	-	-	-
समूहान्तर्गत	४०२.४१	१२१	३.३२	0.01 → 6.84 0.05 → 3.92	

तालिक ४.५२ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समयोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिये एफ अनुपात का मान ३.९२ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.४६) आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक

समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते है।

नेतृत्व हीनता (उच्च व निम्न) का भी वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व नेतृत्व हीनता का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायेाजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है।

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (८.०५) ''दम्पतियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' सत्य सिद्ध होती है।

९. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करना।

उपर्युक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन किया गया। व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांको के आधार पर अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १ (Q_1) के प्राप्तांक १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों को अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारित किया गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक ३ (Q_3) के प्राप्तांक १९ के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों को १९ तथा अधिक अंक प्राप्त करने वालो को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक १ (Q_1) के प्राप्तांक १३२ के आधार पर मानसिक रूप से अस्वस्थ्य दम्पतियों का निर्धारण किया गया। जिन दम्पत्तियों को १३२ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ माना गया। चतुर्थांक ३ के प्राप्तांक १४४ के आधार पर मानसिक रूप से स्वस्थ्य दम्पत्तियों का निर्धारण किया गया। जिन दम्पत्तियों को १४४ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त हुये थे उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.५३ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.५३ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	मानसिक स्वास्थ्य (उच्च)	मानसिक स्वास्थ्य (निम्न)	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	३३	२६	५९
	मध्यमान	२.९४	२.४६	२.७३
	प्रामाणिक विचलन	१.६९	१.७१	१.७१
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	२०	२८	४८
	मध्यमान	३.१५	२.६१	२.८३
	प्रामाणिक विचलन	२.१७	१.६३	१.८९
योग	कुल संख्या	५३	५४	१०७
	मध्यमान	३.०२	२.५४	२.७७
	प्रामाणिक विचलन	१.८९	१.६८	१.७९

तालिका ४.५३ का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया मे ंचल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायेाजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान २.८३) अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन उन पति-पत्नियों का रहा जिनका मानसिक स्वास्थ्य उच्च स्तर का था (मध्यमान ३.०२) और जो पति-पत्नी बहिर्मुखी प्रकार के तथा निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाल थे उनका वैवाहिक समायेाजन निम्न स्तर का प्राप्त हुआ है। (मध्यमान २.४६)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.५४ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार व मानसिक स्वास्थ्य के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	०.७८	१	०.७८	०.२४	> ०.०५
ब. सामाजिक कुसमायोजन उच्च व निम्न	६.४८	१	६.४८	१.९७	> ०.०५
अ × ब	०.२६	१	०.२६	०.०७९	> ०.०५
समूहान्तर्गत	३३९.५७	१०३	३.२९	0.01 → 6.90 0.05 → 3.94	

तालिका ४.५४ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिये एफ अनुपात का मान ३.९४ होना चाहिए, जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.२४) आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी का व्यक्तित्व प्रकार वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करता है।

मानसिक स्वास्थ्य (उच्च तथा निम्न) का भी वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। (एफ अनुपात १.९७)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार व मानसिक स्वास्थ्य का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है।

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (९) "दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' सत्य सिद्ध होती है।

९.०१ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत वास्तविकता के प्रभाव का अध्ययन-

उपर्युक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता के प्रभाव का अध्ययन किया गया। व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांको के आधार पर अर्न्तमुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १ (Q_1) के प्राप्तांक १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों को अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारित किया गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक ३ (Q_3) के प्राप्तांक १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों को १९ तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाले को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता के प्राप्तांको के चतुर्थांक १ (Q_1) के प्राप्तांक २९ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) के प्राप्तांक ३५ के आधार पर उच्च तथा निम्न वास्तविकता का निर्धारण किया गया। जिन दम्पत्तियों को २९ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें निम्न वास्तविकता के रूप में निर्धारित किया गया तथा जिन दम्पत्तियों को ३५ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त हुए थे उनको उच्च वास्तविकता का निर्धारित किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायेाजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा वास्तविकता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई जिसके परिणाम तालिका ४.५५ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.५५ - तलाक प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	वास्तविकता उच्च	वास्तविकता निम्न	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	२०	३६	५६
	मध्यमान	२.९	२.५	२.६४
	प्रामाणिक विचलन	१.७६	१.३६	१.५२
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	२७	३६	६३
	मध्यमान	२.८१	३.३३	३.११
	प्रामाणिक विचलन	२.०१	२.०८	२.०७
योग	कुल संख्या	४७	७२	११९
	मध्यमान	२.८५	२.९२	२.८९
	प्रामाणिक विचलन	१.९१	१.८०	१.८५

तालिका ४.५५ का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान ३.११) अधिक प्राप्त हुआ है। उच्च वास्तविकता तथा निम्न वास्तविकता से सम्बन्धित पति पत्नियों के वैवाहिक समायोजन में कोई विशेष अन्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सबसे अच्छा वैवाहिक समायोजन उन दम्पत्तियों का रहा जो अन्तर्मुखी थे और निम्न वास्तविकता वाले थे (मध्यमान ३.३३)। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण

की गणना की गई।

तालिका ४.५६- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व वास्तविकता के सार्थक प्रभाव का २x२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	३.९३	१	३.९३	१.१४	> ०.०५
ब. वास्तविकता (उच्च व निम्न)	–	१	–	–	–
अ × ब	६.१८	१	६.१८	१.८०	> ०.०५
समूहान्तर्गत	३९४.८७	११५	३.४३	0.01 → 6.87 0.05→ 3.93	

तालिका ४.५६ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होताा है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए एफ अनुपात का मान ३.९३ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (१.१४) आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते है।

वास्तविकता (उच्च व निम्न) का भी वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ताा है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व वास्तविकता का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है एफ अनुपात (१.८)। उक्त परिणामों के

आधार पर शून्य उपकल्पना (९.०१) "दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' सत्य सिद्ध होती है।

९.०२ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद के प्रभाव का अध्ययन-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य-विनोद के प्रभाव का अध्ययन किया गया। व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांको के आधार पर अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १(Q_1) के प्राप्तांक १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निध ारिण किया गया। १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों को अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया । इसी प्रकार चतुर्थांक ३ (Q_3) के प्राप्तांक १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे दम्पत्तियों को १९ तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाले को बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक १(Q_1) के प्राप्तांक २८ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३(Q_3) के प्राप्तांक ३३ के आधार पर हास्यविनोद (उच्च/निम्न) का निर्धारण किया गया। जिन दम्पत्तियों को २८ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें निम्न हास्यविनोद का निर्धारित किया गया तथा जिन दम्पत्तियों को ३३ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त हुये थे उनको उच्च हास्यविनोद से सम्बन्धित निर्धारित

किया गया।

तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा हास्यविनोद के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.५७ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.५७-तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	हास्यविनोद उच्च	हास्यविनोद निम्न	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	३३	२८	६१
	मध्यमान	२.८२	२.५	२.६७
	प्रामाणिक विचलन	१.५६	१.५७	१.५७
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	२६	३५	६१
	मध्यमान	२.८०	२.७७	२.७८
	प्रामाणिक विचलन	१.७१	२.१३	१.९६
योग	कुल संख्या	५९	६३	१२२
	मध्यमान	२.८१	२.६५	२.७२
	प्रामाणिक विचलन	१.६३	१.९१	१.७८

तालिका ४.५७ का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान २.७८) अधिक अच्छा प्राप्त हुआ।

जिन दम्पत्तियों में हास्य-विनोद की अधिक भावना थी उनका वैवाहिक

समायोजन निम्न हास्य विनोद वाले दम्पत्तियों की अपेक्षा अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है। मध्यमान (२.८१)

जो पति-पत्नी बहिर्मुखी थे और उनमें हास्य-विनोद उच्च स्तर का था उनका वैवाहिक समायोजन सबसे अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है (२.८२)। सर्वाधिक निम्न वैवाहिक समायोजन उन दम्पत्तियों का था जो बहिर्मुखी थे लेकिन निम्न हास्य विनोद वाले थे।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना गई।

तालिका ४.५८- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व हास्यविनोद के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	०.३००९	१	०.३००९	०.०९२	> ०.०५
ब. हास्यविनोद (उच्च व निम्न)	०.९०२	१	०.९०२	०.२८	> ०.०५
अ × ब	०.६०१	१	०.६०१	०.१८४	> ०.०५
समूहान्तर्गत	३८४.११	११८	३.२५	0.01→6.84 0.05→3.92	

तालिका ४.५८ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव

नहीं पड़ता हैं। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए एफ अनुपात का मान ३.९२ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.०९२) आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते है।

हास्य विनोद (उच्च तथा निम्न) का भी ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। (एफ अनुपात ०.२८)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व हास्यविनोद का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन की ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (एफ अनुपात ०.१८४) उक्त परिणामों के आधार शून्य उपकल्पना (९.०२) "दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' सत्य सिद्ध होती है।

९.03 तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता के प्रभाव का अध्ययन-

उपर्युक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता के प्रभाव का अध्ययन किया गया। व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांको के आधार पर अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १(Q_1) के प्राप्तांक १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारिण किया गया। १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले तलाक की

प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारित किया गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक ३(Q_3) के प्राप्तांक १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों को १९ तथा अधिक अंक प्राप्त करने पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक १ प्राप्तांक २६ के आधार पर निम्न स्वायत्तता का निर्धारिण किया गया। जिन दम्पत्तियों को २६ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें निम्न स्वायत्तता का निर्धारित किया गया। चतुर्थांक ३(Q_3) के प्राप्तांक ३१ के आधार पर उच्च स्वायत्तता वाले दम्पत्तियों का निर्धारण किया गया। जिन दम्पत्तियों को ३१ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त हुए थे उन्हें उच्च स्वायत्तता के रूप में माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा स्वायत्तता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.५९ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.५९ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा स्वायतता (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	स्वायत्तता उच्च	स्वायत्तता निम्न	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	३०	३०	६०
	मध्यमान	२.८७	२.८३	२.८५
	प्रामाणिक विचलन	१.६७	२.००	१.८४
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	३५	३१	६५
	मध्यमान	३.२०	३.०३	३.१२
	प्रामाणिक विचलन	२.२६	१.८०	२.०७
योग	कुल संख्या	६४	६१	१२५
	मध्यमान	३.०४	२.९३	२.९९
	प्रामाणिक विचलन	२.०३	१.९०	१.९७

तालिका ४.५९ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि बहिर्मुखी पति पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान ३.१२) अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है। उच्च स्वायत्तता वाले दम्पत्तियो का वैवाहिक समायोजन निम्न स्वायत्तता वालों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहा है।

जो पति-पत्नी अन्तर्मुखी प्रकार के और उच्च स्वायत्तता वाले थे उनका वैवाहिक समायोजन सबसे अच्छा प्राप्त हुआ है तथा सबसे निम्न वैवाहिक समायोजन अन्तर्मुखी तथा निम्न स्वायत्तता के दम्पत्तियों का प्राप्त हुआ है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा स्वायतता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन

करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.६०- वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व स्वायत्तता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सरांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	२.१८	१	२.१८	०.५५	> ०.०५
ब. स्वायत्तता (उच्च व निम्न)	०.३१२	१	०.३१२	०.०७८	> ०.०५
अ × ब	०.३१२	१	०.३१२	०.०७८	> ०.०५
समूहान्तर्गत	४७८.१७	१२१	३.९५	0.01→6.84 0.05→3.92	

तालिका ४.६० का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए एफ अनुपात का मान ३.९२ होना चाहिए, जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान ०.५५ आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

स्वायत्तता (उच्च तथा निम्न) का भी वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व स्वायत्तता का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५

स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (०.०७८)

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (९.०३) ''दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा''। सत्य सिद्ध होती है।

९.०४- तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता के प्रभाव का अध्ययन

उपर्युक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांको के आधार पर अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १ के प्राप्तांक १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों को अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारित किया गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक १ (Q_1) के प्राप्तांक २२ के आधार पर तथा चतुर्थांक ३(Q_3) के प्राप्तांक २९ के आधार पर उच्च तथा निम्न संवेगात्मक स्थिरता वाला माना गया। जिन दम्पत्तियों २२ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुये थे उन्हें अस्थिर निर्धारित किया गया तथा जिन दम्पत्तियों को ०.२९ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त हुये थे उन्हें उच्च संवेगात्मक स्थिरता के रूप में निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन

पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक स्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.६१ में इस प्रकार प्राप्त हुये

तालिका ४.६१ - तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	संवेगात्मक रूप से स्थिर	संवेगात्मक रूप से अस्थिर	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	२८	२६	५४
	मध्यमान	२.८६	२.१९	२.५४
	प्रामाणिक विचलन	१.५९	१.२०	१.४८
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	१२	४३	५५
	मध्यमान	३.५	३.००	३.११
	प्रामाणिक विचलन	१.७५	१.८९	१.८७
योग	कुल संख्या	४०	६९	१०९
	मध्यमान	३.०५	२.६९	२.८३
	प्रामाणिक विचलन	१.६६	१.७१	१.५९

तालिका ४.६१ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान ३.११) अधिक प्राप्त हुआ है। जिन दम्पत्तियों में उच्च संवेगात्मक स्थिरता थी उनका वैवाहिक समायोजन अच्छा प्राप्त हुआ है। (मध्यमान ३.०५)

जो पति-पत्नी अन्तर्मुखी प्रकार के थे तथा जो संवेगात्मक रूप से भी अधिक स्थिर थे उनका वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा प्राप्त हुआ। जो

दम्पत्ति बहिर्मुखी प्रकार के थे तथा जिनमें संवेगात्मक स्थिरता निम्न थी उनका वैवाहिक समायोजन सबसे अधिक निम्न स्तर का प्राप्त हुआ।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.६२ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक स्थिरता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी/अर्न्तमुखी)	११.७४	१	११.७४	४.१०	< ०.०५
ब. संवेगात्मक स्थिरता (उच्च व निम्न)	७.५३	१	७.५३	२.६३	> ०.०५
अ × ब	०.२२१५	१	०.२२१५	०.०७७	> ०.०५
समूहान्तर्गत	३००.४७	१०५	२.८६	0.01 → 6.90 0.05 → 3.94	

तालिका ४.६२ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति-पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए एफ अनुपात का मान ३.९४ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (४.१०) आवश्यक मान से अधिक प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन

को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं।

संवेगात्मक स्थिरता (उच्च तथा निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। (एफ अनुपात २.६३)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व संवेगात्मक स्थिरता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (एफ अनुपात ०.७७)

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (९.०४) ''दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा'' गलत सिद्ध होती है।

९.०५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

व्यक्तित्व प्रकार के प्राप्तांको के आधार पर अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १ (Q_1) के प्राप्तांक १२ के आधार पर अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। १२ तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों को अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का माना गया। इसी प्रकार चतुर्थांक ३(Q_3) के प्राप्तांक १९ के आधार पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों जिन्हें १९ तथा अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें बर्हिमुखी व्यक्तित्व का निर्धारित किया गया।

इसी प्रकार चतुर्थांक १(Q_1) के प्राप्तांक २० के आधार पर तथा चतुर्थांक ३ (Q_3) के प्राप्तांक २५ के आधार पर सामाजिक परिपक्वता (उच्च/निम्न) का निर्धारण किया गया। जिन दम्पत्तियों को २० तथा उससे कम अंक प्राप्त हुये थे उनको सामाजिक रूप से अपरिपक्व माना गया तथा जिन दम्पत्तियों को २५ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त हुए थे उन्हें सामाजिक रूप से परिपक्व माना गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों को वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक परिपक्वता को प्रभाव का अध्ययन करने पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.६३ में इस प्रकार प्राप्त हुए।

तालिका ४.६३ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता (उच्च/निम्न) के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन

व्यक्तित्व प्रकार	गणना	सामाजिक परिपक्वता	सामाजिक अपरिपक्वता	योग
बहिर्मुखी	कुल संख्या	३०	४२	७२
	मध्यमान	३.०७	३.०२	३.०४
	प्रामाणिक विचलन	१.६५	१.६९	१.६७
अन्तर्मुखी	कुल संख्या	२४	३२	५६
	मध्यमान	३.५८	२.६९	३.०७
	प्रामाणिक विचलन	२.४६	१.८४	२.१७
योग	कुल संख्या	५४	७४	१२८
	मध्यमान	३.३०	२.८८	३.०५
	प्रामाणिक विचलन	२.०६	१.७६	१.९०

तालिका ४.६३ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बहिर्मुखी पति-पत्नियों की अपेक्षा तलाक की प्रक्रिया में चल रहे अन्तर्मुखी पति-पत्नियों का वैवाहिक समायोजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान ३.०७) अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है।

जो दम्पत्ति अन्तर्मुखी प्रकार के थे और सामाजिक रूप से अपरिपक्व थे उनका वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है (३.५८)। जो पति-पत्नी अन्तर्मुखी प्रकार के थे लेकिन सामाजिक रूप से परिपक्व थे उनका समायोजन अच्छा प्राप्त नहीं हुआ है। (२.६९)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता (उच्च/निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.६४ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के व्यक्तित्व प्रकार व सामाजिक परिपक्वता के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण परिणाम सारांश-

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी व अर्न्तमुखी)	०.३०७९	१	०.३०७९	०.०८३	> ०.०५
ब. सामाजिक परिपक्वता उच्च व निम्न	६.७७	१	६.७७	१.८३	> ०.०५
अ × ब	५.२३	१	५.२३	१.४२	> ०.०५
समूहान्तर्गत	४५७.५५	१२४	३.६९	$0.01 \rightarrow 6.84$ $0.05 \rightarrow 3.92$	

तालिका ४.६४ का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि वैवाहिक समायेाजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए एफ अनुपात का मान ३.९२ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.०८३) आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है। अत: स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते है।

सामाजिक परिपक्वता तथा अपरिपक्वता का भी ०.०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है (एफ अनुपात १.८३)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा व्यक्तित्व प्रकार व सामाजिक परिपक्वता का अन्त:क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। (१.४२)

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (९.०५) "दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य-विनोद का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।'' सत्य सिद्ध होती है।

१०. तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करना-

उक्त उद्देश्य से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्तांको के आधार परिपक्व तथा अपरिपक्व दम्पत्तियों का निर्धारण किया गया।

चतुर्थांक १(Q_1) के प्राप्तांक १२५ तथा चतुर्थांक ३(Q_3) के प्राप्तांक १४१ के आधार पर निर्धारण किया गया।

जिन दम्पत्तियों को १२५ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें संवेगात्मक रूप से परिपक्व माना गया तथा जिन दम्पत्तियों १४१ या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए थे उन्हें संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व माना गया। मानसिक स्वास्थ्य प्राप्तांको के आधार पर मानसिक रूप से स्वस्थ्य तथा अस्वस्य का निर्धारण किया गया।

जिन पति-पत्नियों को १३२ तथा उससे कम अंक प्राप्त हुए थे उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ्य निर्धारित किया गया तथा जिन दम्पत्तियों को १४४ तथा इससे अधिक अंक प्राप्त हुए थे उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ्य निर्धारित किया गया।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन की गणना की गई। जिसके परिणाम तालिका ४.६५ में इस प्रकार प्राप्त हुए है।

तालिका ४.६५ तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति व पत्नी के संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के वैवाहिक समायोजन का मध्यमान तथा प्रामाणिक विचलन-

मानसिक स्वास्थ्य	गणना	संवेगात्मक परिपक्वता (निम्न)	संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च)	योग
मानसिक स्वास्थ्य (उच्च)	कुल संख्या	२७	२५	५२
	मध्यमान	३.००	३.२६	३.१७
	प्रामाणिक विचलन	१.९२	१.८५	१.८९
मानसिक स्वास्थ्य (निम्न)	कुल संख्या	१८	१९	३७
	मध्यमान	३.२८	२.४२	२.८४
	प्रामाणिक विचलन	१.९७	१.५७	१.८३
योग	कुल संख्या	४५	४४	८९
	मध्यमान	३.११	२.९५	३.०३
	प्रामाणिक विचलन	१.९४	१.७८	१.८७

तालिका ४.६५ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ दम्पत्तियों की अपेक्षा मानसिक रूप से स्वस्थ्य दम्पत्तियों का वैवाहिक समायेजन तुलनात्मक रूप से (मध्यमान ३.१७) अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है।

संवेगात्मक रूप से परिपक्व तथा अपरिपक्व दम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन में काफी अन्तर प्राप्त हुआ है।

जो दम्पत्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ और संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व थे उनका वैवाहिक समायोजन अधिक अच्छा प्राप्त हुआ है। (३.२८)

जो दम्पत्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ्य थे और संवेगात्मक रूप से परिपक्व थे उनका वैवाहिक समायोजन निम्न स्तर का प्राप्त हुआ है (मध्यमान २.४२)।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के संवेगात्मक रूप से

परिपक्व तथा अपरिपक्व तथा मानसिक स्वास्थ्य उच्च तथा निम्न का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के उद्देश्य से २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण की गणना की गई।

तालिका ४.६६ वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी तथा संवेगात्मक परिपक्वता व मानसिक स्वास्थ्य के सार्थक प्रभाव का २×२ कारकीय अभिकल्प के आधार पर प्रसरण विश्लेषण सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता के अंश	मध्यमान वर्ग	एफ अनुपात	प्रायिकता
अ. मानसिक स्वास्थ्य (उच्च व निम्न)	१.७३	१	१.७३	०.४९	> ०.०५
ब. संवेगात्मक परिपक्वता उच्च व निम्न	१.९४	१	१.९४	०.५५	> ०.०५
अ × ब	६.७०	१	६.७०	१.८९	> ०.०५
समूहान्तर्गत	३०२	८५	३.५५	0.01 → 6.96 0.05 → 3.96	

तालिका ४.६६ का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक समायोजन पर तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नियों के मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ०.०५ स्तर पर सार्थक अन्तर के लिए एफ अनुपात का मान ३.९६ होना चाहिए जबकि प्राप्त एफ अनुपात का मान (०.४९) आवश्यक मान से कम प्राप्त हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च/निम्न) का भी वैवाहिक समायोजन पर ०.

०५ स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। (०.५५)

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक परिपक्वता का अन्त: क्रियात्मक प्रभाव सार्थक रूप से वैवाहिक समायोजन को ०.०५ स्तर पर प्रभावित नहीं करता है।

उक्त परिणामों के आधार पर शून्य उपकल्पना (१०) "दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा" सत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अनुसन्धान द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए-

१. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन पत्नियों की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक उच्च स्तर का प्राप्त हुआ।

२. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों की अपेक्षा पत्नियों में संवेगात्मक परिपक्वता सार्थक रूप से अधिक प्राप्त हुई।

३. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों में संवेगात्मक अस्थिरता, व्यक्तित्व विघटन तथा नेतृत्वहीनता सार्थक रूप में पत्नियों की अपेक्षा उच्च स्तर की प्राप्त हुई।

४. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों की अपेक्षा पत्नियों में सामाजिक कुसमायोजन सार्थक रूप से अधिक प्राप्त हुआ।

५. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का मानसिक स्वास्थ्य पत्नियों की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक उत्तम प्राप्त हुआ। पतियों में मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सार्थक रूप में अधिक वास्तविकता (realistic), स्वायत्तता

(autonomy) तथा अधिक सामाजिक परिपक्वता (Social maturity), प्राप्त हुई।

६. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों द्वारा वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप में प्रभावित किया जाता है। किन्तु बर्हिमुखी व अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप में प्रभावित नहीं करता है।

७. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों (पति व पत्नी) तथा संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न) वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप में प्रभावित नहीं करते हैं।

८. मानसिक स्वास्थ्य जिन दम्पत्तियों का अधिक उच्च था उनका वैवाहिक समायोजन भी उच्च स्तर का प्राप्त हुआ।

९. इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत जिन दम्पत्तियों में उच्च हास्य-विनोद, उच्च स्वायत्ता, उच्च संवेगार्तमक स्थिरता तथा उच्च सामाजिक परिपक्वता प्राप्त हुई उनका वैवाहिक समायोजन भी उच्च स्तर का प्राप्त हुआ।

१०. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी तथा अन्तर्मुखी) तथा संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आगामी अध्ययनों हेतु सुझाव

प्रस्तुत अनुसन्धान के अन्तर्गत तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व प्रकार, संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त अनुसन्धान के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तियों के आधार पर अन्य आगामी अध्ययन किये जा सकते

हैं।

सर्वप्रथम तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन भी आगामी अनुसन्धानों में किया जा सकता है। संयुक्त परिवार निरन्तर कम होते जा रहे हैं तथा एकाकी परिवार की अधिक संख्या होती जा रही है। इस सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव तलाक की सम्भावना में वृद्धि तो नहीं कर रहा है? यह अध्ययन का आवश्यक तथा रोचक विषय सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से जो महिलायें सम्पन्न हैं तथा स्वयं धनोपार्जन भी करती हैं ऐसी कामकाजी महिलाओं के वैवाहिक समायोजन का अध्ययन भी आवश्यक है।

इस प्रकार संयुक्त तथा एकाकी परिवार से सम्बन्धित ऐसे दम्पत्तियों का भी अध्ययन किया जा सकता है जो कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के परिवार के सदस्यों की संख्या तथा स्थिति का भी अध्ययन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन कारणों की खोज करने का प्रयास करना आवश्यक है, जिनके फलस्वरूप उन दम्पत्तियों को तलाक प्राप्त करने के लिये बाध्य होना पड़ा। अत: तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के आत्म-प्रत्यय, व्यक्तित्व से सम्बन्धित विभिन्न परिवर्तियों, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक स्थिति तथा दम्पत्तियों की स्वभावगत विशेषताओं (Temperamental Qualities) का विस्तारपूर्वक अध्ययन आगामी अनुसन्धानों में करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों का अध्ययन विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय के रूप में भी किया जा सकता है। ईसाई, हिन्दू, मुस्लिम तथा सिक्ख आदि प्रमुख धर्म-सम्प्रदायों में किस धर्म सम्प्रदाय के दम्पत्ति अधिक तलाक प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं तथा जिस सम्प्रदाय के दम्पत्ति अधिक तलाक चाहते हैं उस धर्म-सम्प्रदाय विशेष में कौन से विशिष्ट कारण हैं? यह ज्ञात करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों की धार्मिक अभिवृत्ति का भी अध्ययन किया जा सकता है। सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे दम्पत्तियों की ध ार्मिक अभिवृत्ति तथा अन्य व्यक्तित्व की विशेषताओं का तुलनात्मक अध ययन तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों से की जा सकती है।

आशा है आगामी अनुसन्धान इस क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान करेंगे।

प्रस्तुत अनुसन्धान की परिसीमायें-

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के जालौन-जनपद के उन दम्पत्तियों पर किया गया है जो कि गत एक वर्ष से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। यदि प्रस्तुत अध्ययन अन्य जनपदों के तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर भी किया जाये तब प्राप्त परिणामों को अधिक सामान्यीकृत किया जा सकता है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे केवल उन्हीं दम्पत्तियों पर प्रस्तुत अध्ययन किया गया है जो कि २५ से ३५ आयु वर्ग से सम्बन्धित थे। यदि इसके अतिरिक्त अन्य आयु वर्ग से सम्बन्धित तलाक की प्रक्रिया मे ंचल रहे दम्पत्तियों का भी अध्ययन कर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करना सम्भव हो सकता है।

प्रस्तुत अनुसन्धान केवल मध्यम वर्ग से सम्बन्धित दम्पत्तियों पर किया गया है। यदि अन्य उच्च तथा निम्न वर्ग से सम्बन्धित तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर किया जाये तब अन्य प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का भी अध्ययन करना सम्भव हो सकता है।

पंचम अध्याय

संक्षिप्तीकरण

भूमिका

हमारा संविधान स्पष्ट एवं जोरदार शब्दों में स्त्री-पुरुष समानता का उद्घोष करता है। भारतीय नारी को समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि संवैधानिक और राजनैतिक समानता का स्वाद नारियों के केवल उस वर्ग तक ही पहुँच पाया है जिसके पास शिक्षा एवं सामाजिक मान प्रतिष्ठा है।

आजादी के पचास दशक बाद जिस तरह के परिवर्तन भारत में दिखाई दे रहे हैं कुछ-कुछ वैसे ही परिवर्तन भारतीय नारी के चेहरे पर भी देखने को मिल रहे है। परिवर्तन की यह लहर चाल-ढाल पहनावे से लेकर रसोई घर तक झलकने लगी है जहाँ की जिम्मेदारी आज भी पूरी तरह से नारियों के मजबूत एवं सहनशील कंधों पर टिकी हुयी है।

सरकार ने समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक कानून एवं कार्यक्रम बनाये है। लेकिन उन तमाम कानून एवं कार्यक्रम का अब तक कोई उचित एवं अनुकूल प्रभाव नारियों की दशा एवं दिशा निर्धारित करने की ओर नहीं दिखायी दे रहा है। जो भी प्रयास किया जा रहा है वह सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं एवं अशिक्षा के कारण गुम होता जा रहा है।

आज भी पुरुष प्रधान समाज द्वारा उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण निर्वाध गति से जारी है। दहेज से पीड़ित स्त्री आत्महत्या करने का मजबूर है। नारी चाहे गृहणी हो या दफ्तर की कर्मचारी या खेतिहर मजदूर या कल-कारखानों में श्रमिक हर जगह किसी न किसी रूप में उनका शोषण ही हो रहा है।

महिलायें चाहे वे किसी भी वर्ग की हों अत्यन्त दमित एवं उपेक्षित है। पुरुष

प्रधान समाज के भीतर साधरणत: नारी की स्थिति निराशाजनक है इसलिए आरक्षण का लाभ नारियों को भी मिलना चाहिए।

महिलायें पिछड़े वर्ग में आती है किन्तु पिछड़े वर्गों में महिलाओं की स्थिति और भी पिछड़ी हुयी है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से इस वर्ग में महिलाओं को भी शामिल किया जाये।

प्राचीन हिन्दू समाज को यदि उलट-पलट कर देखा जाये तो महिलाओं को जूते की नोंक पर रखा गया है। महिलाओं के लिए समाज में ढेरों कर्त्तव्य निर्धारित कर दिये गये हैं परन्तु महिलाओं के अधिकारों की बात को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया गया है।

लिण्डग्रेन ने कहा है कि लैगिंक भेद एवं भूमिका भी व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है और नारी का स्थान गौण है। नारी अपने हर रूप में सदैव शोषित की जा रही है। इसका कारण स्त्री की परिवार व समाज में विशिष्ट भूमिका ही महत्वपूर्ण कारण है।

कुछ वर्षों से तलाक की घटनाओं में काफी तेजी आई है इसका कारण यह है कि शिक्षा का दायरा, बढ़ने और महिलाओं में जागरूकता आने से ही वे एक तरफ अपने अस्तित्व का अहसास कराने के लिए आर्थिक, सामाजिक स्वतन्त्रता चाहने लगी है और दूसरी ओर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों व शोषण का प्रतिकार भी खुलकर करने लगी हैं।

तलाक के मूल आधार की खोज करने से पता चलता है कि जीवन साथी शीघ्र एवं स्वयं तलाश करने की व्यग्रता, कच्ची उम्र की भावुकता, प्रेम की स्वाभाविक आकांक्षा जो कि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम भी इसकी जड़ होता है।

आज भी शिक्षित महिलाओं ने अपने ऊपर पुरुषों द्वारा अत्याचार किया जाना व उनके कुवचनों का दुर्व्यवहार को अमान्य कर दिया है और स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने के लिए तलाक को अपनाया है। तलाक लेने वाली महिलायें अधिकतर शिक्षित ही होती है और वे आर्थिक सम्बन्धों में आत्मनिर्भर होती है ऐसी स्थिति में पुरुषों से दबकर रहना उन्हें स्वीकार नही होता। वे अपने अधिकारों की माँग करती हैं। उनमें सहनशक्ति की कमी होती है जिसके कारण किसी गलत बात को सहन कर पाना उन्हें स्वीकार्य नहीं होता है। पति से दबकर रहने की बजाय वे तलाक लेकर अलग रहकर स्वच्छंद जीना अधिक अच्छा समझने लगी है।

समस्या का कथन

वर्तमान मनोसामाजिक स्थिति में जब स्त्री अपने अधिकार और अस्मिता के प्रति जागरूक हो रही हों तो वैवाहिक जीवन में भी विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। पारिवारिक कलह अदालतों तक पहुँचने लगी हैं। अदालतों में तलाक सम्बन्धी मुकद्दमों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में यह एक रोचक विषय हो सकता है कि हम ऐसे दम्पात्तियों को मनो-सामाजिक अध्ययन करें जिनके तलाक के मुकद्दमें अदालत में विचारधीन है।

अतः अध्ययन की समस्या है :- ''तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व, समायोजन और संवेगात्मक परिपक्वता का एक अध्ययन।

प्रस्तुत अनुसधान के उददेश्य -

प्रस्तुत अनुसधान के प्रमुख निम्न लिखित उददेश्य हैं-

१- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन के

मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना

२- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे) के सवेंगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

३.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थय के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्यके अन्तर्गत वास्तविकता (realistic) के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०२-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे)के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद (Joyful Living) के मध्य सार्थक अन्तरका अध्ययन करना।

४.०३-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता (autonomy) के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सवेंगात्मक स्थिरता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

४.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन करना।

५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०१- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलरहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक

समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०२-पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलरहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०३- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चलरहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का वैवाहिक समायोजन सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

६.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता अध्ययन करना (Realistic) का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्ता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

७.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्र्तगत सामाजिक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

८. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सवेंगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०१ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सवेंगात्मक अस्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०२ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्र्तगत संवेगात्मक प्रतिगमन के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०३ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्र्तगत सामाजिक कुसमायोजन के प्रभाव का

अध्ययन करना।

८.०४ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के प्रभाव का अध्ययन करना।

८.०५ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के प्रभाव का अध्ययन करना।

९. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०१ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायेजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत वास्तविकता (Realistic) के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०२ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत हास्य विनोद (Joyful living) के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०३ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य

के अन्तर्गत स्वायतता (autonomy) के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०४ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अर्न्तगत संवेगात्मक स्थिरता के प्रभाव का अध्ययन करना।

९.०५ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे प्रति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सामाजिक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना।

१०. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के सार्थक प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान की उपकल्पना -

प्रस्ततु अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शून्य उपकल्पनायें निर्मित की गयी।

१. पति तथा पत्नी (तलाक कीा प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

२. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता के मध्य कोई

सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सवेंगात्मक प्रतिगमन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन के मध्य में काई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

३.५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

४. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

४.०१- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता के मध्य कोई सार्थक अस्तर नही होगा।

४.०२- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।

४.०३- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के

मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायन्तता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।

४.०४- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सवेगात्मक स्थिरता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होग।

४.०५- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।

५- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के व्यक्तित्व प्रकार का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६- पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर काई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तिगत विघटन का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

६.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का वैवाहिक समायेाजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७. पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायेाजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०१ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०२ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०३ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०४ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

७.०५ पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का वैवाहिक

समायेाजन पर कोइ सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८. दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८.०१ दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक अस्थिरता का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

८.०२- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक के समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत संवेगात्मक प्रतिगमन का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

८.०३- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत सामाजिक कुसमायोजन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८.०४- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा संवेगात्मक परिपक्वता के अन्तर्गत व्यक्तित्व विघटन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

८.०५- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा सवेंगात्मक

परिपक्वता के अन्तर्गत नेतृत्व हीनता का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

९- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।

९.०१- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत वास्तविकता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०२- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत हास्य विनोद का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०३- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्वायत्तता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०४- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत संवेगात्मक स्थिरता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

९.०५- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार तथा मानसिक

स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक परिपक्वता का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

१०- दम्पत्तियों (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी) के वैवाहिक समायोजन पर संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व

पति और पत्नी अपनी समझदारी से अपने वैवाहिक जीवन को काफी अच्छा बना सकते है किन्तु वहीं उनकी न समझी वैवाहिक जीवन को निकृष्ट बना सकती है। विवाह सिर्फ शारीरिक सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन है। दो विभिन्न मानसिक क्षमतायें मिलकर एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ सकते है और इसके लिए जरूरी है कि पति-पत्नी दोनों में ही त्याग, सहनशीलता पारस्परिक समझ और सहानुभूति एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। रूचियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साझी रूचियां पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करती है और दोनों के बीच में सक्रिय संवाद बनाये रखती है वैवाहिक जीवन में प्यार और प्रसन्नता बनाये रखने के लिए तीन बिन्दू अधिक महत्वपूर्ण है।

१. एक सही साथी का चुनाव।

२. अपने साथी के प्रति एक अच्छा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

३. एक उत्साहित एवं सामंजस्यपूर्ण लैगिंक जीवन।

इसके अतिरिक्त आदर्श पति, आदर्श पत्नी की अलग-अलग विशेषतायें भी हो सकती है किन्तु उपरोक्त वर्णित तीन बिन्दुओं के भाव में वैवाहिक जीवन में दारार पड़ना लगभग सम्भावित है।

वर्तमान जीवन में हम आधुनिकता की ओर तो बढ़ रहे है किन्तु पारस्परिक सोंच और दायरों को छोड़ भी तो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से हम कुछ ऐसे बिन्दुओं की तलाश करेंगे जिससे यह पता लग सकेगा कि तलाक की प्रक्रिया में कौन से कारकों का हाथ होता है।

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा यह भी ज्ञात होगा कि वैवाहिक समायोजन को संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य किस सीमा तक प्रभावित करता है। बर्हिमुखीा तथा अर्न्तमुखी व्यक्तित्व वैवाहिक समायोजन को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत अनुसन्धान द्वारा यह ज्ञात होगा कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन को कौन से कारक सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। अत: प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

अनुसंधान पद्धति तथा अनुसन्धान अभिकल्प

१. जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन जालौन जनपद में तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर किया गया। यह दम्पत्ति २५-३५ आयु वर्ग के थे तथा जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर औसत स्तर का था तथा जिनके तलाक के मुकद्दमे एक साल से अधिक की अवधि से चल रहे थे।

२. प्रतिदर्श

प्रस्तुत अनुसंधान के अन्तर्गत प्रतिदर्श के रूप में तलाक की प्रक्रिया में चल रहे जालौन जनपद के २०० दम्पत्तियों (पति तथा पत्नी) का चयन किया गया। यह २०० दम्पत्तियों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन

विधि द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया गया–

१. जिनके तलाक के मुकद्दमे एक साल से अधिक की अवधि से चल रहे थे।

२. ऐसे दम्पत्तियों का चयन किया गया जो कि २५–३५ आयु वर्ग के हों।

३. ऐसे दम्पत्तियों का चयन किया गय जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर औसत स्तर का हो।

3. *अनुसन्धान अभिकल्प*

प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व प्रकार, वैवाहिक समायोजन मानसिक स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत अनुसंधान के अर्न्तगत तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी के वैवाहिक समायोजन पर मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व प्रकार (अर्न्तमुखी तथा बर्हिमुखी), संवेगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन करना है।

वैवाहिक समायेजन पर उक्त सभी परिवर्तियों का प्रभाव पहले ही पड़ चुका है अथवा घटित हो चुका है। वैवाहिक समायोजन के आधार पर उक्त परिवर्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाना सम्भव है अतः प्रस्तुत अनुसंधान घटनोत्तर अनुसंधान (Ex-Post-Facto Reserch) प्रकार का है। स्वतन्त्र परिवर्ती पहले ही प्रभाव डाल चुके हैं। अनुसंधानकर्ता आश्रित परिवर्ती अर्थात वैवाहिक समायोजन के आधार पर निरीक्षण कार्य प्रारम्भ करेगा। प्रस्तुत अनुसंधान में स्वतन्त्र तथा आश्रित परिवर्ती इस प्रकार है–

स्वतन्त्र परिवर्ती-

१. व्यक्तित्व प्रकार (अन्र्तमुखी तथा बर्हिमुखी)

२. मानसिक स्वास्थ्य (उच्च तथा निम्न)

३. संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न)

४. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति तथा पत्नी

आश्रित परिवर्ती-

वैवाहिक समायोजन

४. *प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण-*

प्रस्तुत अनुसंधान के अन्तर्गत निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया गया-

१. मानसिक स्वास्थ्य मापनी द्वारा डा० तारेश भाटिया और डा० सतीश चन्द्र शर्मा

२. संवेगात्मक परिपक्वता मापनी द्वारा डा० यशवीर सिंह तथा डा० महेश भार्गव

३. बर्हिमुखी अन्र्तमुखी व्यक्तित्व सूची द्वारा डा० तारेश भाटिया

४. वैवाहिक समायोजन सूची द्वारा डा० तारेश भाटिया तथा डा० सतीश चन्द्र शर्मा

५ *प्रशासन प्रक्रिया*

प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरुप विभिन्न परीक्षण का प्रशासन किया गया। प्रस्तुत अनुसंधान में २०० पति तथा२०० पत्नियों को अध्ययन में सम्मिलित कि या जो कि २५ से ३५ आयु वर्ग के थे तथा जिनके तलाक के मुकद्दमें एक साल से अधिक की अवधि से चल रहे थे।

सर्वप्रथम न्यायालय परिसर में जाकर उन दम्पत्तियों का पता लगाया गया जो कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। पूर्ण सूचना ऐसे दम्पत्तियों के बारे में पता लगाने के पश्चात् उन सभी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अपने अनुसन्धान का उद्देश्य बताया तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की प्रशासित किया।

इस प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन तलाक की प्रक्रिया में चल रहे २०० पति तथा २०० पत्नियों पर किया गया।

६ प्रयुक्त सांख्यकीय विधियाँ

प्रस्तुत अनुसधांन के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदत्त सकंलन के पश्चात निम्नलिखत सांख्यकीय पद्धतियों को प्रयुक्त किया गया–

अ मध्यमान

ब प्रामाणिक विचलन

स क्रान्तिक अनुपात

द प्रसरण विश्लेषण

प्रदत्त-विश्लेषण तथा विवेचन-

प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर प्रदत्त विश्लेषण तथा विवेचन निम्नलिखित दो भागों में प्रस्तुत किया गया है

भाग-अ-

पति तथा पत्नी (तलाक की प्रक्रिया में चल रहे) के वैवाहिक समायोजन, व्यक्तित्व प्रकार, संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक अन्तर का अध्ययन, विश्लेषण तथा विवेचन करना।

भाग-ब

वैवाहिक समायोजन पर व्यक्तित्व प्रकार, संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन, विश्लेषण तथा विवेचन करना।

प्रस्तुत अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न शून्य उपकल्पनायें निर्मित की गयी हैं। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत प्रदत्त विश्लेषण द्वारा इन शून्य उपकल्पनाओं की सत्यता की जाँच तथा उनका विवेचन भी किया गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अनुसन्धान द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए-

१. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का वैवाहिक समायोजन पत्नियों की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक उच्च स्तर का प्राप्त हुआ।

२. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों की अपेक्षा पत्नियों में संवेगात्मक परिपक्वता सार्थक रूप से अधिक प्राप्त हुई।

३. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों में संवेगात्मक अस्थिरता, व्यक्तित्व विघटन तथा नेतृत्वहीनता सार्थक रूप में पत्नियों की अपेक्षा उच्च स्तर की प्राप्त हुई।

४. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों की अपेक्षा पत्नियों में सामाजिक कुसमायोजन सार्थक रूप से अधिक प्राप्त हुआ।

५. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पतियों का मानसिक स्वास्थ्य पत्नियों की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक उत्तम प्राप्त हुआ। पतियों में मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सार्थक रूप में अधिक वास्तविकता (realistic), स्वायत्तता (autonomy) तथा अधिक सामाजिक परिपक्वता (Social maturity), प्राप्त

हुई।

६. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों द्वारा वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप में प्रभावित किया जाता है। किन्तु बर्हिमुखी व अन्तर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप में प्रभावित नहीं करता है।

७. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों (पति व पत्नी) तथा संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न) वैवाहिक समायोजन को सार्थक रूप में प्रभावित नहीं करते हैं।

८. मानसिक स्वास्थ्य जिन दम्पत्तियों का अधिक उच्च था उनका वैवाहिक समायोजन भी उच्च स्तर का प्राप्त हुआ।

९. इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत जिन दम्पत्तियों में उच्च हास्य-विनोद, उच्च स्वायत्ता, उच्च संवेगार्तमक स्थिरता तथा उच्च सामाजिक परिपक्वता प्राप्त हुई उनका वैवाहिक समायोजन भी उच्च स्तर का प्राप्त हुआ।

१०. तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व प्रकार (बर्हिमुखी तथा अन्तर्मुखी) तथा संवेगात्मक परिपक्वता (उच्च व निम्न) का वैवाहिक समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आगामी अध्ययनों हेतु सुझाव

प्रस्तुत अनुसन्धान के अन्तर्गत तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के व्यक्तित्व प्रकार, संवेगात्मक परिपक्वता तथा मानसिक स्वास्थ्य का वैवाहिक समायेाजन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त अनुसन्धान के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तियों के आधार पर अन्य आगामी अध्ययन किये जा सकते हैं।

सर्वप्रथम तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन भी आगामी अनुसन्धानों में किया जा सकता है। संयुक्त परिवार निरन्तर कम होते जा रहे हैं तथा एकाकी परिवार की अधिक संख्या होती जा रही है। इस सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव तलाक की सम्भावना में वृद्धि तो नहीं कर रहा है? यह अध्ययन का आवश्यक तथा रोचक विषय सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से जो महिलायें सम्पन्न हैं तथा स्वयं धनोपार्जन भी करती हैं ऐसी कामकाजी महिलाओं के वैवाहिक समायोजन का अध्ययन भी आवश्यक है।

इस प्रकार संयुक्त तथा एकाकी परिवार से सम्बन्धित ऐसे दम्पत्तियों का भी अध्ययन किया जा सकता है जो कि तलाक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के परिवार के सदस्यों की संख्या तथा स्थिति का भी अध्ययन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन कारणों की खोज करने का प्रयास करना आवश्यक है, जिनके फलस्वरूप उन दम्पत्तियों को तलाक प्राप्त करने के लिये बाध्य होना पड़ा। अतः तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों के आत्म-प्रत्यय, व्यक्तित्व से सम्बन्धित विभिन्न परिवर्तियों, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक स्थिति तथा दम्पत्तियों की स्वभावगत विशेषताओं (Temperamental Qualities) का विस्तारपूर्वक अध्ययन आगामी अनुसन्धानों में करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों का अध्ययन विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय के रूप में भी किया जा सकता है। ईसाई, हिन्दू, मुस्लिम तथा सिक्ख आदि प्रमुख धर्म-सम्प्रदायों में किस धर्म सम्प्रदाय के दम्पत्ति अधिक तलाक प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं तथा जिस सम्प्रदाय के दम्पत्ति अधिक तलाक चाहते हैं उस धर्म-सम्प्रदाय विशेष में कौन से विशिष्ट कारण हैं? यह ज्ञात करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों की धार्मिक अभिवृत्ति का भी अध्ययन

किया जा सकता है। सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे दम्पत्तियों की धार्मिक अभिवृत्ति तथा अन्य व्यक्तित्व की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों से की जा सकती है।

आशा है आगामी अनुसन्धान इस क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण परिणाम प्रदान करेंगे।

प्रस्तुत अनुसन्धान की परिसीमायें-

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के जालौन-जनपद के उन दम्पत्तियों पर किया गया है जो कि गत एक वर्ष से तलाक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। यदि प्रस्तुत अध्ययन अन्य जनपदों के तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर भी किया जाये तब प्राप्त परिणामों को अधिक सामान्यीकृत किया जा सकता है। तलाक की प्रक्रिया में चल रहे केवल उन्हीं दम्पत्तियों पर प्रस्तुत अध्ययन किया गया है जो कि २५ से ३५ आयु वर्ग से सम्बन्धित थे। यदि इसके अतिरिक्त अन्य आयु वर्ग से सम्बन्धित तलाक की प्रक्रिया मे चल रहे दम्पत्तियों का भी अध्ययन कर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करना सम्भव हो सकता है।

प्रस्तुत अनुसन्धान केवल मध्यम वर्ग से सम्बन्धित दम्पत्तियों पर किया गया है। यदि अन्य उच्च तथा निम्न वर्ग से सम्बन्धित तलाक की प्रक्रिया में चल रहे दम्पत्तियों पर किया जाये तब अन्य प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का भी अध्ययन करना सम्भव हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

BIBLIOGRAPHY

Badiger, M.S. and Saroj, K. (1998) Socio-demographic profile of divorces in Dharwad, Karnataka. Journal of Community Guidance and Reasearch, 1998, 15 (1) , 37-47.

Bal, S. (1988) Marital adjustment of dual earner couples in relation to marriage span. Journal of Indian Academy of applied Psychology, 1988, 14 (1) , 31-36.

Bhatara, Kamal (1996) : Infertility Reaction to frustration and marital adjustment. Souvenir, Psycholingvirtic association of India, 17th & 18th Oct., 1996, P. 65.

Chaya (1985) Marital adjustment of overlearneds. Asian Journal of Psychology and Education, 1985, 15(4), 8-11.

Ferguson, G.A. (1976) Statistical analysis in Psychology and Education McGraw. Hill, Koyakusha, 1976.

Freeman, F.S. (1968) Theory and Practice of Psychological Testing Oxford & T.B.H. Publishing Co., Bombay, 1968.

Garrett, H.E.j (1967) Statistics in Psychology and education Vakils fehher in Simons Pvt. Ltd. Bombay, 1967.

Gupta, S.C., Cavr, B. & Agarwal, A.K. (1989) Marital interaction in the Parents of Schizophrenic Patients, Indian Journal of Clinical Psychology,

1989, 16, 4-45.

Gupta, V.K. (1982) Impact of anxiety and achievement motivation on self-concept of High School Student. Indian Psychological Review, 1982, 23 (3), 26-29.

Gupta Naim C. (1989) Crosscultural : Comparision of self concept among American and Indian College student. D.E.I. Research Journal of Education and Psychology, 1989.

Kumar, P. & Rastogi, K. (1985) Marital adjustment study of some Personality Correlates. Indian Journal of Clinical Psychology, 1985, 12 (2), 15-18.

Kshetrapal, V. & Gupta, Anita (1986) Need patterns and self-concept of Hostlers and day Scholars. Indian Journal of Clinical psychology, 1986, 13 (2), 91-96.

Kerlinger, F.N. (1978) Foundation of behavioural research. Surjeet Publication, Delhi, 1978.

Mathur , S. (1986) Relationship between need achievement and self-disclosure among adolscents. Indian Journal of Clinical Psychology, 1986, 13 (2), 149-153.

Mayamma, M.C. & Sathyavasthi, K. (1987) Marital role conflicts in neurotics. Indian Journal of Clinical Psychology, 1987, 14, 65-67.

Mishra, V.D. and Mishra, K.N. (1994) Litigants in divorces cases : A look

into their personality. Indian Journal of Crimiology, 1994 (Jul.) 22 (2), 77-88

Mrinal N.R., Mahulkar, Meena M. & Singhal, Uma (1997) Anxiety and insecurity in single, Married and Divorced woman. Prachi Journal of Psycho-cultural dimensions, 1997, Vol. 13 (1), 61-66.

Parikh, B.A. (1984) Anatomy of divorce social welfare, 1984, 31 (10) 14-15

Pal R. & Tiwari, G. (1984) Self-concept and Level of Aspiration in High and Low achieving Higher Secondary Puples. Indian Psychological Review, 1984, 27, (1-4), 17-22.

Pratap S. & Bhargava K. (1983) Self disclosure as related to personality. Indian Journal of Clinical Psychology, 1983, 9, 233-236.

Rang Kappa, K.T. (1994) Effect of self-concept on achievement in mathematics psycho-Lingua, 1994, 24 (1), 43-48.

Sahar, Abdul Karim, Rahman, Sadaqat & Kureshi, Afzal (1991) A study of alienation among divorces men and women. Journal of Psychological Researches, 1991 (Jan.), 35 (1), 6-9.

Sanadu Raj, H.S.T., Thomas (1984) Masculinity feminity in relation Self-esteem and adjustment. Defferential logist, 1984, 3(2), 87-92.

परिशिष्ट

तलाक की प्रक्रिया में चल रहे पति

क्र.स.	वैवाहिक समायोजन	मानसिक स्वास्थ्य						व्यक्तित्व प्रकार	संवेगात्मक परिपक्वता					
		a	b	c	d	e	योग		a	b	c	d	e	योग
1	7	31	32	30	27	28	148	17	40	39	20	13	11	123
2	1	34	26	23	37	29	149	20	30	32	19	11	12	104
3	1	30	32	27	27	31	147	14	45	47	43	30	13	178
4	4	38	33	30	24	30	155	11	40	37	41	29	15	162
5	6	37	32	30	23	22	144	13	26	24	23	24	23	120
6	5	30	34	29	20	24	137	15	25	21	22	20	15	103
7	1	36	38	34	26	23	157	11	41	28	16	22	8	115
8	4	33	25	36	27	22	137	15	39	26	20	21	10	116
9	6	30	32	34	25	26	147	18	35	25	30	19	14	123
10	5	29	37	26	20	23	135	17	40	29	20	18	15	122
11	4	32	34	30	27	22	139	11	25	20	18	21	20	104
12	4	33	25	36	27	24	139	10	41	25	17	22	17	122
13	1	38	36	30	20	22	146	12	39	21	19	15	12	106
14	3	31	32	27	22	26	138	15	30	42	36	17	13	138
15	2	36	26	29	30	22	143	17	25	44	34	29	21	153
16	4	35	29	30	32	26	152	13	27	32	31	24	29	133
17	7	36	30	31	27	21	146	14	30	38	26	25	12	131
18	5	39	34	34	20	25	152	16	36	30	29	19	18	132
19	6	42	29	32	24	22	149	18	32	31	31	18	16	128
20	2	40	35	29	34	32	166	20	38	24	20	16	12	110
21	9	36	31	32	19	31	150	10	38	39	25	30	25	157
22	6	35	31	34	26	27	153	19	34	31	29	37	31	162
23	3	33	29	27	23	29	141	18	38	23	18	29	18	126
24	7	29	28	30	25	20	132	17	32	30	30	35	25	152
25	2	35	23	38	36	20	152	10	39	28	21	37	26	151
26	2	39	34	27	22	31	153	16	26	26	25	39	18	134
27	5	30	33	25	21	22	141	11	45	32	32	30	22	161
28	1	37	29	28	20	28	142	15	41	29	36	32	21	159
29	3	40	32	25	23	27	147	14	35	26	41	30	16	148
30	3	36	26	28	20	25	135	19	27	28	21	29	18	123
31	2	32	27	32	19	28	138	16	29	32	28	24	14	127

32	5	20	33	25	21	22	130	18	28	36	27	29	29	139
33	4	37	30	23	25	24	139	20	32	33	25	22	23	135
34	3	36	28	38	26	25	153	21	45	29	29	15	20	139
35	2	41	20	20	28	24	133	13	30	40	26	18	22	136
36	1	40	34	30	23	20	147	12	36	41	35	22	23	157
37	4	36	31	22	30	26	147	11	31	31	31	30	20	143
38	1	34	26	20	28	29	137	10	28	30	22	30	19	139
39	1	32	28	22	27	30	139	26	33	29	20	20	16	118
40	5	32	31	31	24	30	148	23	27	34	28	21	17	127
41	3	29	26	36	21	28	140	19	30	26	22	27	14	119
42	4	30	31	25	27	21	134	11	28	28	29	23	19	127
43	6	34	38	29	28	23	152	17	34	29	28	24	20	135
44	2	29	37	33	19	24	142	15	36	31	23	31	16	137
45	1	37	31	32	20	23	143	10	32	28	30	30	15	135
46	2	31	25	39	23	26	144	16	28	30	25	23	17	123
47	3	38	31	40	26	27	162	12	30	29	26	24	16	125
48	4	33	36	29	22	29	149	20	31	27	28	26	15	127
49	6	33	30	27	27	28	145	21	29	30	30	27	13	129
50	8	34	42	53	30	27	150	13	34	25	29	21	19	128
51	4	29	35	34	22	26	146	17	37	26	19	21	11	114
52	3	31	31	35	25	25	147	19	38	28	23	23	19	131
53	5	39	20	29	24	31	143	20	36	23	19	22	14	114
54	2	37	34	31	26	30	158	18	33	30	23	19	16	121
55	1	30	30	30	29	26	145	14	28	36	22	17	18	121
56	4	41	31	32	21	21	146	12	26	35	32	19	13	125
57	6	29	30	33	24	24	140	11	34	27	33	21	12	127
58	8	31	27	34	23	26	141	13	32	30	29	23	19	133
59	4	34	23	35	26	25	143	10	29	31	30	25	16	131
60	5	36	35	36	24	23	154	11	33	27	27	24	12	123
61	3	32	36	29	19	20	136	11	26	31	28	30	14	129
62	2	38	38	27	21	29	153	19	31	26	33	30	13	133
63	1	29	35	20	23	28	135	21	33	27	34	29	18	141
64	3	33	31	31	24	28	147	22	31	34	30	21	16	132
65	2	34	29	33	25	22	143	17	35	31	25	22	17	131
66	5	31	30	34	29	23	147	16	31	26	21	28	20	126

67	4	32	33	35	28	24	152	14	32	29	23	26	19	129
68	3	33	31	36	22	25	147	13	32	27	23	23	20	125
69	2	33	35	38	22	26	154	12	34	25	20	20	18	117
70	6	25	27	27	26	32	137	10	32	33	26	37	26	154
71	6	28	28	31	23	24	134	13	29	24	30	36	32	151
72	2	31	23	26	24	23	123	11	27	30	26	26	28	137
73	4	30	29	29	23	26	137	15	28	26	29	28	24	135
74	8	27	25	31	30	25	138	13	30	29	38	26	20	143
75	7	34	27	37	26	29	153	10	40	26	22	24	18	130
76	9	26	24	40	25	25	140	12	37	30	25	20	17	129
77	4	28	30	28	23	25	134	17	30	28	24	29	23	134
78	6	36	29	26	31	26	148	19	28	31	26	25	21	131
79	3	28	30	25	28	28	139	18	36	29	24	22	23	134
80	1	26	31	26	20	30	133	11	31	33	23	28	20	135
81	3	31	28	24	26	29	138	13	33	26	30	24	20	133
82	2	34	27	30	28	29	148	12	28	28	30	25	26	137
83	5	32	26	27	25	29	137	15	31	27	28	27	23	136
84	4	25	27	28	30	20	130	18	27	21	20	16	11	95
85	2	30	26	28	26	24	134	15	41	26	19	19	23	128
86	1	36	28	32	24	26	146	10	39	28	30	29	20	146
87	7	33	25	26	20	24	128	11	43	30	18	21	19	131
88	6	30	29	31	28	26	144	17	29	34	30	24	16	133
89	3	28	31	33	25	20	137	16	34	31	26	29	23	143
90	1	34	26	33	26	31	150	14	32	28	28	17	26	131
91	4	36	25	37	31	26	155	15	29	32	27	24	29	141
92	5	31	29	29	28	28	145	18	30	29	22	26	19	126
93	6	25	32	31	26	26	140	19	31	26	26	30	17	130
94	2	27	34	28	25	21	135	18	32	31	30	20	26	139
95	1	29	36	26	14	24	139	11	36	29	28	29	20	142
96	1	34	31	30	26	25	146	10	37	26	27	24	22	136
97	3	33	36	30	28	26	153	13	28	332	02	21	18	120
98	2	36	25	28	26	27	142	14	33	40	31	23	17	144
99	1	38	26	27	25	29	145	19	30	38	20	20	23	131
100	2	31	28	26	24	31	140	18	27	29	22	18	22	118
101	2	29	28	31	20	26	134	11	30	25	28	29	24	136

102	1	30	26	28	21	24	129	13	32	28	26	27	22	135
103	4	34	29	32	20	24	139	09	27	26	22	27	18	120
104	1	36	26	28	26	22	138	14	28	31	23	24	19	125
105	3	38	30	29	21	27	145	16	36	27	30	21	20	134
106	4	30	28	31	26	21	136	12	32	26	28	20	19	125
107	5	29	33	32	20	26	140	15	28	24	18	21	18	109
108	1	32	27	33	23	20	135	10	27	20	30	19	20	116
109	2	29	32	36	21	20	138	11	36	24	31	24	25	140
110	1	33	30	31	23	24	141	15	29	28	24	19	21	121
111	2	34	26	28	26	22	136	11	32	33	36	24	28	153
112	3	36	30	27	24	26	143	14	38	28	26	30	21	143
113	5	38	28	25	28	23	142	16	36	26	23	19	24	128
114	4	39	26	27	22	22	136	18	29	31	27	22	20	129
115	3	30	30	28	21	21	130	12	28	33	26	21	26	134
116	1	30	29	20	24	21	124	10	39	30	28	24	20	141
117	1	37	31	29	19	18	134	13	40	26	28	26	24	144
118	3	29	33	30	26	24	142	16	37	31	25	21	20	134
119	5	36	32	30	27	21	146	17	30	33	28	26	22	139
120	1	25	29	27	26	20	127	11	28	31	31	24	23	137
121	3	28	31	33	24	24	140	14	29	32	29	28	26	144
122	6	26	29	25	28	22	130	12	31	33	28	27	24	143
123	4	30	28	26	21	21	126	17	27	36	26	23	21	133
124	2	27	33	32	26	19	137	19	29	32	31	28	23	143
125	3	34	26	30	24	26	140	21	27	34	30	27	25	143
126	5	37	25	33	27	27	149	10	30	33	26	26	27	142
127	6	33	32	26	28	20	139	23	38	30	25	20	21	134
128	1	29	33	31	21	20	134	15	36	29	30	19	24	138
129	5	31	34	33	21	23	142	16	33	26	31	21	22	133
130	4	28	31	30	29	27	145	18	28	27	28	30	19	132
131	1	27	30	33	30	20	140	20	26	29	25	24	23	127
132	3	28	31	30	28	26	143	12	28	36	30	24	26	144
133	2	26	29	28	24	24	131	15	25	34	29	27	20	135
134	1	31	33	31	22	20	137	13	33	29	34	29	26	151
135	7	34	33	20	25	19	131	20	36	28	35	28	24	151
136	6	38	26	22	23	18	127	22	38	27	31	21	25	142

137	3	33	28	24	26	26	137	13	37	31	34	28	22	152
138	4	37	29	26	28	22	122	11	32	36	30	26	21	145
139	2	29	36	24	27	24	140	18	33	29	31	30	20	143
140	2	31	30	27	30	26	144	17	28	29	30	26	19	132
141	1	32	28	28	20	21	129	14	27	31	33	29	26	146
142	1	30	33	32	24	20	139	12	26	33	32	30	19	140
143	2	28	35	30	23	20	136	10	28	34	30	26	21	139
144	1	32	29	26	28	20	135	10	32	33	26	33	24	148
145	3	36	31	28	29	24	148	14	30	33	29	21	19	132
146	6	35	36	24	26	22	143	13	34	31	31	26	24	146
147	5	31	37	30	27	24	149	16	36	34	28	20	18	136
148	2	37	30	31	31	23	152	21	29	26	27	24	21	127
149	4	28	30	27	30	21	136	11	26	34	24	26	24	134
150	7	29	33	26	24	19	131	17	27	36	27	24	21	135
151	6	38	32	29	23	26	148	18	25	32	31	20	20	128
152	5	26	36	28	25	23	138	23	31	33	36	3	027	157
153	4	32	34	26	31	22	145	13	32	34	28	29	24	147
154	6	38	31	23	28	20	140	16	33	37	30	26	21	147
155	4	27	29	29	29	21	135	20	30	35	28	26	22	141
156	3	29	28	32	32	19	140	21	33	26	24	23	23	129
157	2	28	34	30	36	27	155	23	32	29	22	29	22	134
158	1	31	29	24	30	18	132	22	36	28	30	24	20	138
159	3	28	31	29	30	27	145	17	30	33	26	29	22	140
160	4	29	36	28	31	25	149	19	28	31	28	24	23	134
161	3	34	31	24	26	21	136	18	29	30	24	26	22	131
162	2	31	34	30	29	20	144	19	29	31	32	29	30	151
163	1	32	25	30	26	24	137	21	36	26	28	29	31	150
164	6	34	31	33	29	20	147	20	34	29	31	24	20	138
165	5	31	36	25	24	23	139	14	38	27	24	22	27	138
166	4	36	30	28	29	24	147	10	30	34	35	29	20	148
167	2	38	33	31	26	22	150	16	33	33	30	26	24	146
168	3	29	34	30	28	24	145	12	34	34	31	26	24	149
169	2	26	31	33	30	20	140	15	38	29	30	23	23	143
170	1	37	26	24	24	25	136	14	31	25	28	22	18	124
171	4	34	25	24	26	22	131	11	33	26	33	20	21	133

172	6	31	31	29	30	26	147	16	34	28	28	26	20	136
173	5	28	30	28	24	22	132	15	31	29	34	20	24	138
174	6	28	33	30	24	20	135	10	26	33	27	20	18	124
175	4	31	34	33	26	22	146	13	30	29	27	26	23	135
176	1	34	36	30	23	24	147	14	34	36	24	24	22	140
177	3	36	29	28	21	18	132	15	31	32	29	28	24	144
178	1	38	31	27	26	24	146	17	32	31	26	31	26	146
179	1	39	30	29	23	23	144	21	34	30	25	30	28	147
180	2	30	29	34	30	24	147	18	33	30	29	30	24	146
181	4	29	27	32	29	21	138	11	37	28	27	20	22	134
182	6	34	28	30	33	20	145	13	29	26	25	29	24	133
183	3	33	30	34	36	20	153	14	36	31	26	20	21	134
184	4	32	34	24	26	25	141	23	39	36	29	26	20	150
185	6	28	36	26	29	20	139	11	40	29	27	26	28	150
186	7	27	28	29	30	24	138	17	34	28	27	30	29	148
187	4	31	30	20	26	23	130	21	32	26	28	20	20	126
188	3	33	29	28	30	24	144	23	33	28	22	24	22	129
189	2	30	28	24	20	26	128	24	36	29	30	31	26	152
190	1	28	31	26	22	24	131	20	37	30	28	27	22	144
191	4	29	28	28	27	26	138	21	30	33	27	26	20	136
192	5	31	29	29	32	31	152	13	29	33	38	24	21	135
193	3	30	34	30	34	30	158	15	31	34	28	27	23	143
194	2	33	30	27	30	26	146	16	34	35	27	26	20	142
195	3	36	34	26	28	25	149	18	28	23	26	26	30	133
196	1	34	29	28	30	20	141	12	33	31	29	31	24	148
197	1	32	28	31	28	24	143	11	36	30	27	30	26	149
198	2	34	31	30	25	20	140	10	34	33	31	29	25	152
199	1	36	32	29	30	21	148	13	32	35	30	24	28	149
200	4	30	33	26	20	29	128	12	30	07	32	26	26	151

तलाक की प्रक्रिया में चल रही पत्नी

क्र.स.	वैवाहिक समायोजन	मानसिक स्वास्थ्य						व्यक्तित्व प्रकार	संवेगात्मक परिपक्वता					
		a	b	c	d	e	योग		a	b	c	d	e	योग
1	1	28	26	29	20	24	127	11	29	33	29	24	20	135
2	1	30	29	21	26	20	126	17	27	30	24	26	22	129
3	4	36	26	26	21	19	128	19	26	28	29	27	24	134
4	3	30	30	25	28	22	135	21	34	31	30	23	21	139
5	6	29	26	34	27	21	137	17	38	29	33	28	23	151
6	2	25	33	36	24	20	138	13	31	30	31	27	25	144
7	1	31	34	30	23	19	137	11	33	28	28	26	21	136
8	2	38	35	25	28	20	146	19	30	34	36	29	26	155
9	3	27	38	24	26	18	133	23	29	26	33	30	20	148
10	1	35	37	21	20	19	132	20	27	31	30	28	22	138
11	2	29	33	32	28	23	146	20	34	20	29	21	25	129
12	1	27	26	29	24	2	126	18	32	28	28	28	24	140
13	4	31	28	20	22	27	128	17	30	29	31	27	20	137
14	5	33	32	29	20	23	137	11	37	27	32	21	19	136
15	6	34	30	26	30	20	140	09	34	28	33	18	23	136
16	1	30	28	29	26	20	133	11	29	22	30	24	20	125
17	1	33	31	30	28	19	141	17	32	30	28	24	18	132
18	4	36	30	26	24	16	132	16	31	28	32	26	22	139
19	3	28	26	24	26	24	128	15	33	28	32	26	22	139
20	6	29	34	31	28	28	150	14	36	33	31	26	21	147
21	5	31	32	29	31	24	147	16	28	31	27	30	18	134
22	2	30	31	28	30	19	138	21	27	29	31	22	16	125
23	2	27	29	31	34	18	139	13	30	33	34	21	19	137
24	1	36	29	34	32	22	153	23	28	28	26	24	22	128
25	1	26	26	24	33	21	130	26	29	34	27	22	24	136
26	3	31	33	28	32	19	143	16	36	31	23	20	21	131
27	2	28	31	26	31	20	136	13	29	27	30	25	18	129
28	4	27	33	33	28	24	145	17	27	34	31	30	19	131
29	5	34	35	31	26	17	143	14	25	36	28	21	17	127
30	6	32	30	30	24	19	135	16	31	33	29	20	19	132
31	5	29	28	29	20	21	127	13	36	32	27	22	15	125

32	1	28	26	28	22	24	128	09	29	28	31	24	16	128
33	1	31	30	27	30	22	140	15	24	29	28	26	19	126
34	3	34	29	31	34	20	148	19	35	31	30	28	21	145
35	2	26	25	34	31	19	135	20	36	32	30	30	14	152
36	2	29	31	36	28	18	142	24	31	34	24	22	26	137
37	1	30	34	30	30	21	145	22	33	30	17	25	30	145
38	4	36	29	26	32	22	145	23	31	29	26	23	20	129
39	5	32	27	29	34	18	140	20	30	27	29	21	16	123
40	6	35	28	30	36	16	145	18	29	34	28	20	14	125
41	3	28	25	28	34	24	141	11	28	31	30	24	22	135
42	2	31	28	27	30	26	142	14	32	29	28	19	20	128
43	2	35	30	24	28	22	139	15	31	26	26	27	19	129
44	3	28	31	26	21	24	130	18	33	27	30	30	23	143
45	1	25	30	26	22	26	129	19	26	32	33	20	19	130
46	1	29	28	22	24	28	131	21	30	33	32	21	22	138
47	1	27	25	30	22	24	128	20	28	37	39	23	21	148
48	1	33	28	32	28	24	145	20	31	28	28	22	20	129
49	3	38	28	26	24	22	138	17	28	31	24	23	14	120
50	4	27	31	28	26	18	130	16	40	32	21	20	14	127
51	2	26	30	26	30	23	135	10	33	26	31	21	13	124
52	3	31	33	28	24	21	137	18	38	27	31	23	12	131
53	2	29	36	33	22	19	139	15	26	29	25	24	14	118
54	1	28	34	32	26	23	142	14	28	34	30	21	13	126
55	1	26	33	28	20	25	132	21	33	29	34	20	12	128
56	6	34	31	26	30	18	139	20	36	28	35	26	14	139
57	4	28	32	34	26	16	136	20	28	34	30	25	13	130
58	2	24	31	28	21	25	129	10	29	32	31	20	13	125
59	3	31	29	30	25	23	138	12	25	34	29	21	14	123
60	1	27	31	33	20	19	130	12	31	29	27	19	12	118
61	5	34	29	31	24	18	136	17	25	32	28	20	20	125
62	4	30	26	34	23	21	134	19	32	33	26	33	24	148
63	1	31	28	33	28	23	143	10	32	34	28	29	24	147
64	3	32	31	29	20	24	136	13	27	36	31	22	11	127
65	3	34	30	26	30	20	140	16	36	32	28	26	16	138
66	2	36	31	27	28	20	139	18	39	26	20	21	10	116

67	1	34	28	28	25	22	137	11	25	20	18	21	20	104
68	4	33	23	27	30	21	134	15	33	29	20	20	16	118
69	3	29	29	26	26	20	130	19	31	31	31	30	20	143
70	4	29	29	28	24	19	129	21	30	40	26	18	22	136
71	1	30	31	31	25	16	133	20	28	36	27	29	19	139
72	1	31	29	24	21	21	126	20	27	28	21	29	18	123
73	3	33	34	28	24	23	142	22	33	27	27	24	12	123
74	3	28	36	31	21	19	135	20	26	35	32	19	13	125
75	3	26	34	27	30	17	134	20	32	30	29	23	19	133
76	4	34	35	30	27	18	144	20	36	23	19	22	14	114
77	1	32	30	27	31	21	141	15	33	40	31	23	17	144
78	2	33	29	26	26	23	137	11	27	29	22	18	22	118
79	4	31	28	28	24	20	131	19	32	28	28	17	26	131
80	3	29	25	31	22	22	129	16	43	30	18	21	19	131
81	1	30	29	33	25	20	137	14	30	25	28	29	24	136
82	6	30	31	34	28	20	143	15	28	33	26	21	26	134
83	2	29	28	31	20	26	134	09	29	22	30	24	20	125
84	4	34	29	32	20	24	139	18	33	27	29	28	20	137
85	1	36	26	28	24	22	136	11	28	28	26	24	22	128
86	1	32	27	33	23	20	135	13	29	27	30	25	18	129
87	3	30	29	20	24	21	124	16	40	26	28	26	24	144
88	2	34	26	30	24	26	140	21	28	31	31	24	23	137
89	4	29	33	30	26	24	142	20	38	30	25	20	21	134
90	5	33	29	31	30	20	143	20	32	36	30	26	21	145
91	1	28	34	30	26	21	139	20	28	34	30	26	21	139
92	6	28	35	30	23	20	136	22	27	20	30	19	20	116
93	3	31	30	27	30	26	144	15	36	27	30	21	20	134
94	5	37	29	26	28	22	142	13	30	25	28	29	24	136
95	6	27	30	33	30	30	140	11	29	31	27	22	20	129
96	7	26	36	28	25	23	138	16	29	32	29	28	26	144
97	6	32	29	26	28	20	135	15	27	31	33	29	26	146
98	1	31	37	30	27	24	249	18	34	31	30	23	21	139
99	2	32	34	26	31	22	145	20	25	33	36	24	20	138
100	2	38	30	27	24	19	138	12	38	30	29	28	16	141
101	2	35	36	24	26	22	143	16	39	28	24	20	14	425

102	3	32	29	27	22	20	130	19	31	36	25	21	20	133
103	2	30	28	26	21	18	123	21	28	34	27	28	26	143
104	1	36	25	29	22	21	133	11	32	28	30	29	19	138
105	1	29	33	26	25	23	136	13	36	31	26	19	13	125
106	4	28	31	30	20	19	128	19	34	33	31	26	15	139
107	2	31	36	29	26	17	139	21	27	34	29	24	19	133
108	1	36	30	31	21	23	141	20	30	36	28	26	14	134
109	1	34	28	24	19	20	125	20	33	30	33	20	21	137
110	1	35	27	26	25	21	134	21	36	32	24	26	24	142
111	5	38	31	29	28	23	149	14	30	34	31	29	20	144
112	6	31	28	26	19	18	122	11	28	36	22	31	20	137
113	3	29	31	21	24	25	130	13	27	34	27	28	22	138
114	2	28	34	28	21	21	132	10	32	30	31	27	19	139
115	1	30	33	30	20	22	136	22	34	33	30	20	23	140
116	6	36	33	30	20	22	141	11	37	30	20	18	10	115
117	1	30	31	26	19	20	126	16	31	29	20	19	08	107
118	1	34	29	27	25	21	136	13	40	36	25	19	11	131
119	2	27	31	29	28	19	134	22	28	24	35	22	13	122
120	4	29	33	28	21	21	132	20	29	26	30	24	16	125
121	1	33	30	31	28	26	148	21	33	28	30	22	12	125
122	1	34	29	24	24	19	130	22	35	29	27	21	10	122
123	2	36	27	28	21	18	130	10	35	26	24	20	10	123
124	3	29	33	30	26	20	138	18	35	28	28	23	11	125
125	1	27	31	32	28	21	149	13	38	30	30	23	08	129
126	1	30	28	29	23	20	130	16	28	33	25	24	10	120
127	4	30	31	29	27	30	147	19	29	30	27	22	11	119
128	7	29	30	28	23	25	135	12	31	27	25	26	09	118
129	1	32	34	29	21	22	138	19	36	28	29	19	16	128
130	6	34	29	31	28	24	146	23	29	28	23.	19	15	114
131	3	26	30	32	30	19	147	10	34	30	29	24	16	133
132	2	29	33	28	20	18	128	18	33	26	28	23	20	130
133	2	29	30	26	20	25	130	08	29	30	31	24	20	134
134	6	28	30	27	21	19	125	11	28	29	30	21	14	122
135	3	36	26	28	24	22	136	13	36	34	28	22	16	136
136	1	38	30	29	26	24	147	20	30	30	24	25	21	130

137	3	30	33	25	22	22	132	09	32	28	27	20	26	133
138	3	27	34	24	28	21	134	12	29	30	28	24	20	131
139	1	31	32	30	27	19	139	14	31	35	36	26	18	144
140	1	33	29	26	26	24	138	16	35	24	29	25	18	129
141	1	35	26	23	28	26	138	13	34	30	28	29	14	135
142	1	29	32	30	2	028	139	15	36	31	26	24	18	135
143	4	28	29	31	23	21	132	13	33	24	23	25	10	119
144	3	32	33	26	20	18	129	10	29	31	32	27	13	132
145	4	27	30	28	21	23	129	07	30	32	26	28	11	127
146	5	36	29	27	26	26	144	13	27	29	33	20	15	124
147	1	31	33	26	24	21	135	12	28	30	31	24	16	129
148	2	33	29	30	22	20	134	16	34	30	29	27	20	140
149	1	31	23	21	28	20	133	19	35	3	026	24	20	135
150	3	29	29	28	26	24	136	21	31	29	29	26	18	133
151	2	27	30	24	20	18	122	11	29	26	30	25	19	129
152	6	34	32	28	25	21	410	07	28	34	30	24	16	132
153	5	36	29	27	21	26	139	09	30	35	30	24	15	134
154	3	30	32	28	22	20	132	19	28	30	33	20	09	120
155	3	29	33	30	27	24	143	16	34	30	24	19	07	114
156	3	31	28	33	29	23	144	16	30	32	32	24	11	129
157	4	34	27	24	21	27	133	10	33	30	27	20	10	120
158	1	35	29	26	20	20	130	15	35	29	24	18	08	114
159	2	31	28	24	23	22	128	11	29	32	26	19	06	112
160	3	30	33	28	30	20	141	13	28	30	27	20	14	119
161	4	29	32	30	21	29	131	14	31	34	30	20	16	131
162	3	36	26	26	24	19	131	16	30	28	31	26	17	132
163	2	36	25	26	22	18	127	14	30	29	29	24	16	128
164	1	30	33	24	20	21	128	11	33	28	24	25	20	130
165	2	34	29	26	20	23	132	10	29	33	26	24	23	135
166	2	36	30	28	24	20	138	10	39	30	25	26	20	140
167	3	29	33	30	26	18	136	14	30	34	29	20	18	131
168	1	34	28	27	24	17	130	11	36	27	30	26	11	131
169	4	36	29	31	26	34	146	09	30	27	31	28	13	129
170	1	32	34	26	24	20	136	16	29	32	29	23	16	129
171	1	29	25	23	27	21	125	21	33	.35	25	28	11	132

172	3	31	34	29	20	21	135	23	32	36	29	24	15	136
173	5	28	31	31	26	20	136	12	30	33	28	20	13	124
174	4	38	32	24	24	22	140	17	34	30	31	23	17	135
175	6	30	35	22	28	24	129	19	37	33	30	22	10	132
176	3	33	36	30	20	25	144	20	30	36	33	24	11	134
117	1	35	32	28	19	16	120	11	28	26	30	26	13	132
178	2	29	30	31	21	16	127	10	36	31	28	28	16	139
179	3	27	31	26	20	21	125	07	33	30	29	30	20	142
180	4	36	32	28	26	17	139	14	31	36	25	28	18	138
181	3	29	35	31	28	22	145	15	30	32	30	2	21	133
182	2	31	34	34	30	18	147	17	34	33	30	23	24	144
183	1	34	28	36	24	20	142	21	36	34	30	24	10	134
184	1	28	31	30	22	29	130	23	38	35	24	26	09	132
185	1	30	34	24	24	23	135	10	29	30	28	28	07	122
186	1	30	32	22	23	20	127	13	30	28	30	26	10	124
187	6	38	30	28	23	19	138	16	36	30	29	28	14	137
188	4	30	33	27	20	21	131	18	30	29	28	2	01	119
189	3	38	29	28	26	18	129	21	35	31	30	22	14	132
190	5	33	27	29	24	2	134	20	30	35	28	24	10	125
191	2	40	31	28	28	22	149	13	35	26	24	21	12	121
192	3	31	32	31	26	18	138	19	29	31	30	26	08	124
193	3	30	35	29	24	19	135	11	27	28	34	24	10	123
194	2	36	26	30	20	16	128	15	31	28	30	20	14	123
195	4	29	34	29	22	18	132	16	28	29	31	24	17	129
196	1	29	33	32	20	21	137	11	37	28	28	27	19	137
197	1	34	30	33	21	23	141	21	34	31	30	25	20	140
198	1	35	29	30	30	24	148	09	32	34	26	20	22	134
199	1	38	28	30	24	25	145	11	34	35	24	26	20	134
200	1	30	26	34	20	26	136	10	36	34	26	27	22	145